



# वार्षिक प्रतिवेदन

2016 –17 एवं 2017–18



सूचना का  
अधिकार

उत्तराखण्ड सूचना आयोग





# वार्षिक प्रतिवेदन 2016 – 17 एवं 2017–18



सूचना का  
अधिकार

उत्तराखण्ड सूचना आयोग



# अनुक्रमणिका

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	प्रस्तावना	01
2	सूचना का अधिकार आंकड़ों में	03
3	सूचना का अधिकार अधिनियम	07
4	उत्तराखण्ड सूचना आयोग	13
5	आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही	19
6	सूचना आवेदन पत्रों, द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों का संख्यात्मक विवरण	25
7	लोक प्राधिकारियों के स्तर पर धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत स्व: प्रकटन की स्थिति	47
8	आयोग की संस्तुतियां	61
9	आयोग द्वारा द्वितीय अपीलों / शिकायतों में आरोपित शास्तियां	65
10	आयोग को प्राप्त बजट	133
11	वीडियों कान्फेसिंग के माध्यम से सुनवाई	135



सूचना का  
अधिकार

## प्रस्तावना

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 की उपधारा (1) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड सूचना आयोग के वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 के सम्मिलित वार्षिक प्रतिवेदन को प्रस्तुत करते हुये मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है।

प्रदेश में सूचना का अधिकार अधिनियम को लागू हुये अब 13 वर्ष से अधिक का समय हो गया है। इस अवधि में हुये अनुभवों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम सरकारी कार्यों में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए किया गया एक उल्लेखनीय प्रयास है। सूचना का अधिकार अधिनियम एक अधिकार आधारित कानून है जिसके आने से सामान्य नागरिकों को सरकार, सरकारी योजनाओं तथा तमाम सरकारी गतिविधियों में हिस्सेदारी प्राप्त होने में सहायता मिली है। आज सभी इस बात को मानने लगे हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम के कारण ही शासन-प्रशासन में कुछ सुधार तो हुआ ही है। सरकारी सूचनाओं के आसानी से प्राप्त होने के कारण ही अब जन सामान्य भी निर्णय निर्माण प्रक्रिया के हिस्से बन गये हैं जिसके कारण ही जन सामान्य तथा सरकार के मध्य विश्वास उत्पन्न हो पाना सम्भव हुआ है।

सूचना का अधिकार अधिनियम में दी गयी व्यवस्थाओं के अनुरूप ही प्रस्तुत सम्मिलित द्विवार्षिक प्रतिवेदन मुख्य रूप से प्रदेश के विभिन्न लोक प्राधिकारियों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों को नियमानुसार क्रियान्वित किये जाने सम्बन्धी विवरणों पर लक्षित है। इसमें लोक सूचना अधिकारियों को प्राप्त सूचना आवेदन पत्र; प्रथम अपीलीय अधिकारियों को प्राप्त विभागीय अपीलें; आवेदन शुल्क के रूप में प्राप्त धनराशि; धारा 19(3) के अन्तर्गत आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों एवं धारा 18 के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों का विश्लेषण; तथा आयोग द्वारा आरोपित शास्तियों आदि से सम्बन्धित विवरण दिये गये हैं। विभिन्न लोक प्राधिकारियों के स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अनुपालन की स्थिति भी इस सम्मिलित वार्षिक प्रतिवेदन में दर्शायी गयी है। आयोग को राज्य सरकार से वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 में प्राप्त बजट का विवरण भी दिया गया है।

वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 में लोक प्राधिकारियों को प्राप्त एवं निस्तारित सूचना अनुरोध पत्रों एवं प्रथम अपीलों की स्थिति निम्नवत् रही -

वर्ष	सूचना अनुरोध पत्र		प्रथम अपील	
	प्राप्त	निस्तारित	प्राप्त	निस्तारित
2016 - 17	1,09,760	98,348	15,044	8,539
2017 - 18	1,01,594	94,196	10,287	9,376

वहीं दूसरी ओर आयोग में द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों में की गयी सुनवायी एवं उनके निस्तारण की स्थिति निम्नवत् रही –

वर्ष	द्वितीय अपील		शिकायत	
	प्राप्त	निस्तारित	प्राप्त	निस्तारित
2016 – 17	4,491	2,904	1,138	902
2017 – 18	4,341	3,335	1,181	973

उपरोक्त आंकड़ों का विश्लेषण तथा उनसे सम्बन्धित अन्य जानकारियों को इस प्रतिवेदन में अग्रेतर दिया गया है।

प्रदेश के दूरस्थ एवं पर्वतीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों के सूचना आवेदनकर्ताओं की सुविधा के दृष्टिगत आयोग द्वारा अपीलों एवं शिकायतों की सुनवायी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से करायी जानी भी अब प्रारम्भ कर दी गयी है। इसके अन्तर्गत प्रारम्भिक चरण में जनपद पिथौरागढ़ के जिला मुख्यालय स्थित एन.आई.सी. केन्द्र तथा आयोग कार्यालय के मध्य वीडियो कान्फ्रेंसिंग से सुनवायी की सुविधा स्थापित की गयी है। भविष्य में इस सुविधा को प्रदेश के अन्य दूरस्थ / पर्वतीय जनपदों में भी विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

अपने अब तक के सफर में सूचना का अधिकार अधिनियम आज एक सामान्य जरूरत के अधिनियम से हट कर एक महत्वपूर्ण आवश्यकता की श्रेणी में आ चुका है। मैं आशा करता हूँ कि इस प्रतिवेदन में आयोग द्वारा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार के स्तर से की जाने वाली कार्यवाही हेतु जो संस्तुतियां की गयी हैं, उन पर राज्य सरकार द्वारा यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

मैं इस अवसर पर उत्तराखण्ड सरकार तथा विशेष रूप से मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं सचिव, सामान्य प्रशासन उत्तराखण्ड शासन को सूचना का अधिकार अधिनियम में विभिन्न उत्तरदायित्वों के निर्वहन में आयोग को समय-समय पर प्रदत्त सहायता एवं सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ।

इस वार्षिक प्रतिवेदन को तैयार करने में आयोग के अधिकारियों द्वारा जो विशेष प्रयास किया गया है, उसके लिए मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ।

**शत्रुघ्न सिंह**  
**मुख्य सूचना आयुक्त**

## सूचना का अधिकार आंकड़ों में वर्ष 2016 - 17

1	प्रदेश के समस्त लोक सूचना अधिकारियों को प्राप्त सूचना आवेदन पत्रों की संख्या	1,09,760			
2	प्राप्त सूचना आवेदन पत्रों के सापेक्ष निस्तारित आवेदनों की संख्या	98,348			
3	प्रदेश के समस्त प्रथम अपीलीय अधिकारियों को प्राप्त प्रथम / विभागीय अपीलों की संख्या	15,044			
4	प्राप्त प्रथम अपीलों के सापेक्ष निस्तारित अपीलों की संख्या	8,539			
5	प्रथम पांच विभाग जिन्हें सबसे अधिक सूचना आवेदन पत्र प्राप्त हुये*				
	गृह	राजस्व	विद्यालयी शिक्षा	वन	उच्च शिक्षा
	25442	15191	12066	7286	4352
6	आलोच्य वर्ष में आयोग को प्राप्त द्वितीय अपील				
	कुल द्वितीय अपीलों पर सुनवाई	कुल निस्तारण			
	4491	2904			
7	आलोच्य वर्ष में आयोग को प्राप्त शिकायत				
	कुल शिकायतों पर सुनवाई	कुल निस्तारण			
	1138	902			
8	आयोग द्वारा आरोपित शास्तियों / क्षतिपूर्तियों की संख्या	221 शास्ति आरोपित कोई क्षतिपूर्ति नहीं			
9	आरोपित शास्तियों की धनराशि (रु)	48,90,250			
10	आरोपित क्षतिपूर्तियों की धनराशि (रु)	—			
11	आयोग द्वारा संस्तुत विभागीय कार्यवाही की संख्या	कोई नहीं			
12	आयोग के आदेश के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय के स्थगनादेश	41			

\* (प्रदेश के लोक प्राधिकारियों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर)

## सूचना का अधिकार आंकड़ों में वर्ष 2017 - 18

1	प्रदेश के समस्त लोक सूचना अधिकारियों को प्राप्त सूचना आवेदन पत्रों की संख्या				1,01,594
2	प्राप्त सूचना आवेदन पत्रों के सापेक्ष निस्तारित आवेदनों की संख्या				94,196
3	प्रदेश के समस्त प्रथम अपीलीय अधिकारियों को प्राप्त प्रथम / विभागीय अपीलों की संख्या				10,287
4	प्राप्त प्रथम अपीलों के सापेक्ष निस्तारित अपीलों की संख्या				9,376
5	प्रथम पांच विभाग जिन्हें सबसे अधिक सूचना आवेदन पत्र प्राप्त हुये*				
	विद्यालयी शिक्षा	राजस्व	गृह	वन	ग्राम्य विकास
	21538	16107	11325	6595	3986
6	आलोच्य वर्ष में आयोग को प्राप्त द्वितीय अपील				
	कुल द्वितीय अपीलों पर सुनवाई			कुल निस्तारण	
	4341			3335	
7	आलोच्य वर्ष में आयोग को प्राप्त शिकायत				
	कुल शिकायतों पर सुनवाई			कुल निस्तारण	
	1181			973	
8	आयोग द्वारा आरोपित शास्तियों / क्षतिपूर्तियों की संख्या				186 शास्ति आरोपित कोई क्षतिपूर्ति नहीं
9	आरोपित शास्तियों की धनराशि (रु.)				39,94,250
10	आयोग द्वारा संस्तुत विभागीय कार्यवाही की संख्या				कोई नहीं
11	आयोग के आदेश के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय के स्थगनादेश				25

\*(प्रदेश के लोक प्राधिकारियों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर)

# **सूचना का अधिकार अधिनियम**



## सूचना का अधिकार अधिनियम

सूचना का अधिकार अधिनियम के द्वारा भारत में एक ऐसे युग का सूत्रपात किया गया है जिसमें किसी भी सरकारी सूचना तक जनसामान्य की पहुंच अत्यन्त सरल रूप में सम्भव हो पाती है। इसके साथ ही, सूचना का अधिकार अधिनियम के कारण ही सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली में व्यापक पारदर्शिता तथा जवाबदेही भी सुनिश्चित हो सकी है।

इस अधिनियम को अंगीकृत कर भारत विश्व के उन कुछ चुनिन्दा राष्ट्रों की श्रेणी में सम्मिलित हुआ जहां सूचना के अधिकार को विधिक मान्यता प्रदान की गयी है। ऐसे राष्ट्रों में से अधिकांश पाश्चात्य और आर्थिक दृष्टि से विकसित राष्ट्र हैं। भारत उन कुछ विकासशील राष्ट्रों में से एक है जहां ऐसा अधिनियम बनाया गया है।

सूचना का अधिकार विधेयक, 2004 लोक सभा में दिनांक 23 दिसम्बर, 2004 को प्रस्तुत किया गया एवं उक्त विधेयक कतिपय संशोधनों के उपरान्त दिनांक 11 मई, 2005 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया। राज्य सभा द्वारा उक्त विधेयक दिनांक 12 मई, 2005 को पारित किया गया। महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा इस अधिनियम को 15 जून, 2005 को अपनी स्वीकृति प्रदान की गयी, तत्पश्चात महामहिम राष्ट्रपति की स्वीकृति के दिनांक से 120वें दिन, अर्थात् 12 अक्टूबर, 2005 से सूचना का अधिकार अधिनियम प्रभाव में है।

“लोक प्राधिकारी” की परिभाषा में सभी संवैधानिक संस्थाओं, सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय, निगम, स्थानीय निकाय, पंचायतें, तथा ऐसे गैर सरकारी संगठन सम्मिलित हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधियों से किसी न किसी रूप में वित्त-पोषित हैं।

सूचना का अधिकार, नागरिकों को लोक प्राधिकारियों से सूचना प्राप्त करने हेतु अधिकार सम्पन्न करता है तथा कतिपय अपवादों को छोड़ कर लोक प्राधिकारी के द्वारा नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने का प्राविधान करता है। **नागरिकों को जो सूचना देय है उससे उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता है।** इस प्रकार यह अधिनियम लोकतंत्र में नागरिकों को एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सशक्त अधिकार से लैस करता है ताकि सरकारों की नागरिकों के प्रति जवाबदेही बनी रहे।

अब तक की अपने 10 वर्षों की इस यात्रा में सूचना का अधिकार अधिनियम को अब विभिन्न सरकारी विभागों (जिनके द्वारा समस्त सूचनायें धारित एवं नियंत्रित की जाती हैं) तथा जनसामान्य (जो प्रजातंत्र के रचयिता तथा लाभार्थी हैं) के बीच

में अवस्थित अधिकार समीकरण में संतुलन स्थापित करने की एक उत्तम व्यवस्था के रूप में भी देखा जा रहा है।

### सूचना का अधिकार कानून क्या है ?

अधिनियम में सूचना का अधिकार की निम्नलिखित प्रस्तावना (Preamble) दी गयी है :

“प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए, लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यावहारिक शासन पद्धति स्थापित करने, केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग का गठन करने और उनसे सम्बन्धित या उनसे आनुषांगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम”.

### सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत :

- सूचना का अधिकार अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अन्तर्गत नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अन्तर्गत प्रदत्त एक मौलिक अधिकार है। यह अधिनियम दिनांक 12 अक्टूबर, 2005 से प्रभावी है।
- भारत के नागरिक को किसी भी लोक प्राधिकारी से सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा-6(1) के अन्तर्गत सूचना मांगने का अधिकार प्राप्त है।
- किसी भी सरकारी कार्यालय द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने तथा निर्माण सामग्री के नमूने प्राप्त करने का अधिकार भी यह अधिनियम नागरिकों को प्रदान करता है।
- सूचना प्राप्त करने हेतु दस रूपये का आवेदन शुल्क निर्धारित है जो नकद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/पोस्टल ऑर्डर/नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प के माध्यम से जमा किया जा सकता है। गरीबी रेखा से नीचे के आवेदकों हेतु कोई आवेदन शुल्क देय नहीं है, परन्तु ऐसे आवेदकों को अपने सूचना आवेदन के साथ अपने बी.पी.एल. कार्ड की प्रति संलग्न करनी अनिवार्य है।
- अभिलेखों/पत्रावलियों का निरीक्षण, आवेदन शुल्क देने के बाद एक घण्टा निःशुल्क किया जा सकता है, इसके उपरान्त प्रत्येक 60 मिनट या उसके किसी भाग के लिए

पांच रूपया अतिरिक्त शुल्क का भुगतान किया जाना होगा.

- अभिलेख की ए-3 या ए-4 आकार की छायाप्रति हेतु दो रूपया प्रति पृष्ठ फीस निर्धारित है, इससे बड़े आकार के अभिलेख की प्रति प्राप्त करने हेतु वास्तविक लागत देनी होगी. सी.डी./डी.वी.डी. में सूचना प्राप्त करने के लिए बीस रुपये का शुल्क देय है.
- गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आवेदक को स्वयं अथवा उसके परिवार से सम्बन्धित सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है. इससे भिन्न सूचना के लिए 50 पृष्ठों अथवा रु. 100 की सूचना निःशुल्क दी जायेगी, तथा इससे अधिक सूचना नियत शुल्क का भुगतान करने के उपरान्त प्रदान की जाती है.
- वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा विलम्बतम तीस दिन के अन्दर उपलब्ध करायी जानी होती है.
- निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध न होने पर या गलत अथवा भ्रामक अथवा अधूरी सूचना देने पर उसकी अपील विभाग के अपीलीय अधिकारी को अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत की जाती है.
- विभागीय अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपील का निस्तारण तीस दिन के भीतर करना होता है.
- विभागीय अपीलीय अधिकारी के निर्णय से क्षुब्ध होने पर द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग को अधिनियम की धारा 19(3) के अन्तर्गत 90 दिन की समयावधि के भीतर की जा सकती है.
- यदि किसी नागरिक को सूचना पाने में कोई कठिनाई होती है अथवा किसी लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी से अपूर्ण, असत्य अथवा भ्रामक सूचना प्राप्त होती है, तो वह अधिनियम की धारा 18(1) के अन्तर्गत आयोग को शिकायत भी दर्ज कर सकता है, आयोग ऐसे प्रकरणों की आवश्यकतानुसार जांच भी करा सकता है.

## लोक प्राधिकारी

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2 (परिभाषायें) के अन्तर्गत अधिनियम में 'लोक प्राधिकारी' से (क) संविधान द्वारा या उसके अधीन; (ख) संसद द्वारा बनाई गयी किसी अन्य विधि द्वारा; (ग) राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गयी किसी अन्य विधि द्वारा; (घ) समुचित सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना या किये गये आदेश द्वारा स्थापित या गठित कोई प्राधिकरण या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था अभिप्रेत है; और इसके अन्तर्गत (i) कोई ऐसा निकाय जो केंद्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध करायी गयी निधियों द्वारा वित्त

पोषित है; (ii) कोई ऐसा गैर सरकारी संगठन है जो समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध करायी गयी निधियों द्वारा वित्त पोषित है, सम्मिलित है.

उपरोक्त परिभाषा के अन्तर्गत ही उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी 29 जुलाई 2005 के शासनादेश द्वारा

- (i) सचिवालय में शासन के समस्त विभागों,
- (ii) शासन के समस्त निदेशालयों,
- (iii) निदेशालयों के मुख्यालयों,
- (iv) मण्डल स्तरीय सभी कार्यालयों,
- (v) जनपद स्तरीय सभी कार्यालयों,
- (vi) सब डिविजन स्तरीय सभी कार्यालयों,
- (vii) विकास खण्ड स्तरीय सभी कार्यालयों,
- (viii) सभी सार्वजनिक निगमों, परिषदों, प्राधिकरणों, संस्थाओं, स्वायत्तशासी संस्थाओं तथा अन्य निकायों,
- (ix) शहरी क्षेत्रों की समस्त नगर पंचायतों, नगर पालिका परिषदों तथा नगर निगम,
- (x) प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों, तथा
- (xi) ऐसी सभी गैर सरकारी संस्थाओं को, जो प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार से बड़ी मात्रा में वित्त पोषित हैं, लोक प्राधिकारी घोषित किया गया है (शासनादेश संख्या 177/XXII/2005 दिनांक 29/07/05).

इसके अतिरिक्त राज्य विधान सभा द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा गठित विश्वविद्यालय भी लोक प्राधिकारी की परिभाषा से आच्छादित होते हैं.

शासनादेश संख्या 177/XXII/2005; 29/07/05 को उत्तराखण्ड कार्य (बंटवारा) नियमावली, 2003 के नियम 4 के साथ पढ़े जाने पर यह स्पष्ट होगा कि सभी प्रमुख सचिव या सचिव, जिस विभाग / जिन विभागों के वे प्रशासनिक मुखिया हैं, वे इन लोक प्राधिकारियों को प्रख्यापित करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी हैं. उत्तराखण्ड कार्य (बंटवारा) नियमावली, 2003 के नियम 4 तथा शासनादेश दिनांक 29 जुलाई 2005 के अनुसार विभागीय प्रमुख सचिव / सचिव का यह उत्तरदायित्व है कि वह अपने प्रशासनिक विभाग के अन्तर्गत सभी लोक प्राधिकारियों को प्रख्यापित कर उनसे अपेक्षा करें कि वे सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जो लोक प्राधिकारियों के कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व हैं, उनका अनुपालन करें. लोक प्राधिकारियों को प्रख्यापित करने में किये गये विलम्ब से सूचना का अधिकार अधिनियम के उपबंधों का क्रियान्वयन प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है.

सूचना का अधिकार अधिनियम में एक महत्वपूर्ण 'स्टेक होल्डर' वे विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष भी हैं जिनको राज्य सरकार द्वारा मुख्य रूप से बतौर लोक प्राधिकारी चिन्हंकित किया गया है तथा जिन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों के क्रियान्वयन हेतु मुख्य रूप से उत्तरदायी माना गया है।

## लोक सूचना अधिकारी तथा विभागीय अपीलीय अधिकारी

प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 5(1) के अनुपालन में लोक सूचना अधिकारियों का नामांकन किया जायेगा। यह लोक सूचना अधिकारी प्रत्येक लोक प्राधिकारी के समस्त प्रशासनिक इकाइयों तथा कार्यालयों के लिए अलग-अलग नामित किये जाने हैं। लोक सूचना अधिकारी ऐसा अधिकारी होगा जिसे लोक प्राधिकारी की अभिरक्षा में रखी गयी सूचना उपलब्ध कराने में किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो।

लोक सूचना अधिकारियों तथा सहायक लोक सूचना अधिकारियों की संख्या तथा उन्हें किस स्तर तक नामित किया जाये, इसका निर्धारण करते समय जन सामान्य की सुविधा का भी ध्यान रखा जायेगा।

ऐसी गैर सरकारी संस्थाएँ, जिन्हें लोक प्राधिकारी के रूप में चिन्हित किया गया है, वे भी लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी तथा अपीलीय अधिकारी नामित करेंगे।

अधिनियम की धारा 5(2) के अनुसार प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारियों के स्तर पर इतनी संख्या में सहायक लोक सूचना अधिकारी नामित किये जायेंगे जिससे प्रार्थना पत्र / अपीलों को प्रस्तुत करने में जन सामान्य को कोई कठिनाई न हो।

प्रत्येक लोक प्राधिकारी के द्वारा प्रथम अपील के लिए विभागीय अपीलीय अधिकारी को भी नामित किया जायेगा जो नामित लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ स्तर का कोई अधिकारी होगा।

लोक सूचना अधिकारियों तथा विभागीय अपीलीय अधिकारियों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्रों, संदर्भों, शिकायतों तथा अपीलों को सामान्य पत्राचार के रूप में व्यवहृत न कर इनके लिए निर्धारित अलग पंजिका में इस प्रकार से रखे जायेंगे जिससे सूचना का अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित किसी भी पत्राचार की प्राप्ति अथवा उसके निस्तारण सम्बन्धी सूचना तात्कालिक रूप से उपलब्ध हो सके तथा अन्य श्रोतों से मांगे जाने पर सम्बन्धित सूचना तत्काल उपलब्ध करायी जा सके।

## अधिनियम की महत्वपूर्ण धाराएँ

### धारा 4

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत समस्त लोक प्राधिकारियों द्वारा सूचना को स्वैच्छिक रूप से प्रकट (Pro-Active Disclosures) करने का प्राविधान है। अधिनियम की धारा 1(3) के अनुसार प्रत्येक लोक प्राधिकारी को अधिनियम की धारा 4(1) के अन्तर्गत इंगित अभिलेखों को अधिनियम के गजट नोटिफिकेशन के 120 दिन के अन्दर अर्थात् 12/10/2005 तक पूर्ण कर लेना अपेक्षित था, जिससे लोक प्राधिकारी से सम्बन्धित सूचना इस अधिनियम के अन्तर्गत विभागीय मैनुअल के रूप में जन-सामान्य को आसानी से सुलभ हो सके। प्रत्येक मैनुअल के अन्त में, मैनुअल के नैरेटिव के सापेक्ष, मूल शासनादेशों की प्रतियां भी क्रमबद्ध रूप से संलग्न किये जाने होते हैं जिससे ऐसे सभी सुसंगत तथ्य इन मैनुअलों में उपलब्ध हों जो जनता को प्रभावित करते हैं।

लोक प्राधिकारियों द्वारा तैयार मैनुअलों तक जनसामान्य की पहुंच को सहज बनाने के उद्देश्य से अधिनियम की धारा 4(2), 4(3) तथा 4(4) के अन्तर्गत मैनुअलों को प्रकाशित करने तथा इंटरनेट के माध्यम से प्रसारित करना सुनिश्चित करना होता है।

### धारा 6

किसी भी लोक प्राधिकारी से सूचना प्राप्त करने के लिए अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी को निर्धारित फीस के साथ आवेदन किया जाना होता है। इस अनुरोध पत्र में आवेदक को अपने डाक पते के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं देनी होती है।

यदि लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त आवेदन पत्र में मांगी गयी सूचना उसके कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है, अथवा उसके कार्यालय द्वारा धारित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वह लोक सूचना अधिकारी अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत अनुरोध पत्र को सही/सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी को 5 दिन की अवधि में अन्तरित करना सुनिश्चित करेगा, तथा इस अन्तरण के सम्बन्ध में आवेदक को भी लिखित रूप में सूचित करेगा।

### धारा 7

प्राप्त अनुरोध पत्र पर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी द्वारा (i) मांगी गयी सूचना के सापेक्ष अतिरिक्त शुल्क (यदि हो तो आवेदन प्राप्त होने के 07 दिन के भीतर) की गणना कर आवेदक को अवगत कराया जायेगा, तथा अतिरिक्त शुल्क की धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त वांछित सूचना आवेदक को उपलब्ध करायी जायेगी; अथवा (ii) आवेदन प्राप्त होने के तीस

दिन के भीतर वांछित सूचना आवेदक को उपलब्ध करायी जायेगी. जीवन एवं स्वतंत्रता से सम्बन्धित सूचना 48 घण्टे के अन्दर दिया जाना प्राविधानित है.

#### धारा 8

अधिनियम की इस धारा के अन्तर्गत ऐसी सूचना को प्रकट किये जाने से छूट दी गयी है –

- (i) जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से सम्बन्ध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो,
- (ii) जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अभिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया हो, या जिसके प्रकटन से न्यायालय की अवमानना होती हो,
- (iii) जिसके प्रकटन से संसद् या किसी राज्य के विधान-मण्डल का विशेषाधिकार भंग होता हो,
- (iv) वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक सम्पदा से सम्बन्धित सूचना, अथवा किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वसिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना जिसके प्रकटन से किसी पर व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता हो,
- (v) जिसके प्रकटन से किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरा हो सके या जो विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विश्वास में दी गई किसी सूचना या सहायता के स्रोत की पहचान करे,
- (vi) जिसके प्रकटन से अपराधियों के पकड़े जाने, अपराध की विवेचना या अभियोजन की क्रिया में अड़चन पड़ेगी,
- (vii) मंत्रिमंडल के कागजपत्र जिसके प्रकटन से मंत्रिपरिषद्, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श में अड़चन पड़ेगी,
- (viii) ऐसी सूचना जो व्यक्तिगत सूचना से सम्बन्धित है, जिसका किसी लोक क्रियाकलाप या हित से सम्बन्ध नहीं है या जिसके प्रकटन से किसी व्यक्ति की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण हो.

उपरोक्त में से (iv), (v) एवं (viii) से सम्बन्धित सूचनाओं के सम्बन्ध में यदि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी सूचनाओं का प्रकटन व्यापक लोक हित में है, तब ऐसी सूचनाओं को भी आवेदनकर्ताओं को उपलब्ध कराया जायेगा.

मंत्रिपरिषद् के विनिश्चय, उनके कारण तथा वह सामग्री जिसके आधार पर विनिश्चय किये गये थे, को विनिश्चय किये जाने तथा विषय के पूरा या समाप्त होने के बाद आवेदनकर्ताओं को उपलब्ध कराये जायेंगे.

#### धारा 18

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18(1) के अन्तर्गत आयोग द्वारा ऐसे प्रकरणों में जनसामान्य से प्राप्त शिकायतें प्राप्त कर उनकी जांच की जा सकती है जहां किसी भी नागरिक को

- सूचना देने से इंकार किया गया हो,
- मिथ्या अथवा भ्रामक सूचना उपलब्ध करायी गयी हो,
- अनुचित फीस की मांग की गयी हो,
- अभिलेख उपलब्ध न कराये गये हों, अथवा
- समय से सूचना उपलब्ध न करायी गयी हो.

आयोग द्वारा लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी के विरुद्ध ऐसी प्राप्त शिकायत को दर्ज कर उसकी जांच अधिनियम की धारा 18(2) में की जा सकती है. ऐसी जांचों के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 18(3) में आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन समन प्रेषित करने, शपथ पत्र पर लिखित/मौखिक साक्ष्य लेने आदि जैसी सिविल न्यायालय की शक्तियां भी प्रदान की गयी हैं.

#### धारा 19

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत आवेदकों को विभागीय स्तर पर प्रथम अपील करने का अधिकार प्रदान किया गया है जिसका प्रयोग उनके द्वारा सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी से अस्पष्ट सूचना प्राप्त होने/सूचना न प्राप्त होने अथवा प्राप्त सूचना से संतुष्ट न होने की स्थिति में किया जाता है. प्रथम अपील की नियमानुसार सुनवाई ऐसे नामित विभागीय अधिकारियों द्वारा किये जाने का प्राविधान अधिनियम में दिया गया है जो लोक सूचना अधिकारी से उच्च स्तर के हों. प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा प्राप्त प्रथम अपीलों का 30 दिन की समयावधि के भीतर निस्तारण करना होता है. प्रथम अपील पर दिये गये निर्णय लिखित में जारी करने में यदि निर्धारित 30 दिन की अवधि से अधिक समय लगता है तो इस अतिरिक्त अवधि के लिए लिखित में आवश्यक रूप से कारण अभिलिखित करना चाहिए तथा यह अतिरिक्त अवधि निर्धारित 30 दिन की अवधि सहित किसी भी दशा में कुल 45 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए.

प्रथम अपील की नियमानुसार सुनवायी व निस्तारण न होने, अथवा प्रथम अपील के निस्तारण से क्षुब्ध होने की स्थिति में अपीलकर्ता द्वारा आयोग में अधिनियम की धारा 19(3) के अन्तर्गत द्वितीय अपील की जा सकती है. इस द्वितीय अपील में अपीलकर्ता को अपने सूचना अनुरोध पत्र, लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त सूचना (यदि दी गयी हो), प्रेषित प्रथम अपील तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा किये गये निस्तारण (यदि किया गया हो) की स्व:प्रमाणित प्रतियां लगायी जानी आवश्यक हैं. द्वितीय अपील को आयोग में तीन प्रतियों में जमा कराना होता है.

**उत्तराखण्ड  
सूचना आयोग**



# 2.

## उत्तराखण्ड सूचना आयोग

उत्तराखण्ड सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 की उपधारा (1) के अन्तर्गत, उत्तरांचल शासन, सूचना अनुभाग की अधिसूचना संख्या 253/XXII/2005-1(20)2005 दिनांक 03 अक्टूबर 2005 के द्वारा किया गया था जिसके क्रम में राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में डा. आर. एस. टोलिया की नियुक्ति उत्तरांचल शासन, सूचना अनुभाग की अधिसूचना संख्या 252/XXII/2005-1(20)2005 दिनांक 03 अक्टूबर 2005 के द्वारा की गयी थी. इसके उपरान्त राज्य सरकार द्वारा माह नवम्बर, 2009 में अधिसूचना संख्या 780/XXX(13)G/2009 दिनांक 11 नवम्बर, 2009 के द्वारा श्री विनोद नौटियाल को राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। राज्य सूचना आयुक्त के रूप में श्री विनोद नौटियाल का पाँच वर्ष का कार्यकाल दिनांक 15/12/2014 को पूर्ण हुआ।

आयोग एवं प्रदेश के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त डा. आर. एस. टोलिया दिनांक 17/10/2010 को सेवानिवृत्त हुये जिसके उपरांत दिनांक 19/10/2010 को राज्य सरकार द्वारा श्री एन. एस. नपलच्याल को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया (अधिसूचना संख्या 933/XXX(13)G/2009-52(5)207). दिनांक 19/10/2010 को ही राज्य सरकार द्वारा श्री अनिल कुमार शर्मा तथा श्री प्रभात डबराल को भी राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति प्रदान की गयी. (अधिसूचना संख्या 934/XXX(13)G/2009-52(5)207 तथा अधिसूचना संख्या 935/XXX(13)G/2009-52(5)207).

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10/05/2013 को श्री राजेन्द्र कोटियाल को राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति प्रदान की गयी. (अधिसूचना संख्या : 1594/xxxi(13)G/2013-41 सा./2013).

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15/01/2014 को श्री सुरेन्द्र सिंह रावत को राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति प्रदान की गयी. (अधिसूचना संख्या : 81/xxxi(13)G/2014-41 सा./2013).

श्री एन.एस. नपलच्याल के दिनांक 01/04/2015 को सेवानिवृत्त होने पर शासनादेश संख्या 330/xxxi(13)G/15-2 के द्वारा राज्य सरकार द्वारा नये मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किये जाने तक श्री प्रभात डबराल, राज्य सूचना आयुक्त को उत्तराखण्ड सूचना आयोग के सामान्य अधीक्षण एवं प्रबंधन करने के लिए नामित किया गया।

दिनांक 18/10/2015 को श्री अनिल कुमार शर्मा तथा श्री प्रभात डबराल के सेवानिवृत्त होने पर शासनादेश संख्या 2562/xxxi(13)G/15-2 के द्वारा राज्य सरकार द्वारा नये मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किये जाने तक श्री राजेन्द्र कोटियाल, राज्य सूचना आयुक्त को उत्तराखण्ड सूचना आयोग के सामान्य अधीक्षण एवं प्रबंधन करने के लिए नामित किया गया।

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या : 1342 (i)/xxxi (15)G-02/2016 दिनांक 08/11/2016 के द्वारा राज्य सरकार द्वारा श्री शत्रुघ्न सिंह को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। श्री शत्रुघ्न सिंह द्वारा दिनांक 19/11/2016 को मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यभार ग्रहण किया गया।

इस प्रकार वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 की अवधि में उत्तराखण्ड सूचना आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों पर सुनवाई मुख्य सूचना आयुक्त श्री शत्रुघ्न सिंह, राज्य सूचना आयुक्त, श्री राजेन्द्र कोटियाल तथा राज्य सूचना आयुक्त श्री सुरेन्द्र सिंह रावत द्वारा की गयी.

### राज्य सूचना आयोग के लिए अधिनियम में दी गयी व्यवस्थायें

- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 के अनुसार राज्य सरकार गजट में अधिसूचना जारी करके एक राज्य सूचना आयोग का गठन करेगी. राज्य सूचना आयोग में एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा यथा आवश्यक अधिकतम दस राज्य सूचना आयुक्त हो सकते हैं. इन आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर महामहिम श्री राज्यपाल द्वारा की जायेगी. इस समिति के अध्यक्ष मा. मुख्यमंत्री होंगे तथा विधानसभा में विपक्ष के नेता तथा मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होंगे.
- अधिनियम की धारा 15(5) के अनुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त वही व्यक्ति नियुक्त किये जा सकेंगे जो सार्वजनिक जीवन में जानेमाने व्यक्ति हों तथा उन्हें कानून, विज्ञान व टेक्नॉलाजी, समाज सेवा, प्रबन्धन, पत्रकारिता, मास मीडिया या प्रशासन क्षेत्र का विस्तृत ज्ञान व अनुभव हो. इन्हें न तो सांसद होना चाहिए और न ही किसी राज्य की विधानसभा या विधान मंडल का सदस्य होना चाहिये.

उन्हें किसी राजनैतिक दल का पदाधिकारी भी नहीं होना चाहिये. इन्हें किसी व्यापार या व्यवसाय में भी नहीं लिप्त होना चाहिये.

- मुख्य सूचना आयुक्त व राज्य सूचना आयुक्तों को महामहिम श्री राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होगी.
- मुख्य सूचना आयुक्त व राज्य सूचना आयुक्त राज्यपाल को सम्बोधित इस्तीफा देकर किसी भी समय अपना पद त्याग सकते हैं.
- राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की सेवा शर्तें व भत्ते भारत निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त के समान होंगे तथा राज्य सूचना आयुक्तों की सेवा शर्तें व भत्ते राज्य के मुख्य सचिव के समान होंगे. इस वेतन, भत्ते में से पिछली सेवा के पेंशन लाभों को घटा दिया जायेगा. इनके सेवा काल में वेतन, भत्ते व अन्य सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जायेगा.
- मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य राज्य सूचना आयुक्तों को अपने कार्य करने के लिये आवश्यकतानुसार स्टाफ आदि की उपलब्धता राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित की जायेगी.
- उत्तराखण्ड सूचना आयोग का कार्यालय सूचना का अधिकार भवन, मसूरी बाईपास रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून से संचालित हो रहा है.

## आयोग की शक्तियां और कृत्य, अपील तथा शास्तियां

### शिकायतों पर कार्यवाही

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18(1) के अधीन आयोग किसी भी नागरिक को सूचना न मिलने, मिथ्या अथवा भ्रामक सूचना उपलब्ध कराने, अनुचित फीस मांगने, अभिलेख उपलब्ध न कराने अथवा समय से सूचना उपलब्ध न कराने के सम्बन्ध में किसी लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी के विरुद्ध प्राप्त शिकायत को दर्ज कर उसकी जांच अधिनियम की धारा 18(2) में कर सकता है. ऐसी जांचों के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 18(3) में आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय की निम्नलिखित शक्तियां प्रदान की गयी है :

- किन्हीं व्यक्तियों को समन करना, और उन्हें उपस्थित कराना, शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने के लिए और दस्तावेज या चीजें पेश करने के लिए उनको विवश करना

- दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना
- किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियां मांगना
- साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन जारी करना
- कोई अन्य विषय जो विहित किया जाये.

## आयोग स्तर पर द्वितीय अपील का निस्तारण

लोक सूचना अधिकारी के किसी विनिश्चय के विरुद्ध प्रथम अपील, लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी, जिसे अपीलीय अधिकारी नामित किया गया है, को विनिश्चय के 30 दिन के भीतर की जा सकती है. प्रथम अपील के विभागीय अपीलीय अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग में 90 दिन के भीतर की जा सकेगी. द्वितीय अपील में अपने विनिश्चय के सम्बन्ध में राज्य सूचना आयोग को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त हैं :

- लोक प्राधिकारियों से ऐसे उपाय करने की अपेक्षा करना जो अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों.
- सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराना, यदि विशिष्ट प्रारूप में ऐसा अनुरोध किया गया है.
- लोक प्राधिकारियों में यथास्थिति लोक सूचना अधिकारी / अपीलीय अधिकारी को नियुक्त करना.
- लोक प्राधिकारी के यहां अभिलेखों के अनुरक्षण, प्रबंध और विनिष्ठीकरण से संबंधित अपनी पद्धतियों में आवश्यक परिवर्तन करना.
- अधिकारियों के लिए सूचना का अधिकार के सम्बन्ध में प्रशिक्षण के उपबंध को बढ़ाना.
- लोक प्राधिकारी से शिकायकर्ता को, उसके द्वारा वहन की गयी किसी हानि या अन्य नुकसान के लिए प्रतिपूरित करने की अपेक्षा करना.
- अधिनियम के अधीन उपबंधित शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करना

द्वितीय अपील में राज्य सूचना आयोग का विनिश्चय बाध्यकारी होगा.

## शास्ति एवं विभागीय कार्यवाही

अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत आयोग यदि किसी शिकायत या अपील के विनिश्चय करते समय पाता है कि किसी लोक सूचना अधिकारी ने युक्तियुक्त कारण के बिना सूचना के लिये आवेदन प्राप्त करने से इंकार किया है या विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है, या असद्भावपूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इंकार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या उस सूचना को नष्ट किया है जो अनुरोध का विषय थी या सूचना देने में बाधा डाली है तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जब तक सूचना दी जाती है, दो सौ पचास रुपये की शास्ति अधिरोपित कर सकता है, तथापि ऐसी शास्ति की कुल रकम पच्चीस हजार रुपये से अधिक नहीं होगी. परन्तु शास्ति अधिरोपित करने से पूर्व संबंधित लोक सूचना अधिकारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा. अधिनियम की धारा 20(2) के अधीन आयोग ऐसे प्रकरणों में लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध विभागीय सेवा नियमावली के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की सिफारिश भी कर सकता है.

## अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

अधिनियम की धारा 25 में सूचना आयोग को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के सम्बन्ध में लोक प्राधिकारी के कार्यों के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण के अधिकार प्रदान किये गये हैं. इनमें मुख्यतः :

- प्रत्येक विभाग / लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचनाओं को एकत्रित कराना जो इस अधिनियम के अन्तर्गत वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए अपेक्षित है.
- प्रत्येक विभाग / लोक प्राधिकारी इस धारा के प्रयोजनों के लिए उस सूचना को आयोग को देने तथा अभिलेख रखने से सम्बन्धित अपेक्षाओं का पालन करेगा.

- सूचना आयोग ऐसे सुधार के लिए सिफारिशें राज्य सरकार को प्रेषित करेगा जिनके अंतर्गत इस अधिनियम या विधान या सामान्य विधि के विकास, समुन्नति, आधुनिकीकरण, सुधार या संशोधन के लिए विशिष्ट लोक प्राधिकारियों के संबंध में सिफारिशें या सूचना तक पहुंच के अधिकार को प्रवर्तनशील बनाने के सुसंगत कोई अन्य विषय भी हैं.
- यदि सूचना आयोग को ऐसा प्रतीत होता है कि इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का प्रयोग करने के सम्बन्ध में किसी लोक प्राधिकारी की पद्धति इस अधिनियम के उपबंधों या भावना के अनुरूप नहीं हैं तो वह लोक प्राधिकारी को ऐसे उपाय विनिर्दिष्ट करते हुये, जो ऐसी अनुरूपता बढ़ाने के लिए किये जाने चाहिए, सिफारिश कर सकेगा.

## वार्षिक प्रतिवेदन

आयोग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 25(1) के प्राविधान के क्रम में प्रत्येक वर्ष अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में एक वार्षिक रिपोर्ट / प्रतिवेदन तैयार किया जाता है तथा उसकी प्रतियां राज्य सरकार को प्रेषित की जाती हैं. अधिनियम की धारा 25(4) के अनुसार आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन को राज्य सरकार द्वारा विधान मण्डल के पटल पर रखा जाता है.

उक्त वार्षिक प्रतिवेदन को तैयार करने के लिए राज्य सरकार के समस्त विभागों द्वारा अपने – अपने लोक प्राधिकारियों के सम्बन्ध में आयोग द्वारा अपेक्षित सूचना को अधिनियम की धारा 25(2) के क्रम में आयोग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करना होता है.





**आयोग की संस्तुतियों पर  
राज्य सरकार द्वारा  
की गयी कार्यवाही**



# 3.

## आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही

आयोग द्वारा राज्य सरकार को ऐसी संस्तुतियां की जाती हैं जिनके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों को सकारात्मक एवं व्यापक रूप में क्रियान्वित किये जाने में सफलता प्राप्त हो सकती है। ऐसी संस्तुतियां सूचना आयोग द्वारा अपने वार्षिक प्रतिवेदनों के माध्यम से की जाती हैं।

इसी क्रम में आयोग द्वारा निम्नलिखित 13 संस्तुतियां वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से राज्य सरकार को की गयी थीं :

### संस्तुति : 1

आयोग द्वारा वर्ष 2011-12 के वार्षिक प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों के क्रम में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1) (ख) के अंतर्गत लोक प्राधिकारियों द्वारा तैयार किये गये 17 मैनुअलों को प्रतिवर्ष अद्यतन किये जाने तथा अधिनियम की धारा 4(2), 4(3) तथा 4(4) के अंतर्गत मैनुअलों तक जनसामान्य की पहुंच को सहज बनाने के उद्देश्य से उनको प्रकाशित करने तथा इंटरनेट के माध्यम से प्रसारित करने के सम्बन्ध में शासन स्तर से प्रदेश के समस्त लोक प्राधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किये गये थे। परन्तु जनसामान्य द्वारा आयोग को प्रेषित विभिन्न शिकायतों से यह परिलक्षित हुआ है कि अनेक विभागों/लोक प्राधिकारियों के द्वारा आयोग एवं शासन के उक्त निर्देशों का पूर्ण-रूपेण अनुपालन नहीं किया जा रहा है जिससे नागरिकों को सहजता से जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है।

अतः आयोग की संस्तुति है कि इस सम्बन्ध में समस्त लोक प्राधिकारियों द्वारा उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु शासन स्तर से एक व्यापक अनुश्रवण कार्यक्रम प्रारंभ किया जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि समस्त लोक प्राधिकारियों के द्वारा अपने विभाग से सम्बन्धित वांछित सूचनायें अपनी-अपनी वेबसाईट पर उपलब्ध करायी गयी हैं तथा उनका नियत समयावधि के अन्तर्गत अद्यावधिकरण भी किया जा रहा है।

### संस्तुति : 2

अधिनियम के प्रयोग के सम्बन्ध में प्रदेश के विभिन्न लोक प्राधिकारियों/लोक सूचना अधिकारियों के द्वारा आयोग को प्रेषित आंकड़ों के विश्लेषण से यह तथ्य निरन्तर प्रकाश में आ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना का अधिकार अधिनियम के संबंध में जागरूकता का स्तर शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा अत्यधिक कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसामान्य को अधिनियम के सम्बन्ध में समुचित जानकारी की कमी के कारण उनके द्वारा अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों का सही प्रकार से प्रयोग नहीं किया जाता है जिस कारण उन्हें सम्यान्तर्गत वांछित सूचना सुलभता से प्राप्त करने में कठिनाई भी होती है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में अधिनियम के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः आयोग की संस्तुति है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिनियम का उपयोग बढ़ाने के उद्देश्य से इन क्षेत्रों में अधिनियम के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु राज्य सरकार के स्तर पर एक व्यापक एवं प्रभावी कार्य योजना बनायी जायें तथा अधिनियम के उपयोग के सम्बन्ध में विकास खण्ड एवं ग्राम स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार किया जायें।

### संस्तुति : 3

उत्तराखण्ड शासन द्वारा अधिसूचित 'उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार अधिनियम नियावली, 2013' के नियम 2(ग) में आयोग को परिभाषित किया गया है जिसमें लिखा है कि **आयोग से उत्तराखण्ड सूचना आयोग अभिप्रेत है।**

आयोग की संस्तुति है कि उपरोक्त नियमावली में यह परिभाषा उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली, 2015 की तरह निम्नानुसार होना चाहिए – *"आयोग का तात्पर्य अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अन्तर्गत गठित उत्तराखण्ड सूचना आयोग से है और इसके अन्तर्गत इस अधिनियम के सुसंगत उपबन्धों के अधीन किसी शिकायत या अपील की सुनवाई का संचालन करने वाला मुख्य सूचना आयुक्त या कोई अन्य सूचना आयुक्त भी है।"*

#### संस्तुति : 4

आयोग की संस्तुति है कि 'उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार अधिनियम नियावली, 2013' के नियम 5 (क) के अन्त में यह जोड़ा जाना चाहिए कि **सूचना प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत अनुरोध पत्र में पाँच सौ से अधिक शब्द नहीं होने चाहिये।**

#### संस्तुति : 5

ग्राम प्रधान निर्वाचित पदाधिकारी हैं। ग्राम पंचायत कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी प्रधान नामित हैं। उनके अपीलीय अधिकारी खण्ड विकास अधिकारी नामित हैं। धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में प्रावधान है कि अपीलीय अधिकारी लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी होगा। निर्वाचित प्रधान को लोक सूचना अधिकारी नामित किया जाना और खण्ड विकास अधिकारी को उसका अपीलीय अधिकारी बनाना विधि के प्रावधानों के अनुकूल नहीं है। निर्वाचित पदाधिकारियों को लोक सूचना अधिकारी नामित करने की अपेक्षा अधिनियम में नहीं है। **आयोग की संस्तुति है कि** ग्राम पंचायत विकास अधिकारी तथा ग्राम विकास अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी नामित किया जाये तथा खण्ड विकास अधिकारी को अपीलीय अधिकारी नामित किया जाये।

#### संस्तुति : 6

राज्य सरकार के सचिवालय में एक ही विभाग के अनुभागों के लिए अलग-अलग लोक सूचना अधिकारी नामित किये गये हैं। यह विधि के प्रावधानों के अनुसार उचित नहीं है। **आयोग की संस्तुति है कि** पूरे विभाग के लिए लोक सूचना अधिकारी नामित करने की कार्यवाही राज्य सरकार के सचिवालय में की जानी चाहिए।

#### संस्तुति : 7

धारा 4(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में लोक प्राधिकारी की अधिक से अधिक सूचना वैबसाइट पर प्रकाशित करने के संबंध में प्रावधान किया गया है। दिनांक 08/12/2011 को सुराज भ्रष्टाचार निवारण एवं जनसेवा विभाग द्वारा शासनादेश निर्गत कर निर्माण के ठेकों, सामग्री की आपूर्ति के ठेकों, विभागीय पदोन्नति समिति के बैठक की कार्यवाहियों, भूमि के पट्टों आदि दस प्रकृति की सूचनाओं को वैबसाइट पर प्रदर्शित करने का निर्णय लिया था। इसका क्रियान्वयन अभी तक सरकार द्वारा नहीं कराया गया है।

**आयोग की संस्तुति है कि** इसका क्रियान्वयन प्रभावी रूप से कराया जाना चाहिए।

#### संस्तुति : 8

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) में लोक प्राधिकारी के कार्यालयों में अभिलेखों के कैटलॉग तथा इन्डेक्स बनाये जाने का प्रावधान है जिसका पालन लोक प्राधिकारी के कार्यालयों में नहीं हो रहा है। इसके लिए **आयोग की संस्तुति है कि** सरकार की ओर से सम्यक कड़े निर्देश सभी लोक प्राधिकारी के कार्यालयों को दिये जाने चाहिए और उसका अनुश्रवण करके अनुपालन की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए।

#### संस्तुति : 9

सूचना आयोग का स्तर राज्य सरकार के सचिवालय, लोक सेवा आयोग एवं मा0 उच्च न्यायालय के कार्यालयों समकक्ष है परन्तु आयोग में समकक्ष पदों के वेतनमान कम रखे गये हैं। **आयोग की संस्तुति है कि** आयोग में समकक्ष पदों के वेतनमानों को सचिवालय के समकक्ष पदों के वेतनमान के समान करने की कार्यवाही होनी चाहिए।

#### संस्तुति : 10

आयोग के गठन पर राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों से पांच व्यक्ति आयोग में कार्य संचालन हेतु बुलाये गये थे जो अभी कार्यरत हैं। उनके संविलियन की कार्यवाही लम्बे समय से विचाराधीन है। **आयोग की संस्तुति है कि** सरकार को इसको शीघ्र पूरा करना चाहिए।

#### संस्तुति : 11

आयोग के सेवा निवृत्त राज्य सूचना आयुक्तों को पेंशन व अन्य सेवा निवृत्तक लाभ निर्गत करने की कार्यवाही सरकार द्वारा अभी तक नहीं की गयी है। एक सूचना आयुक्त को सेवा निवृत्त हुए ढाई वर्ष से अधिक का समय हो रहा है। **आयोग की संस्तुति है कि** आयोग की गरिमा बनाये रखने के लिए सरकार को इस संबंध में त्वरित कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

#### संस्तुति : 12

सरकार के पेयजल विभाग के अंतर्गत एकल ग्राम योजना के लिए पेयजल उपभोक्ता एवं स्वच्छता समिति द्वारा योजनाओं

की स्थापना एवं संचालन किया जाता है। उनको लोक सूचना अधिकारी नामित नहीं किया गया है जिससे सूचना के अनुरोध पत्रों पर प्रभावी कार्यवाही नहीं हो पा रही है। **आयोग की संस्तुति है कि** पेयजल विभाग में लोक सूचना अधिकारी नामित करने की कार्यवाही शीघ्र होनी चाहिए।

### संस्तुति : 13

सरकार में लोक सूचना अधिकारी तथा अपीलीय अधिकारी नामित करने की कार्यवाही विभिन्न स्तरों पर कर ली गयी है। लोक सूचना अधिकारी अथवा विभागीय अपीलीय अधिकारी राज्य सरकार के संबंधित विभाग द्वारा विभाग के विभिन्न कार्यालयों प्रशासनिक इकाईयों के लिए नामित करने की कार्यवाही करनी चाहिए। **आयोग की संस्तुति है कि** शासन स्तर पर इसकी समीक्षा करके आवश्यक व्यवस्था बनाये जाने की आवश्यकता है।



वर्ष	संस्तुतियों की संख्या	कृत कार्यवाही
2005 — 06	03	03
2006 — 07	20	12
2007 — 08	08	04
2008 — 09	09	04
2009 — 10	04	04
2010 — 11	05	05
2011 — 12	03	02
2012 — 13	03	02
2013 — 14	05	02
2014 — 15	05	00
2015 — 16	13	00



**सूचना आवेदन पत्रों,  
द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों  
का  
संख्यात्मक विवरण**



# 4.


## सूचना आवेदन पत्रों, द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों का संख्यात्मक विवरण

विभिन्न लोक प्राधिकारियों के स्तर से आयोग को मासिक प्रगति विवरणों तथा आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों के संख्यात्मक विवरण को निम्नलिखित ग्राफ / संख्यात्मक विवरण के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है :


- 4.1 प्रदेश के लोक प्राधिकारियों को प्राप्त सूचना आवेदन पत्रों की संख्या (वर्ष 2016-17)
- 4.2 प्रदेश के लोक प्राधिकारियों को प्राप्त सूचना आवेदन पत्रों की संख्या (वर्ष 2017-18)
- 4.3 विगत वर्षों में प्रदेश के लोक प्राधिकारियों को प्राप्त एवं निस्तारित सूचना आवेदन पत्र
- 4.4 आयोग में लोक प्राधिकारीवार प्राप्त द्वितीय अपीलों की संख्या (वर्ष 2016-17)
- 4.5 आयोग में लोक प्राधिकारीवार प्राप्त द्वितीय अपीलों की संख्या (वर्ष 2017-18)
- 4.6- 4.7 विगत वर्षों में आयोग में प्राप्त द्वितीय अपील एवं उनका निस्तारण
- 4.8 आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों का जनपदवार प्रतिशत (वर्ष 2016-17)
- 4.9 आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों का जनपदवार प्रतिशत (वर्ष 2017-18)
- 4.10 आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों का महिला - पुरुष अनुपात (वर्ष 2016-17)
- 4.11 आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों का महिला - पुरुष अनुपात (वर्ष 2017-18)
- 4.12 आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों का शहरी - ग्रामीण क्षेत्रों का अनुपात (वर्ष 2016-17)
- 4.13 आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों का शहरी - ग्रामीण क्षेत्रों का अनुपात (वर्ष 2017-18)
- 4.14 आयोग में धारा 18 के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों का जनपदवार प्रतिशत (वर्ष 2016-17)
- 4.15 आयोग में धारा 18 के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों का जनपदवार प्रतिशत (वर्ष 2017-18)
- 4.16 आयोग में प्राप्त शिकायतों का महिला - पुरुष अनुपात (वर्ष 2016-17)
- 4.17 आयोग में प्राप्त शिकायतों का महिला - पुरुष अनुपात (वर्ष 2017-18)
- 4.18 आयोग में प्राप्त शिकायतों का शहरी - ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिशत (वर्ष 2016-17)
- 4.19 आयोग में प्राप्त शिकायतों का शहरी - ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिशत (वर्ष 2017-18)
- 4.20 लोक प्राधिकारीवार मासिक प्रगति विवरण (वर्ष 2016-17)
- 4.21 लोक प्राधिकारीवार मासिक प्रगति विवरण (वर्ष 2017-18)

### लोक प्राधिकारीवार प्राप्त सूचना आवेदन पत्र (2016-17)


श्रेणी - क (ऐसे विभाग जहां 3400 से 25000 आवेदन पत्र प्राप्त हुये)



### श्रेणी - ख (ऐसे विभाग जहां 1100 से 3100 आवेदन पत्र प्राप्त हुये)




**श्रेणी – ग (ऐसे विभाग जहां 0 से 1000 आवेदन पत्र प्राप्त हुये)**




**लोक प्राधिकारीवार प्राप्त सूचना आवेदन पत्र (2017 – 18)**


श्रेणी – क (ऐसे विभाग जिनके सम्बन्ध में 4000 से 21000 अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुये)




**श्रेणी – ख (ऐसे विभाग जहां 900 से 3500 के मध्य आवेदन पत्र प्राप्त हुये)**




**श्रेणी – ग (ऐसे विभाग जहां 50 – 900 के मध्य आवेदन पत्र प्राप्त हुये)**




विगत वर्षों में प्रदेश के लोक प्राधिकारियों को प्राप्त एवं निस्तारित सूचना आवेदन पत्र




**लोक प्राधिकारीवार आयोग मे प्राप्त द्वितीय अपीलों की संख्या (2016-17)**  
 श्रेणी – क (ऐसे विभाग जिनके सम्बन्ध में अधिक संख्या में द्वितीय अपील प्राप्त हुयी)




**श्रेणी – ख (ऐसे विभाग जिनके सम्बन्ध में सामान्य संख्या में द्वितीय अपील प्राप्त हुयी)**




**श्रेणी – ग (ऐसे विभाग जिनके सम्बन्ध में कम संख्या में द्वितीय अपील प्राप्त हुईं)**




**लोक प्राधिकारीवार आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों की संख्या (2017-18)**  
**श्रेणी – क (ऐसे विभाग जिनके सम्बन्ध में अधिक संख्या में द्वितीय अपील प्राप्त हुईं)**





**श्रेणी – ख (ऐसे विभाग जिनके सम्बन्ध में सामान्य संख्या में द्वितीय अपील प्राप्त हुयीं)**



**श्रेणी – ग (ऐसे विभाग जिनके सम्बन्ध में कम संख्या में द्वितीय अपील प्राप्त हुयीं)**




### आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों का निस्तारण




■ प्राप्त     
 ■ निस्तारित     
 ■ अवशेष


### जनपदवार प्राप्त द्वितीय अपीलें (प्रतिशत में) 2016 – 17




### जनपदवार प्राप्त द्वितीय अपीलें, (प्रतिशत में) 2017 – 18




द्वितीय अपीलों में महिला – पुरुष अनुपात (2016–17)




द्वितीय अपीलों में महिला – पुरुष अनुपात (2017–18)




द्वितीय अपीलों में ग्रामीण – शहरी क्षेत्र अनुपात (2016 – 17)




द्वितीय अपीलों में ग्रामीण – शहरी क्षेत्र अनुपात (2017 – 18)



जनपदवार प्राप्त शिकायतें, प्रतिशत में (2016 – 17)



जनपदवार प्राप्त शिकायतें, प्रतिशत में (2017 – 18)




शिकायतों में महिला – पुरुष अनुपात (2016 – 17)




शिकायतों में महिला – पुरुष अनुपात (2017 – 18)



शिकायतों में ग्रामीण – शहरी क्षेत्र अनुपात  
(2016 – 17)



शिकायतों में ग्रामीण – शहरी क्षेत्र अनुपात  
(2017 – 18)



लोक प्राधिकारी / विभागवार मासिक प्रगति विवरण

वर्ष : 2016 - 17

क्र.सं.	लोक प्राधिकारी / विभाग का नाम	सूचना अनुरोध पत्र		प्रथम अपील						प्राप्त सूचना आवेदन पत्रों के सापेक्ष एकत्रित कुल धनराशि (₹.)	धारा 8 (1)										
		प्राप्त अनुरोधों की कुल संख्या	निस्तारित आवेदनों की संख्या	निस्तारित में से अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	प्राप्त प्रथम अपीलों की कुल संख्या	निस्तारित प्रथम अपीलों की संख्या	निस्तारित में से अस्वीकृत प्रथम अपीलों की संख्या	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	कृषि	2514	2110	12	320	291	11	69182													
2	पशुपालन एवं मत्स्य	236	211	0	28	28	0	5663													
3	मुख्यमंत्री कार्यालय	573	569	4	42	40	0	6320													
4	नागरिक उड्डयन	37	36	2	7	7	0	2030													
5	गोपन	47	41	0	2	3	0	1550													
6	सहकारिता	735	735	0	38	38	0	45428													
7	संस्कृति एवं अभिलेखागार	149	458	1	22	24	0	940													
8	डेयरी विकास	230	236	0	24	27	0	8746													
9	आपदा प्रबंधन																				
10	पेयजल	1172	1079	0	275	227	0	9428													
11	उच्च शिक्षा	4352	4333	1	164	166	0	49143													
12	विद्यालयी शिक्षा	12066	11712	43	1500	1453	4	91679													
13	प्राविधिक शिक्षा	1902	1568	1	137	123	5	28075													
14	निर्वाचन	298	295	0	12	10	0	4156													
15	ऊर्जा	888	696	11	108	98	1	8200													
16	राज्य सम्यत्ति																				
17	सैनिक कल्याण	466	466	0	37	37	0	2792													
18	आवकारी	450	429	12	12	16	4	9546													
19	वित्त	3426	3306	5	217	212	1	85373													
20	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	1354	76	1255	145	106	2	37496													
21	वन	7286	5865	24	842	618	5	163546													
22	सामान्य प्रशासन	212	206	0	30	30	0	4274													
23	चिकि. स्वा. एवं परिवार कल्याण	954	936	8	103	89	13	13687													
24	गृह	25442	25817	167	1793	1758	120	206048	1												24



लोक प्राधिकारी / विभागवार मासिक प्रगति विवरण

क.सं.	लोक प्राधिकारी / विभाग का नाम	सूचना अनुरोध पत्र			प्राप्त सूचना			स्तंभ 5 के सापेक्ष अनुरोधों को अस्वीकृत करते समय किन प्रावधानों को लागू किया गया												
		प्राप्त अनुरोधों की कुल संख्या	निस्तारित आवेदनों की संख्या	निस्तारित में से अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	प्राप्त प्रथम अपील की संख्या	निस्तारित प्रथम अपीलों की संख्या	निस्तारित में से अस्वीकृत प्रथम अपीलों की संख्या	प्राप्त सूचना आवेदन पत्रों के सापेक्ष एकत्रित कुल धनराशि (₹.)	सूचना का अधिकार अधिनियम की संगत धाराएं											
									(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)	(ज)	(झ)	(ञ)	धारा 9	धारा 11
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	2																			
1	कृषि	1122	1052	2	115	91	1	21870												
2	पशुपालन एवं मत्स्य	281	204	0	18	10	1	20793												
3	मुख्यमंत्री कार्यालय	718	716	0	41	41	5	7461												
4	नागरिक उड्डयन	24	24	0	2	2	0	1518												
5	गोपन	15	13	0	1	0	0	250												
6	सहकारिता	570	557	6	57	33	4	30522												
7	संस्कृति एवं अभिलेखागार	66	66	0	11	11	0	320												
8	डेयरी विकास	220	214	0	21	18	0	3920												
9	आपदा प्रबंधन																			
10	पेयजल	1068	955	0	233	199	8	9400												
11	उच्च शिक्षा	3400	3363	0	228	214	2	40610												18
12	विद्यालयी शिक्षा	21538	21384	6	2609	2533	1	197318												
13	प्राविधिक शिक्षा	1319	1281	39	180	170	5	32237												
14	निर्वाचन	1052	1041	10	46	46	6	12294												
15	ऊर्जा	1450	1298	10	157	139	3	24221												2
16	राज्य सम्मति																			
17	सैनिक कल्याण	931	931	2	59	59	0	6692												
18	आबकारी	460	467	0	10	10	0	18547												
19	वित्त	3343	3322	9	222	204	4	105886												
20	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	48	48	0	8	8	3	2108												
21	वन	6595	5766	46	444	316	6	186171												
22	सामान्य प्रशासन	290	284	0	25	19	0	6284												
23	चिकि. स्वा. एवं परिवार कल्याण	1182	1182	28	138	138	1	18374												
24	गृह	11325	10595	75	1088	1033	101	133975												7
25	उद्यान खाद्य प्रस. एवं रेशम	425	381	5	24	20	0	61419												1





**लोक प्राधिकारियों के स्तर पर  
धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत  
स्वः प्रकटन की स्थिति**



# 5.

## लोक प्राधिकारियों के स्तर पर धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत स्वः प्रकटन की स्थिति

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत समस्त लोक प्राधिकारियों द्वारा सूचना को स्वैच्छिक रूप से प्रकट (Pro-Active Disclosures) करने का प्राविधान है. अधिनियम की धारा 1(3) के अनुसार प्रत्येक लोक प्राधिकारी को अधिनियम की धारा 4(1) के अंतर्गत कुछ अभिलेखों को अधिनियम के गजट नोटिफिकेशन के 120 दिन के अन्दर अर्थात् 12/10/2005 तक पूर्ण कर लेना अपेक्षित था, जिससे लोक प्राधिकारी से सम्बन्धित सूचना इस अधिनियम के अंतर्गत विभागीय मैनुअल के रूप में जन-सामान्य को आसानी से सुलभ हो सके.

समस्त लोक प्राधिकारियों के द्वारा जिन बिंदुओं पर मैनुअल तैयार किये जाने हैं, जैसा अधिनियम की धारा 4(1)(ख) में दिया गया है, वे निम्नलिखित हैं :

- (i) संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य
- (ii) अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य
- (iii) लोक प्राधिकारी अथवा उसके कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की सूचना
- (iv) नीति बनाने या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके प्रतिनिधित्व के लिये विद्यमान व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचना
- (v) दस्तावेजों, जो लोक प्राधिकारी द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, श्रेणियों (Categories) के अनुसार विवरण
- (vi) बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण. साथ ही विवरण कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिये खुली होंगी या बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी.
- (vii) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ.

- (viii) निर्णय करने की प्रक्रिया (पर्यवेक्षण एव उत्तरदायित्व के स्तर सहित).
- (ix) अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका.
- (x) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति.
- (xi) प्रत्येक अभिकरण (Agency) को आबंटित बजट (सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन विरण की सूचना सहित).
- (xii) अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों (Subsidy Programmes) के क्रियान्वयन की रीति, जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्यौरे सम्मिलित है.
- (xiii) रियायतों, अनुज्ञा पत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के सम्बन्ध में विवरण.
- (xiv) कृत्यों के निर्वहन के लिये स्थापित मानक/नियम.
- (xv) किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे.
- (xvi) सूचना प्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण. किसी पुस्तकालय या वाचनालय की यदि लोक उपयोग के लिये व्यवस्था की गई हो, तो उसका भी विवरण.
- (xvii) ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाये.

अधिनियम की धारा 4(1)(ख) की xvii के अनुसार उपरोक्तानुसार तैयार किये गये मैनुअलों का प्रतिवर्ष अद्यावधिकरण कराया जाना अनिवार्य है. परंतु लोक प्राधिकारियों द्वारा उक्त मैनुअलों का वार्षिक या तो अद्यावधिकरण नहीं किया जा रहा है अथवा वार्षिक रूप से नियत एक समयावधि के अंतर्गत नहीं किया जा रहा है. शासन स्तर से इन समस्त लोक प्राधिकारियों को इस संबंध में निर्देश

जारी कर अधिनियम के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना आवश्यक है। वार्षिक अद्यावधिकरण के पश्चात समस्त ऐसे मैनुअलों को विभाग/जनपद/शासन की वैबसाईट / पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त मैनुअलों को तैयार करने के सम्बन्ध में आयोग द्वारा समय-समय पर लोक प्राधिकारियों को निर्गत निर्देशों के

फलस्वरूप वर्तमान में प्रदेश के अधिकांश लोक प्राधिकारियों/विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों को तैयार कर लिया गया है। प्रदेश के जिन लोक प्राधिकारियों/विभागाध्यक्षों/ कार्यालयाध्यक्षों द्वारा अपने तैयार मैनुअल्स को डिजिटिज़ कर लिया गया है, उनकी सूची इस अध्याय में दी जा रही है।



## सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अनुपालन की स्थिति (वर्ष 2016-17 एवं 2017-18)

राज्य स्तरीय लोक प्राधिकारियों / विभागाध्यक्षों की सूची जिनके द्वारा  
अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के मैनूअलों को डिजिटिज्ज कर लिया गया है

क. सं.	लोक प्राधिकारी / विभाग	
1	<b>कृषि विभाग</b>	
	1.1	कृषि निदेशालय
	1.2	उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद
	1.3	उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी परिषद
	1.3.1	मण्डी समिति, किच्छा
	1.3.2	मण्डी समिति, ऋषिकेश
	1.3.3	मण्डी समिति, लक्सर
	1.3.4	मण्डी समिति, कोटद्वार
	1.3.5	मण्डी समिति, विकासनगर
	1.3.6	निर्माण खण्ड, मण्डी परिषद
2	<b>पशुपालन विभाग</b>	
	2.1	पशुपालन निदेशालय
	2.1.1	अपर निदेशक, गोपेश्वर
	2.1.2	अपर निदेशक, पौड़ी
	2.1.3	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, टिहरी
	2.1.4	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पौड़ी
	2.1.5	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, अल्मोड़ा
	2.1.6	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, नैनीताल
	2.1.7	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पिथौरागढ़
	2.1.8	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, रुद्रप्रयाग
	2.1.9	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उधम सिंह नगर
	2.1.10	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, बागेश्वर
	2.1.11	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, चमोली
	2.1.12	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, देहरादून
	2.1.13	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, चम्पावत
	2.1.14	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी
	2.1.15	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, हरिद्वार
	2.1.16	प्रबंधक, कालसी फार्म
	2.1.17	भेड़ एवं ऊन बोर्ड
	2.2	मतस्य निदेशालय
	2.3	उत्तराखण्ड लाईवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड

<b>3</b>	<b>मुख्य मंत्री कार्यालय</b>	
<b>4</b>	<b>नागरिक उड्डयन</b>	
	4.1	नागरिक उड्डयन निदेशालय
<b>5</b>	<b>गोपन</b>	
<b>6</b>	<b>सहकारिता</b>	
	6.1	सहकारिता निदेशालय
<b>7</b>	<b>संस्कृति</b>	
	7.1	संस्कृति निदेशालय
<b>8</b>	<b>डेयरी विकास</b>	
	8.1	दुग्ध आयुक्त
<b>9</b>	<b>आपदा प्रबंधन</b>	
	9.1	आपदा प्रबंधन निदेशालय
<b>10</b>	<b>पेयजल</b>	
	10.1	स्वजल परियोजना
	10.2	उत्तराखण्ड पेयजल संस्थान
	10.3	उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम
	10.4.1	अनुरक्षण खण्ड, उत्तराखण्ड जल संस्थान, नई टिहरी
<b>11</b>	<b>उच्च शिक्षा</b>	
	11.1	कुमांऊ विश्वविद्यालय
	11.2	दून विश्वविद्यालय
	11.3	उच्च शिक्षा निदेशालय
	11.3.1	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बागेश्वर
	11.3.2	ऋषिकुल राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार
	11.3.3	डिग्री कालेज, गरुड़, जनपद बागेश्वर
	11.4	पंतनगर कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय
	11.5	उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
<b>12</b>	<b>विद्यालयी शिक्षा</b>	
	12.1	विद्यालयी शिक्षा निदेशालय
	12.1.1	अपर शिक्षा निदेशक गढ़वाल मण्डल, पौड़ी
	12.1.2	जिला शिक्षा अधिकारी, पिथौरागढ़
	12.1.3	खण्ड शिक्षा अधिकारी, मूनाकोट, जनपद पिथौरागढ़
	12.1.4	खण्ड शिक्षा अधिकारी, धारचूला, जनपद पिथौरागढ़
	12.1.5	खण्ड शिक्षा अधिकारी, दशोली, जनपद चमोली
	12.1.6	डायट, गौचर, जनपद चमोली
	12.1.7	डायट, रुड़की, जनपद हरिद्वार
	12.1.8	डायट, अल्मोड़ा
	12.2	सर्व शिक्षा अभियान

<b>13</b>	<b>प्राविधिक शिक्षा</b>	
	13.1	प्राविधिक शिक्षा निदेशालय
	13.1.1	आई.टी.आई., युवक, हल्द्वानी
	13.1.2	आई.टी.आई., पिथौरागढ़
	13.1.3	आई.टी.आई., युवक, पिथौरागढ़
	13.1.4	आई.टी.आई., नई टिहरी
	13.1.5	आई.टी.आई., श्रीनगर
	13.2	उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद
<b>14</b>	<b>निर्वाचन</b>	
	14.1	राज्य निर्वाचन आयोग
<b>15</b>	<b>ऊर्जा</b>	
	15.1	उरेडा
	15.2	उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग
	15.3	पिटकुल
	15.4	उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि.
	15.4.1	अधिकासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, नई टिहरी
	15.5	मुख्यालय, उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि.
<b>16</b>	<b>राज्य सम्पत्ति</b>	
	16.1	राज्य सम्पत्ति विभाग
<b>17</b>	<b>सैनिक कल्याण</b>	
	17.1	सैनिक कल्याण निदेशालय
	17.1.1	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, टिहरी
<b>18</b>	<b>आबकारी विभाग</b>	
	18.1	आबकारी आयुक्त
	18.1.1	जिला आबकारी अधिकारी, टिहरी
<b>19</b>	<b>वित्त विभाग</b>	
	19.1	आयुक्त वाणिज्य कर
	19.2	निबंधक, फर्म सोसाईटी एवं चिट्स
	19.2.1	पिथौरागढ़
	19.2.2	चम्पावत
	19.2.3	टिहरी
	19.3	लेखा एवं हकदारी, निदेशालय
	19.4	मनोरंजन कर विभाग
	19.4.1	टिहरी
	19.5	सहकारी समितियां एवं पंचायतें
	19.6	स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग
	19.7	स्टाम्प एवं निबंधन विभाग

		19.8.1	मुख्य कोषाधिकारी, टिहरी
<b>20</b>	<b>खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति</b>		
	20.1	आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	
	20.2	राज्य उपभोक्ता वाद विवाद प्रतितोष आयोग	
<b>21</b>	<b>वन</b>		
	21.1	प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड	
		21.1.1	प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनायें
		21.1.2	मुख्य वन संरक्षक, ईको टूरिज्म
		21.1.3	मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण मूल्यांकन एवं ऑडिट
		21.1.4	मुख्य वन संरक्षक, कुमांऊ
		21.1.5	मुख्य वन संरक्षक, सतर्कता एवं विधि प्रकोष्ठ, हल्द्वानी
		21.1.6	वन संरक्षक उत्तरी कुमांऊ, अल्मोड़ा
		21.1.7	वन संरक्षक दक्षिणी कुमांऊ, अल्मोड़ा
		21.1.8	वन संरक्षक शिवालिक वृत्त, देहरादून
		21.1.9	वन संरक्षक भागीरथी वृत्त, मुनि की रेती
		21.1.10	वन संरक्षक, नन्दा देवी बायोस्फेयर रिजर्व, गोपेश्वर
		21.1.11	प्रभागीय वन अधिकारी, टिहरी
		21.1.12	पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़
		21.1.13	प्रभागीय वन अधिकारी, बागेश्वर
		21.1.14	प्रभागीय वन अधिकारी, चम्पावत
		21.1.15	प्रभागीय वन अधिकारी, अल्मोड़ा
		21.1.16	प्रभागीय वन अधिकारी, टाँस
		21.1.17	प्रभागीय वन अधिकारी, तराई केन्द्रीय, हल्द्वानी
		21.1.18	प्रभागीय वन अधिकारी, नैनीताल
		21.1.19	प्रभागीय वन अधिकारी, भूमि संरक्षण, उत्तरकाशी
		21.1.20	प्रभागीय वन अधिकारी, हल्द्वानी
		21.1.21	उप वन संरक्षक, नन्दा देवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ
	21.2	राजाजी राष्ट्रीय पार्क	
	21.3	कॉर्बेट टाईगर रिजर्व	
<b>22</b>	<b>सामान्य प्रशासन विभाग</b>		
<b>23</b>	<b>चिकित्सा एवं परिवार कल्याण</b>		
	23.1		
		23.1.1	मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी
		23.1.2	मुख्य चिकित्साधिकारी, बागेश्वर
		23.1.3	मुख्य चिकित्साधिकारी, नैनीताल
		23.1.3.1	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ओखलकाण्डा
		23.1.3.2	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भीमताल

			23.1.3.3	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बैलपड़ाव
			23.1.3.4	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धारी
			23.1.3.5	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोटाबाग
			23.1.3.6	बी.डी. पाण्डे महिला चिकित्सालय, हल्द्वानी
		23.1.4		मुख्य चिकित्साधिकारी, चमोली
		23.1.5		मुख्य चिकित्साधिकारी, चम्पावत
		23.1.6		मुख्य चिकित्साधिकारी, पिथौरागढ़
		23.1.7		मुख्य चिकित्साधिकारी, उधम सिंह नगर
		23.1.8		
			23.1.8.1	वि.मो.जो. जिला महिला चिकित्सालय, अल्मोड़ा
	23.2	ई.एम.आर.आई. सेवा		
<b>24</b>	<b>गृह</b>			
	24.1	महानिदेशक, उत्तराखण्ड पुलिस		
		24.1.1	जनपद बागेश्वर	
		24.1.2	जनपद टिहरी	
		24.1.3	जनपद रुद्रप्रयाग	
		24.1.4	जनपद देहरादून	
		24.1.5	जनपद हरिद्वार	
		24.1.6	जनपद चम्पावत	
		24.1.7	जनपद अल्मोड़ा	
		24.1.8	जनपद पिथौरागढ़	
		24.1.9	जनपद पौड़ी	
		24.1.10	जनपद रुद्रप्रयाग	
		24.1.11	जनपद उधम सिंह नगर	
	24.2	राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण		
	24.3	होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा निदेशालय		
	24.4	अभियोजन निदेशालय		
<b>25</b>	<b>उद्यान एवं रेशम</b>			
	25.1	उद्यान निदेशालय		
		25.1.1	जिला उद्यान अधिकारी, टिहरी	
		25.1.2	जिला उद्यान अधिकारी, चमोली	
		25.1.3	जिला उद्यान अधिकारी, देहरादून	
		25.1.4	जिला उद्यान अधिकारी, उत्तरकाशी	
		25.1.5	जिला उद्यान अधिकारी, हरिद्वार	
	25.2	रेशम निदेशालय		
	25.3	भेषज विकास इकाई		
	25.4			

<b>26</b>	<b>आवास</b>		
	26.1	मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण	
	26.2	हरिद्वार विकास प्राधिकरण	
	26.3	वरिष्ठ नियोजक, शहरी एवं ग्राम विकास	
	26.4	दून घाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	
<b>27</b>	<b>उद्योग</b>		
	27.1	उद्योग निदेशालय	
		27.1.1	भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
		27.1.2	खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड उत्तराखण्ड
<b>28</b>	<b>सूचना प्रौद्योगिकी</b>		
	28.1	आई.टी.डी.ए.	
	28.1	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	
<b>29</b>	<b>सूचना एवं लोक संपर्क</b>		
	29.1	सूचना एवं लोक संपर्क निदेशालय	
<b>30</b>	<b>सिंचाई</b>		
	30.1	मुख्य अभियंता (विभागाध्यक्ष)	
		30.1.1	अधिशाली अभियंता, जनपद अल्मोड़ा
	30.2	पुनर्वास निदेशालय, टिहरी डैम परियोजना	
<b>31</b>	<b>न्याय</b>		
	31.1	न्याय विभाग	
	31.2	उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी	
	31.3	महाधिवक्ता कार्यालय, उत्तराखण्ड	
<b>32</b>	<b>श्रम एवं सेवायोजन</b>		
	32.1	श्रम आयुक्त	
	32.2	निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन	
		32.2.1	जिला सेवायोजन कार्यालय, टिहरी
<b>33</b>	<b>चिकित्सा शिक्षा</b>		
	33.1	होमयोपैथी निदेशालय	
		33.1.1	जिला होमयोपैथी चिकित्साधिकारी, टिहरी
		33.1.2	जिला होमयोपैथी चिकित्साधिकारी, नैनीताल
	33.2		
		33.2.1	जिला आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी, बागेश्वर
		33.2.2	जिला आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी, नैनीताल
		33.2.3	जिला आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी, चम्पावत
		33.2.4	ऋषिकुल आयुर्वेदिक फार्मसी, हरिद्वार

<b>34</b>	<b>लघु सिंचाई</b>	
	34.1	लघु सिंचाई विभागाध्यक्ष कार्यालय
	34.1.1	अधीक्षण अभियंता, बागेश्वर
<b>35</b>	<b>पंचायती राज एवं ग्रामीण अभियंत्रण</b>	
	35.1	पंचायती राज निदेशालय
	35.2	मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा
	35.2.1	अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, नई टिहरी
	35.2.1	अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, बागेश्वर
<b>36</b>	<b>विधायी</b>	
	36.1	विधायी, संसदीय कार्य एवं भाषा विभाग
<b>37</b>	<b>कार्मिक</b>	
	37.1	कार्मिक विभाग
	37.2	लोक सेवा अधिकरण
	37.3	उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
<b>38</b>	<b>नियोजन</b>	
	38.1	बीस सूत्रीय कार्यक्रम
	38.2	भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण
	38.3	आर्थिक नियोजन निदेशालय
<b>39</b>	<b>प्रोटोकॉल</b>	
	39.1	प्रोटोकॉल
<b>40</b>	<b>लोक निर्माण विभाग</b>	
	40.1	लोक निर्माण विभाग सचिवालय स्तर
	40.2	मुख्य अभियंता (विभागाध्यक्ष)
	40.2.1	सिंचाई खण्ड, जनपद बागेश्वर
	40.2.2	प्रांतीय खण्ड, जनपद बागेश्वर
	40.2.3	अस्थायी खण्ड, घनसाली, जनपद टिहरी
	40.2.4	निर्माण खण्ड, नई टिहरी
	40.2.5	अस्थायी खण्ड, श्रीनगर, जनपद पौड़ी
	40.2.6	निर्माण खण्ड, देहरादून
<b>41</b>	<b>धर्मस्व</b>	
	41.1	श्री बद्री केदार मंदिर समिति
<b>42</b>	<b>राजस्व</b>	
	42.1	राजस्व पुलिस
	42.2	मुख्य राजस्व आयुक्त **
	42.2.1	आयुक्त, कुमांऊ मण्डल
	42.2.2	आयुक्त, गढ़वाल मण्डल
	42.2.3	जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग

		42.2.4	जिलाधिकारी, पिथौरागढ़
		42.2.5	जिलाधिकारी, पौड़ी
		42.2.6	जिलाधिकारी, टिहरी
		42.2.7	जिलाधिकारी, अल्मोड़ा
		42.2.8	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी
		42.2.9	जिलाधिकारी, देहरादून
		42.2.10	जिलाधिकारी, चमोली
		42.2.11	जिलाधिकारी, हरिद्वार
		42.2.12	जिलाधिकारी, बागेश्वर
		42.2.13	जिलाधिकारी, चम्पावत
		42.2.14	जिलाधिकारी, उधम सिंह नगर
		42.2.15	विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, हरिद्वार
<b>43</b>	<b>ग्राम्य विकास</b>		
	43.1	आयुक्त, ग्राम्य विकास **	
		43.1.1	मुख्य विकास अधिकारी, अल्मोड़ा
		43.1.2	मुख्य विकास अधिकारी, पिथौरागढ़
			43.1.2.1   खण्ड विकास अधिकारी, लोहाघाट
			43.1.2.2   खण्ड विकास अधिकारी, मूनाकोट
		43.1.3	मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर
			43.1.3.1   खण्ड विकास अधिकारी, कपकोट
		43.1.4	मुख्य विकास अधिकारी, चम्पावत
			43.1.4.1   खण्ड विकास अधिकारी, चम्पावत
			43.1.4.2   खण्ड विकास अधिकारी, बाराकोट
		43.1.5	खण्ड विकास अधिकारी, गैरसैण
	43.2	उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास संस्थान	
	43.3	जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, टिहरी	
<b>44</b>	<b>सचिवालय प्रशासन</b>		
	44.1	सचिवालय प्रशासन विभाग	
<b>45</b>	<b>समाज कल्याण</b>		
	45.1	समाज कल्याण निदेशालय	
	45.1.1	जिला समाज कल्याण अधिकारी, बागेश्वर	
	45.2	अन्य पिछड़ी जाति आयोग	
	45.3	अनुसूचित जाति जनजाति आयोग	
	45.4	उत्तराखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड	
<b>46</b>	<b>खेल</b>		
	46.1	खेल निदेशालय	
		46.1.1	जिला क्रीड़ा अधिकारी, उधम सिंह नगर

<b>47</b>	<b>पुनर्गठन</b>	
<b>48</b>	<b>गन्ना एवं चीनी</b>	
	48.1	आयुक्त, गन्ना एवं चीनी
<b>49</b>	<b>पर्यटन</b>	
	49.1	गढ़वाल मण्डल विकास निगम
	49.2	कुमांऊ मण्डल विकास निगम
	49.3	उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद
	49.4	राजकीय होटल मैनेजमेंट संस्थान
<b>50</b>	<b>परिवहन</b>	
	50.1	उत्तराखण्ड परिवहन निगम
<b>51</b>	<b>शहरी विकास</b>	
	51.1	शहरी विकास निदेशालय
	50.1.1	नगर पालिका परिषद, टिहरी
	50.1.2	नगर पालिका परिषद, नैनीताल
	50.1.3	नगर पालिका परिषद, खटीमा
	50.1.4	नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी
	50.1.5	नगर पालिका परिषद, किच्छा
	50.1.6	नगर पालिका परिषद, विकासनगर
	50.1.7	नगर पालिका परिषद, गदरपुर
	50.1.8	नगर पालिका परिषद, पिथौरागढ़
	50.1.9	नगर पालिका परिषद, अल्मोड़ा
	50.1.10	नगर पालिका परिषद, मंगलौर
	50.1.11	नगर पालिका परिषद, रुद्रप्रयाग
<b>52</b>	<b>सतर्कता</b>	
	52.1	सतर्कता ब्यूरो
<b>53</b>	<b>जलागम</b>	
	53.1	जलागम प्रबंध निदेशालय
<b>54</b>	<b>महिला एवं बाल विकास</b>	
	54.1	राज्य महिला आयोग
<b>55</b>	<b>युवा कल्याण</b>	
	55.1	युवा कल्याण निदेशालय
	55.1.1	जिला युवा कल्याण अधिकारी, टिहरी
<b>56</b>	<b>राजभवन</b>	
	56.1	राजभवन
<b>57</b>	<b>विधान सभा</b>	
	57.1	विधान सभा

<b>58</b>	<b>उच्च न्यायालय</b>	
	58.1	उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड
	58.2	महाधिवक्ता कार्यालय
<b>59</b>	<b>सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा</b>	
	59.1	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

\*\* अभिलेखों को पुनः टंकित न करा, उन्हें मात्र स्कैन कर मैनुअल तैयार किये गये हैं.

# आयोग की संस्तुतियां



# 6.

## आयोग की संस्तुतियां

### संस्तुति : 1

आयोग द्वारा लोक सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों के लिए आयोजित करायी गयी विभिन्न कार्यशालाओं एवं बैठकों में यह तथ्य परिलक्षित हुआ है कि सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रथम अपीलीय अधिकारी सबसे कमजोर कड़ी है।

आयोग को यह सुझाव भी प्राप्त हुये हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम में सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी को दण्डित करने का जिस प्रकार से अधिकार आयोग को प्राप्त है उसी प्रकार से प्रथम अपीलीय अधिकारी को भी यह अधिकार प्राप्त होना चाहिए कि वह अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप सूचना आवेदन पत्रों का निस्तारण न करने वाले लोक सूचना अधिकारी को दण्डित कर सके। ऐसा नियम होने से लोक सूचना अधिकारी कर्तव्यनिष्ठापूर्वक अनुरोधकर्ताओं को ससमय सूचना उपलब्ध करायेंगे।

आयोग का यह भी मत है कि जिस प्रकार लोक सूचना अधिकारी पर शास्ति अधिरोपित की जाती है उसी प्रकार प्रथम अपील का समयांतर्गत निस्तारण न किये जाने अथवा जानबूझकर अपीलार्थी की सूचना तक पहुंच में अवरोध उत्पन्न करने के लिए प्रथम अपीलीय अधिकारी पर भी शास्ति अधिरोपित की जानी चाहिए।

अतः आयोग की संस्तुति है कि :-

- (अ) प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास भी कुछ शक्तियाँ होनी चाहिए जिससे कि अपीलीय अधिकारी लोक सूचना अधिकारी पर नियंत्रण रख सकें।
- (ब) आयोग के पास भी यह अधिकार होना चाहिए कि यदि प्रथम अपीलीय अधिकारी अपील का निस्तारण समय से या प्रक्रिया अनुसार नहीं करते हैं या निस्तारण प्रक्रिया अनुसार नहीं करते हैं तो आयोग उनको भी दण्डित कर सके।

### संस्तुति : 2

उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली, 2013 के नियम 2(ग) में 'आयोग' को परिभाषित किया गया है जिसमें लिखा है कि 'आयोग' से उत्तराखण्ड सूचना आयोग अभिप्रेत है, इसमें उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली, 2015 की तरह यह होना चाहिए – आयोग का तात्पर्य अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अन्तर्गत गठित उत्तराखण्ड सूचना आयोग से है और इसके अन्तर्गत इस अधिनियम के सुसंगत उपबन्धों के अधीन किसी शिकायत या अपील की सुनवाई का संचालन करने वाला मुख्य सूचना आयुक्त या कोई अन्य सूचना आयुक्त भी हैं।



**आयोग द्वारा  
द्वितीय अपीलों / शिकायतों में  
आरोपित शाक्तियां**



क्रमांक संख्या	शिकायत / अपील संख्या	निर्णीत दिनांक	अपीलकर्ता एवं प्रतिवादियों के विवरण	आदेश का संक्षिप्त विवरण	शास्ति	क्षतिपूर्ति	विभागीय कार्यवाही	यदि उच्च न्यायालय द्वारा स्थगनादेश जारी किया हो तो उच्च न्यायालय की रिट पेटिशन संख्या तथा दिनांक	शास्ति / कटौती सम्बन्धी	
1	C-10950	09.03.2016	श्री अक्वेश नोटियाल, आई-107, नेहरू कालोनी देहरादून / कुल सचिव, तकनीकी विश्वविद्यालय सुझोवाला देहरादून / श्री पी0के0 जोशी, वित्त नियंत्रक महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण देहरादून	तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी / श्री पी0के0 जोशी, वित्त नियंत्रक महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण देहरादून	वित्त	8750.00		WP No. 1151 dated 5th May 2016		0
2	A-16612	04.03.2016	श्री एस0एस0 चौहान, एडवोकेट, चैम्बर नम्बर-6, सी0जे0एम0 कोर्ट कम्पाउण्ड देहरादून उत्तराखण्ड / कर अधीक्षक, नगर निगम देहरादून / अपर मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम देहरादून	कर अधीक्षक, नगर निगम देहरादून पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	नगर निगम	25000.00			पत्रांक संख्या 2228 / 2015-16 के द्वारा 25000 हजार रुपये की शास्ति जमा कर दिया गया है।	25000
3	A-17503	09.03.2016	मौ0 इस्लाम पुत्र नूरहसन, निवासी ग्राम बसेड़ी खादर लक्सर जिला हरिद्वार / खण्ड शिक्षा अधिकारी लक्सर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड / प्रबंधक, प्रधानाचार्य एवरग्रीन मार्टन, जू0 हा0 स्कूल, बसेड़ीखादर, लक्सर जिला हरिद्वार / तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी / श्री जगमोहन सोनी, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक जिला बागेश्वर	तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी / श्री जगमोहन सोनी, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक जिला बागेश्वर पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	विद्यालयी शिक्षा	25000.00		WP No-1384/2016 interim relief application being CLMA No 475 of 2016 stands disposed of		0

4	A-18982	29.03.2016	श्री अनिल वर्मा, लाल मन्दिर कालोनी, ज्वालापुर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड, जिला पूर्ति अधिकारी हरिद्वार उत्तराखण्ड अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन जिला हरिद्वार	तत्कालीन जिला पूर्ति अधिकारी हरिद्वार उत्तराखण्ड पर 13750 रुपये की शास्ति आरोपित किया जाता है	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	13750.00				0
5	A-19028	29.03.2016	श्री लक्ष्मी प्रसाद सेमवाल, ग्राम पंचायत मल्ड, पो0 ऑ0 डांगी नैल चामी, घनसाली, विकास खण्ड भिलंगना टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड / खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भिलंगना, जिला टिहरी गढ़वाल / जिला विकास अधिकारी, टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड	खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भिलंगना, जिला टिहरी गढ़वाल पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	ग्राम्य विकास	25000.00				बिल संख्या 35 दिनांक 30/04/2016 के द्वारा माह अप्रैल के वेतन से काट लिया गया है।
6	A-18655	30.03.2016	श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री रतन सिंह, ग्राम मीरपुर मुवाजपुर पोस्ट गढ़मीरपुर तहसील व जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड / प्रधान / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, गढ़, विकरस खण्ड बहादुराबाद, जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड / खण्ड विकास अधिकारी, बहादुराबाद जिला हरिद्वार	प्रधान / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, गढ़, विकास खण्ड बहादुराबाद, जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड पर 17750 की शास्ति आरोपित किया गया है।	ग्राम्य विकास	17750.00				0

7	A-19011	31.03.2016	श्री नारायण दत्त, पुत्र स्व0 श्री धर्मानन्द ग्राम फुटसिल, पोस्ट गुप्तड़ी गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़/प्रधान / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत फुटसिल विकास खण्ड गंगोलीहाट जिला / खण्ड विकास अधिकारी, गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़	प्रधान / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत फुटसिल विकास खण्ड गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़ पर 7500 की शास्ति आरोपित किया गया ।	ग्राम्य विकास	7500.00	दिनांक 02/06/2017 को चालान के माध्यम से जमा कर लिया गया है।	0
8	A-19045	06.04.2016	श्री राजेन्द्र खर्कवाल, मोहनपुर टनकपुर जिला चम्पावत उत्तराखण्ड-262309/प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग चम्पावत जिला चम्पावत/वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त उत्तराखण्ड जिला अल्मोड़ा	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग, चम्पावत जिला चम्पावत पर 5250 रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	वन	5250.00	पत्रांक संख्या 392 दिनांक 2.08.2016 के द्वारा जमा कर लिया गया है।	5250
9	A-19283	05.04.2016	श्री नितिन कुमार गर्ग एडवोकेट, चैम्बर नम्बर-233 जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर रोशनाबाद जिला हरिद्वार / जिला पंचायत राज अधिकारी, हरिद्वार उत्तराखण्ड / मुख्य विकास अधिकारी जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड	जिला पंचायत राज अधिकारी, हरिद्वार उत्तराखण्ड पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है	पंचायती राज	25000.00	चालान संख्या 33 दिनांक 24/07/2017 के द्वारा जमा कर लिया गया है।	0
10	A-19267	04.04.2016	श्री प्रमोद कुमार पाण्डे, पुत्र श्री गणेश चन्द्र पाण्डेय, 40 ब्रह्म विहार, कालोनी, कनखल हरिद्वार उत्तराखण्ड-249408 / प्राचार्य, चिन्मय डिग्री कालेज बी.एच.ई.एल. हरिद्वार उत्तराखण्ड / सचिव, चिन्मय शैक्षिक समिति, चिन्मय डिग्री कालेज बी.एच.ई.एल. हरिद्वार उत्तराखण्ड	प्राचार्य, चिन्मय डिग्री कालेज बी.एच.ई.एल. हरिद्वार उत्तराखण्ड पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है	उच्च शिक्षा	25000.00		0

11	A-19280	05.04.2016	श्री अनिल कुमार पुत्र श्री श्याम लाल, निवासी किशनपुर, जमालपुर पोस्ट भगवानपुर तहसील रुड़की जिला हरिद्वार / प्रधानाध्यापक, आर0एन0आई0 इण्टर कालेज भगवानपुर जिला हरिद्वार / प्रबंधक, आर0एन0आई0 इण्टर कालेज भगवानपुर जिला हरिद्वार	प्रधानाध्यापक, आर0एन0आई0 इण्टर कालेज भगवानपुर जिला हरिद्वार पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	विद्यालयी शिक्षा	25000.00			चालान संख्या 83 दिनांक 31/08/2018 के द्वारा जमा कर लिया गया है।	0
12	A-19000	05.04.2016	श्री मयंक त्यागी, संवाददाता हिन्दुस्तान, बण्डिया किच्छा जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड / उप शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड रुद्रपुर जिला उधम सिंह नगर / जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा उधम सिंहनगर उत्तराखण्ड	उप शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड रुद्रपुर जिला उधम सिंह नगर पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	विद्यालयी शिक्षा	25000.00		WP No-2124/2017 pending		0
13	C-10642	18.04.2016	श्री शीशपाल सिंह गांधीनगर / पोस्ट मालधन चौड़ बाया काशीपुर जनपद नैनीताल-244713 / कार्यालय विद्युत निरीक्षक, उत्तराखण्ड शासन पंचायत घर बड़ी मुखानी, निकट हीरा कान्वेन्ट स्कूल हल्द्वानी जिला नैनीताल।	कार्यालय विद्युत निरीक्षक, उत्तराखण्ड शासन पंचायत घर बड़ी मुखानी, निकट हीरा कान्वेन्ट स्कूल हल्द्वानी जिला नैनीताल पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया जाता है	रुर्जा	25000.00				0

14	A-19453	13.04.2016	श्री राम दत्त पंत पुत्र श्री पूर्णानन्द, पोस्ट बदाखान, तहसील बाराकोट जनपद चम्पावत/प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, छुलापें द्वारा खण्ड विकास अधिकारी, जिला चम्पावत/खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड बाराकोट जिला चम्पावत/खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड बाराकोट जिला चम्पावत	प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, छुलापें द्वारा खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बाराकोट जिला चम्पावत, पर 19250 रुपये की शक्ति आरोपित किया जाता है।	ग्राम्य विकास	19250.00	पत्रांक संख्या 168 दिनांक 26/07/2017 के द्वारा जमा कर लिया गया है।	0
15	A-19359	19.04.2016	श्री विपिन कुमार पुत्र श्री विरेन्द्र सिंह, ग्राम कुरडी, पोस्ट मंगलौर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड/जिला पंचायत राज अधिकारी, हरिद्वार उत्तराखण्ड	जिला पंचायत राज अधिकारी, हरिद्वार उत्तराखण्ड पर 25000 हजार रुपये की शक्ति आरोपित किया गया है।	पंचायती राज	25000.00		0
16	A-18007	11.04.2016	श्री अख्तर हसनैन रिजवी एडवोकेट, वारसी गली लम्बर-5, ज्यारत शाह बुलाकी चक्कर की मिलक सिविल लाईन्स मुरादाबाद-244001/खण्ड शिक्षा अधिकारी, लक्सर जिला हरिद्वार	खण्ड शिक्षा अधिकारी, लक्सर जिला हरिद्वार पर 25000 हजार रुपये की शक्ति आरोपित किया जाता है।	विद्यालयी शिक्षा	25000.00	माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार 50 प्रतिशत धनराशि दिनांक 12.8.2016 के द्वारा जमा कर ली गयी है।	25000
17	A-19357	22.04.2016	श्री मुमताज आलम खान, पुरानी सब्जी मण्डी, जगदीश मार्केट, ज्वालपुर हरिद्वार / उप श्रमायुक्त गढ़वाल क्षेत्र, 298 हिमगिरी विहार अजबपुर खुर्द जिला देहरादून	उप श्रमायुक्त गढ़वाल क्षेत्र, 298 हिमगिरी विहार अजबपुर खुर्द जिला देहरादून पर 6500 की शक्ति आरोपित किया जाता है।	श्रम एवं सेवायोजन	6500.00		0
18	A-17565	22.04.2016	श्री द्वारिका प्रसाद भट्ट, पुत्र श्री देवन्द प्रसाद भट्ट, हाल देव भवन, कालेश्वर मार्ग जोशियाड़ी, उत्तरकाशी/खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड भटवाड़ी जिला उत्तरकाशी/खण्ड विकास खण्ड भटवाड़ी जिला उत्तरकाशी	खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड भटवाड़ी जिला उत्तरकाशी पर 13000 हजार रुपये की शक्ति आरोपित किया जाता है।	विद्यालयी शिक्षा	13000.00	चालान संख्या-27 दिनांक 9.06.2016 के द्वारा जमा कल लिया गया है।	13000

19	A-19410	27.04.2016	श्री दयाधर जोशी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, सिंचाई खण्ड काशीपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड / अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड काशीपुर जिला उधम सिंह नगर / अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्यमण्डल उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड काशीपुर जिला उधम सिंह नगर पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	सिंचाई	25000.00			0
20	A-19396	29.04.2016	श्री कनक सिंह लिंगवाल, आंचल डेरी, श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल-246174 / खण्ड विकास अधिकारी, देवप्रयाग, जिला टिहरी गढ़वाल / जिला विकास अधिकारी, टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड	खण्ड विकास अधिकारी, देवप्रयाग, जिला टिहरी गढ़वाल पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया जाता है	ग्राम्य विकास	25000.00		ट्रेजरी वालचर संख्या 25750013 दिनांक 07/06/16 के द्वारा जमा कर लिया गया है।	0
21	A-17558	02.05.2016	श्रीमती शमा रिजवी, निवासी 346 / 14-15, कर्बला अजमतु दौला बहादर परिसर मेहन्दी गंज लखनऊ- 226003, उत्तर प्रदेश / जिला शिक्षा अधिकारी प्रो शिक्षा, जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड / मुख्य शिक्षा अधिकारी उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड	जिला शिक्षा अधिकारी प्रो शिक्षा, जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया जाता है	विद्यालयी शिक्षा	25000.00		WP No-1503/2016 Impugned order dated 02/05/2016 shall be kept in abeyance till the next date of listing. Pending	0

22	A-18312	06.05.2016	मो० खालिद सह सचिव, कांग्रेस पार्टी निवासी चूना भट्टा अधोईवाला रायपुर रोड देहरादून/अधिशाली अभियन्ता, / अनु सचिव, द्वितीय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ट्रान्सपोर्ट नगर सहासनपुर रोड देहरादून पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया जाता है	एम.डी.डी.ए.	25000.00			माह जुलाई, 2017 के वेतन से कटौती कर ली गयी है।	0
23	A-17450	04.05.2016	श्री वीरेन्द्र सिंह महर, महर सदन, 14 बीघा, मुनिकीरेली टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड/जिला शिक्षा अधिकारी नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल/मुख्य शिक्षा अधिकारी टिहरी गढ़वाल	विद्यालयी शिक्षा	25000.00		WP No. 1839/2016 Pending		0
24	A-18291	30.03.2016	श्री मनमोहन सिंह धामी पुत्र स्व० श्री प्रताप सिंह धामी, / पदमपुर कालोनी, लिंक रोड पाण्डेगांव, जिला पिथौरागढ़ उत्तराखण्ड/ संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा देहरादून	विद्यालयी शिक्षा	25000.00		WP No. 3111/2016 Pending		0

25	A-18670	03.05.2016	श्री सुमेर सिंह पुत्र श्री फजीत सिंह, ग्राम पंचायत बौसाड़ी पोस्ट लम्बागांव, विकास खण्ड प्रतापनगर, जिला टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड/प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बौसाड़ी पोस्ट लम्बागांव विकास खण्ड प्रताप नगर टिहरी गढ़वाल	प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बौसाड़ी पोस्ट लम्बागांव विकास खण्ड प्रताप नगर टिहरी गढ़वाल पर 2000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है	ग्राम्य विकास	2000.00		WP No. 138/2016 Pending		0
26	A-18879	27.04.2016	श्री संजय कुमार शर्मा, एडवोकेट, सिविल कोर्ट परिसर काशीपुर जिला उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड/खण्ड विकास अधिकारी, काशीपुर जिला उधम सिंह नगर/जिला विकास अधिकारी, जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड	खण्ड विकास अधिकारी, काशीपुर जिला उधम सिंह नगर पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	ग्राम्य विकास	25000.00				0
27	A-19474	03.05.2016	श्री सत्यपाल सिंह रावत, ग्राम माला, पो. ऑ०-चमकोटखाल, पौड़ी गढ़वाल/जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, पौड़ी गढ़वाल/मुख्य शिक्षा अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड	जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, पौड़ी गढ़वाल पर 3250 रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	विद्यालयी शिक्षा	3250.00			पत्रांक 608-09 दिनांक 17/01/2018 द्वारा चालान के माध्यम से जमा कर लिया गया है	0
28	A-18502	03.05.2016	श्री सन्तरपाल पुत्र श्री हुक्मा, ग्राम पीतपुर पोस्ट ऐंथाल विकास खण्ड बहादुराबाद तहसील व जिला हरिद्वार/प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत पीतपुर विकास खण्ड बहादुराबाद जिला हरिद्वार	प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत पीतपुर विकास खण्ड बहादुराबाद जिला हरिद्वार पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	ग्राम्य विकास	25000.00				0

29	A-19070	10.05.2016	श्री अशोक कुमार पुत्र श्री ज्योतिराम, निवासी ग्राम मानकपुर निवासी ग्राम मानकपुर आदमपुर पोस्ट खास तहसील भगवानपुर जिला हरिद्वार / कार्यालय अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड हरिद्वार	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड हरिद्वार पर 9000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	ग्रामीण अभियन्त्रण	9000.00				0
30	A-19433	28.04.2016	श्री जबर सिंह पुत्र श्री मोंगा सिंह, नवासी ग्राम बरखेड़ा पाण्डे, तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड / खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड काशीपुर उधम सिंह नगर / जिला विकास अधिकारी उधम सिंह नगर है।	प्रधान / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, बरखेड़ा, पाण्डे विकास खण्ड काशीपुर उधम सिंह नगर पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	ग्राम्य विकास	25000.00				0
31	A-19508	06.05.2016	श्री देवेन्द्र शास्त्री, विद्याभारकर, 777, सर्वे प्रिय विहार, कनखल जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड / जिला पंचायत राज अधिकारी, हरिद्वार उत्तराखण्ड / मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार उत्तराखण्ड	जिला पंचायत राज अधिकारी, हरिद्वार उत्तराखण्ड पर 5500 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	पंचायती राज	5500.00				0
32	A-19213	17.05.2016	श्री अनिल रावत, ग्राम सेन्धी पोस्ट सेन्धीखाल, जिला पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड - 246155 / उप शिक्षा अधिकारी, पोखड़ा, जिला पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड / जिला शिक्षा अधिकारी प्रा०शि० पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड	उप शिक्षा अधिकारी, पोखड़ा, जिला पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	विद्यालयी शिक्षा	25000.00			पत्रांक 608-09 दिनांक 17 / 01 / 2018 द्वारा चालान के माध्यम से जमा कर लिया गया है।	0

33	A-18466	27.05.2016	श्री स्वतंत्र कुमार तोमर, 346ए, लेन नम्बर-13 मोहित नगर देहरादून उत्तराखण्ड / पिटकुल, विद्युत भवन, नजदीक आई0एस0बी0टी0 कासिंग, सहायनपुर रोड माजरा देहरादून / निदेशक, परियोजना पिटकुल, विद्युत भवन, नजदीक आई0एस0बी0टी0 कासिंग, सहायनपुर रोड माजरा देहरादून	पिटकुल, विद्युत भवन, नजदीक आई0एस0बी0टी0 कासिंग, सहायनपुर रोड माजरा देहरादून पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	रुर्जा	25000.00	WP No. 1846/2016 Pending	0	0
34	A-19523	30.05.2016	श्री गंगा देवी पत्नी श्री अशोक पाल सिंह ,ग्राम ढन्ढेरा, पोस्ट मिलाप नगर रुड़की जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड / प्रधानाध्यपिका के जी बी बी, अक्बरपुर ऊँद, विकास खण्ड लक्सर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड	प्रधानाध्यपिका के जी बी बी, अक्बरपुर ऊँद, विकास खण्ड लक्सर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	विद्यालयी शिक्षा	25000.00		0	0
35	C-10643	16.05.2016	श्री डी0एस0 तोमर, तपोवन विहार, तपोवन विद्या निकेतन के सामने तपोवन रोड देहरादून उत्तराखण्ड / जिला पूर्ति अधिकारी देहरादून, 2. खण्ड विकास अधिकारी, कालसी, जिला देहरादून	खण्ड विकास अधिकारी, कालसी, जिला देहरादून पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	ग्राम्य विकास	25000.00		पत्रांक संख्या 770 / 2018-19 दिनांक 19/07/18 के माध्यम से जमा कर ली गई है	0

36	C-10820	19.04.2016	डॉ० अमित कुमार जयसवाल, असि० प्रोफेसर बी०एच० विभाग, रा०स्ना०महा० कोटाद्वारा जिला पौड़ी गढ़वाल गढ़वाल/प्रधानाचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटाद्वारा जिला पौड़ी गढ़वाल	प्रधानाचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटाद्वारा जिला पौड़ी गढ़वाल पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	उच्च शिक्षा	25000.00			पत्रांक संख्या 140/2015-16 दिनांक 18.05.2016 से चालान संख्या 28 के द्वारा जाम कर दिया गया है।	25000
37	C-10651	19.04.2016	श्री खडक सिंह चौहान, पूर्व सैनिक, ग्राम गडेरा, पोस्ट बनलेख, जिला बागेश्वर उत्तराखण्ड/अधिकासी अभियन्ता निर्माण शखा, उत्तराखण्ड, 2. बागेश्वर उत्तराखण्ड निगम अध्यक्ष/ग्राम प्रधान यू०डब्ल्यू०एस०सी० सी०-गडेरा, पोस्ट बनलेख, विकास खण्ड बागेश्वर	अधिकासी अभियन्ता निर्माण शखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम बागेश्वर उत्तराखण्ड, 2. अध्यक्ष/ग्राम प्रधान यू०डब्ल्यू०एस०सी०-गडेरा, पोस्ट बनलेख, विकास खण्ड बागेश्वर	पेयजल	25000.00			चालान संख्या 11 के द्वारा जमा कर दिया गया है।	0
38	C-9710	30.06.2016	श्री रामकुमार उर्फ टीटू आर०टी०आई० कार्यकर्ता, ग्राम शरपुर पोस्ट डण्डेडी ख्वाजगीपुर जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड/लोक सूचना अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक जिला हरिद्वार	लोक सूचना अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक जिला हरिद्वार पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	विद्यालयी शिक्षा	25000.00				0
39	A-18690	24.06.2016	श्री बाबूराम रवि पुत्र छप्पू सिंह, ग्राम सुल्तानपुर आदमपुर जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०, हरिद्वार उत्तराखण्ड/मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार उत्तराखण्ड	जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०, हरिद्वार उत्तराखण्ड पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	विद्यालयी शिक्षा	25000.00		WP No. 3070/2016 Pending		0

40	A-19243	21.06.2016	श्री विनोद गुम्बर वीनू, राष्ट्रीय सदस्य, भा0ज0यु0मौ0, एफ-55 किडजी स्कूल सनातन गर्ल्स डिग्री कालेज के पास रुद्रपुर जिला उधम सिंह नगर / यू0पी0 हिल इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 785 इन्दिरा नगर देहरादून / यू0पी0 हिल इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 785 इन्दिरा नगर देहरादून	यू0पी0 हिल इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 785 इन्दिरा नगर देहरादून पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	हिलट्रान	25000.00				0
41	A-19460	21.06.2016	मौ0 राशिद.मौ0 पट्टी चौहान, जसुपर जिला उधमसिंह नगर / अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड जसपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड/अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 विद्युत वितरण मण्डल काशीपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड	अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड जसपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	ऊर्जा	25000.00				0
42	A-19606	23.06.2016	श्री पूरन सिंह चौहान पुत्र श्री लाल सिंह/ग्राम मुंडवांड रुपऊ पोस्ट डिमऊ, तहसील कालसी जिला देहरादून/ प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, रूपऊ, विकास खण्ड कालसी जिला देहरादून/खण्ड विकास अधिकारी, कालसी जिला देहरादून	प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, रूपऊ, विकास खण्ड कालसी जिला देहरादून पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	ग्राम्य विकास	25000.00			लोक सूचना अधिकारी /ग्राम प्रधान की मृत्यु होने के कारण वसूली नहीं की गई	0

43	C-10857	24.06.2016	श्री सूरत सिंह नेगी पुत्र श्री फते सिंह नेगी, ग्राम व पोस्ट थालावैड, तहसील पोखरी जिला चमोली उत्तराखण्ड/कार्यालय अधिशासी अभियन्ता विभाग गौचर जिला चमोली है।	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग गौचर जिला चमोली पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	लोक निर्माण	25000.00			चालान संख्या 07 दिनांक 11/07/2017 के द्वारा जमा कर लिया गया है।	0
44	A-19582	27.05.2016	श्री विजय जायसवाल सम्पादक, दैनिक नजरीया खबर 14 डी मिडोन्लाजा प्रथम तल राजपुर रोड देहरादून/अभियन्त्रण अनुभाग गडवाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड 74/1 राजपुर रोड देहरादून पर 22000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	अभियन्त्रण अनुभाग गडवाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड 74/1 राजपुर रोड देहरादून पर 22000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	नगर निगम	22000.00		WP No. 1750/2016		0
45	A-19121	22.06.2016	चौ श्याम सिंह, ग्राम व पोस्ट गोरधनपुर राजपुर, तहसील लक्सर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड/ प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, सिकन्दरपुर विकास खण्ड खानपुर जिला हरिद्वार पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, सिकन्दरपुर विकास खण्ड खानपुर जिला हरिद्वार पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	ग्राम्य विकास	25000.00		WP No. 1307/2016 Pending		0
46	A-19227	22.06.2016	श्री महेश सिंह गड़िया, ग्राम व पोस्ट लिली, विकास खण्ड कपकोट, जिला बागेश्वर उत्तराखण्ड/कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण विभाग कपकोट, जिला बागेश्वर उत्तराखण्ड पर 25000 हजार रु की शास्ति आरोपित किया जाता है।	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग कपकोट, जिला बागेश्वर उत्तराखण्ड पर 25000 हजार रु की शास्ति आरोपित किया जाता है।	लोक निर्माण	25000.00			चालान संख्या 16 दिनांक 08/12/2016 के द्वारा जमा कर लिया गया है।	0

47	A-19676	17.06.2016	श्री महेश सिंह गड़िया, ग्राम व पोस्ट लिली, विकास खण्ड कपकोट, जिला बागेश्वर उत्तराखण्ड / कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग कपकोट, जिला बागेश्वर	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग कपकोट, जिला बागेश्वर उत्तराखण्ड पर 9000 रुपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	लोक निर्माण	9000.00	दिनांक 02/08/2016 के द्वारा जमा कर दिया गया है	9000
48	A-19587	15.06.2016	श्री हर्ष रतूडी, 130/77 कालीदास मार्ग, देहरादून/उप श्रमायुक्त गढ़वाल क्षेत्र, 298 हिमगिरी विहार अजबपुर जिला देहरादून/अपर श्रमायुक्त गढ़वाल क्षेत्र, 298 हिमगिरी विहार अजबपुर जिला देहरादून	उप श्रमायुक्त गढ़वाल क्षेत्र, 298 हिमगिरी विहार अजबपुर जिला देहरादून पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	श्रम एवं सेवायोजन	25000.00		0
49	A-19216	08.06.2016	श्री पंकज कुमार मिश्रा पुत्र श्री सूर्य प्रकाश मिश्रा, निवासी डी-7, तहसील कालोनी, शैल विहार ऋषिकेश जिला देहरादून/प्रधानाचार्य, गुरु तेग बहादुर इण्टर कालेज, बुगावाला, विकास खण्ड भगवानपुर, जिला हरिद्वार	प्रधानाचार्य, गुरु तेग बहादुर इण्टर कालेज, बुगावाला, विकास खण्ड भगवानपुर, जिला हरिद्वार पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	विद्यालयी शिक्षा	25000.00	चालान संख्या 94 दिनांक 16/08/2016 के द्वारा जमा कर लिया गया है।	0

50	A-19456	15.06.2016	श्री प्रवीण शर्मा पीन्नी, पुत्र श्री योगेश शर्मा, जिला मीडिया प्रमारी, जन संघर्ष मोर्चा, जीवनगढ़ पोस्ट अम्बाड़ी विकास नगर जिला देहरादून/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा देहरादून	जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा देहरादून पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है	विद्यालयी शिक्षा	25000.00			0
51	C-10992	30.05.2016	श्री दयाकृष्ण भट्ट, पुत्र श्री गंगा दत्त भट्ट, /ग्राम क्षिमार पो0 क्षिमार तहसील सल्ट जिला अल्मोडा उत्तराखण्ड पिन न0-263676/खण्ड विकास अधिकारी, सल्ट भोलेखाल जिला अल्मोडा	खण्ड विकास अधिकारी, सल्ट भोलेखाल जिला अल्मोडा पर 9000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	ग्राम्य विकास	9000.00		पत्राक संख्या 635 दिनांक 18.07.2016 के द्वारा कर्मचारी कोड संख्या -420027750 वा0 सं.-52 दिनांक 29.06.2016 के द्वारा कसूल कर लिया गया है।	9000
52	C-10987	17.06.2016	श्री बलबिन्दर साहनी, पुत्र श्री वेद प्रकाश, ग्राम व पोस्ट करनपुर जसपुर जिला उधमसिंहनगर/ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत करनपुर विकासखण्ड जसपुर जिला उधमसिंहनगर	ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत करनपुर विकासखण्ड जसपुर जिला उधमसिंहनगर पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	ग्राम्य विकास	25000.00	WP No. 1914/2016 Pending		
53	A-19661	17.06.2016	श्री असिम अजहर, आर0टी0आई0 कार्यकर्ता, सम्पादक, काईम का शिकजा, ग्राम मिस्सरवाला, पोस्ट कुण्डा तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड/अधिकासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद जसपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड	अधिकासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद जसपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	नगर निगम	25000.00	WP No. 2523/2016 Pending		0

54	A-10869	30.06.2016	श्री मनोज कुमार, पुत्र श्री तोता राम, ग्राम बादसी, पोस्ट खाण्ड गमरी, चिन्गलीसौड़ उत्तरकाशी, / उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड चिन्गलीसौड़ जिला उत्तरकाशी	उत्तरकाशी, / उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड चिन्गलीसौड़ जिला उत्तरकाशी पर 25000 हजार रुपये की शक्ति आरोपित किया गया है।	उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड चिन्गलीसौड़ जिला उत्तरकाशी पर 25000	रुर्जा	25000.00			चालान संख्या 00005 दिनांक 3.08.3016 के द्वारा जमा कर लिया गया है।	25000
55	A-18457	08.07.2016	श्री अख्तर हसनैन रिजवी एडवोकेट, वारसी गली लम्बर-5, ज्यारत शाह बुलाकी चक्कर की मिलक सिविल लाईन्स मुरादाबाद-244001 / जिला शिक्षा अधिकारी, प्रोशि0 जनपद हरिद्वार / मुख्य शिक्षा अधिकारी जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड	तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, प्रोशि0 जनपद हरिद्वार वर्तमान में जिला शिक्षा अधिकारी जिला बागेश्वर जिला उत्तराखण्ड पर 25000 हजार रुपये की शक्ति आरोपित किया जाता है।	विद्यालयी शिक्षा	25000.00	WP No. 2747/2016 Pending				0
56	A-19735	12.07.2016	डा0 पी0 सी0 पाण्डेय, एसो0 प्रो0 आनंद विहार गिरिलाल रोड काशीपुर जिला उधम सिंह नगर / प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय काशीपुर जिला उधमसिंह नगर	प्राचार्य श्री अर्जुन सिंह सिसाड़ी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय काशीपुर जिला उधमसिंह नगर पर 25000 हजार की शक्ति आरोपित किया गया है।	उच्च शिक्षा	25000.00					0
57	A-19099	30.06.2016	श्री शादाब अहमद पुत्र श्री सरताज अहमद, मकान नम्बर-527 के. एच. ग्राम रामपुर पोस्ट रुड़की जिला हरिद्वार-247667 / जिला परियोजना अधिकारी, सर्वशिक्षा अभियान हरिद्वार उत्तराखण्ड पर 25000 रुपये की शक्ति आरोपित किया गया है।	जिला परियोजना अधिकारी, सर्वशिक्षा अभियान हरिद्वार उत्तराखण्ड पर 25000 रुपये की शक्ति आरोपित किया गया है।	विद्यालयी शिक्षा	25000.00					0

58	A-19325	30.06.2016	श्री भीष्म चन्द्र राणा, ग्राम पाली, निवास मास्टर होटल, नगर पंचायत वाड नम्बर-3, नगर पंचायत बड़कोट/ अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान उत्तरकाशी उत्तराखण्ड/ महाप्रबंधक, मुख्यालय उत्तराखण्ड जल संस्थान जल भवन 'बी' ब्लॉक नेहरू कालोनी देहरादून	श्री विरेन्द्र सिंह, अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान उत्तरकाशी उत्तराखण्ड पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	जल संस्थान	25000.00			चालान संख्या 19 दिनांक 12.08.2016 के द्वारा जमा कर लिया गया है।	25000
59	A-19131	12.07.2016	श्री बलविन्दर साहनी द्वारा अमित प्रोविजन स्टोर, शुगर फैक्ट्री रोड, सुभाष नगर, काशीपुर, जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड-244713/ प्रधान/ ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत करनपुर पोस्ट करनपुर, विकासखण्ड जसपुर, जिला उधम सिंह नगर पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	प्रधान/ ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत करनपुर पोस्ट करनपुर, विकासखण्ड जसपुर, जिला उधम सिंह नगर पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	ग्राम्य विकास	25000.00		WP No. 2242/2016	माह अगस्त एवं सितम्बर 2016 के वेतन से वसूली कर ली गयी है।	0
60	A-19074	17.06.2016	श्री मुस्तफा पुत्र श्री अब्दुल मजीद, ग्राम भगवानपुर चन्दनपुर डाकखाना लंबौरा विकास खण्ड नारसन जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड/ प्रधान/ ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम सभा भगवानपुर चन्दनपुर विकास खण्ड नारसन जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड/	प्रधान/ ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम सभा भगवानपुर चन्दनपुर विकास खण्ड नारसन जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	ग्राम्य विकास	25000.00		WP No. 2539/2016 Stayed		0

61	A-16863	15.06.2016	श्री राजकुमार पुत्र श्री खूब सिंह, निवासी राजपुर पोस्ट नादेही जसपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड/निदेशालय समाज कल्याण, उत्तराखण्ड हल्द्वानी जिला नैनीताल उत्तराखण्ड पर 25000 हजार रुपये की शक्ति आरोपित किया गया है।	श्री चन्द्र सिंह बिष्ट, प्रशासनिक अधिकारी, निदेशालय समाज कल्याण, उत्तराखण्ड हल्द्वानी जिला नैनीताल उत्तराखण्ड पर 25000 हजार रुपये की शक्ति आरोपित किया गया है।	समाज कल्याण	25000.00	WP No. 2539/2016			0	
62	A-19323	30.06.2016	श्री धनप्रकाश शर्मा/वरिष्ठ सहायक सेवा निवृत्त, मकान नम्बर 370 गांधीनगर शेखपुरी रोड रुड़की जिला हरिद्वार /विपणन अधिकारी, उत्तराखण्ड कृषि उत्तपादन मण्डी परिषद मण्डी भवन रुद्रपुर जिला उधम सिंह नगर	विपणन अधिकारी, उत्तराखण्ड कृषि उत्तपादन मण्डी परिषद मण्डी भवन रुद्रपुर जिला उधम सिंह नगर पर 25000 हजार रुपये की शक्ति आरोपित किया गया है।	कृषि	25000.00	WP No. 2117/2016 list this matter after four weeks in the daily cause list Pending			0	
63	A-19775	15.07.2016	श्री विनोद कुमार जैन, एल-79 ऋषिलोक कालोनी ऋषिकेश जिला देहरादून-249201 / प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, रानीखेत जिला अल्मोड़ा /	श्री हर्ष सिंह नेगी, वरिष्ठ, प्रशासनिक अधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, रानीखेत जिला अल्मोड़ा 25000 हजार रुपये की शक्ति आरोपित किया गया है।	वन	25000.00		पत्रांक 22-1(3) दिनांक 03/01/2018 के माध्यम से जमा कर लिया गया है।			
64	A-19123	28.06.2016	श्री सुधीर चन्द्र साह पुत्र श्री नारायण लाल साह, मल्ली बाजार चम्पावत पोस्ट व जिला चम्पावत/खण्ड विकास अधिकारी, विकास चम्पावत उत्तराखण्ड/जिला विकास अधिकारी चम्पावत उत्तराखण्ड	शुश्री शिल्पी पंत खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड चम्पावत उत्तराखण्ड पर 25000 हजार रुपये की शक्ति आरोपित किया जाता है।	ग्राम्य विकास	25000.00			पत्रांक संख्या 510 दिनांक 24 जुलाई 2016 के द्वारा बैकरी चैक संख्या 001034 दिनांक 20.08.2016 के द्वारा सचिव उत्तराखण्ड सूचना आयोग के पक्ष में जारी कर दिया गया है		25000

65	C-10880	27.06.2016	श्री हरेन्द्र सिंह रावत,(स्व0 सं0से0 उत्तराधिकारी) ग्राम व पोस्ट बुरजौला, तहसील थराली जिला चमोली / लोक सूचना अधिकारी / प्रधान ग्राम पंचायत बुडजौला, विकास खण्ड थराली जिला चमोली पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	श्री विजेन्द्र सिंह रावत, लोक सूचना अधिकारी / प्रधान ग्राम पंचायत बुडजौला, विकास खण्ड थराली जिला चमोली पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	ग्राम्य विकास	25000.00			चालान संख्या 14 दिनांक 27/07/2017 के द्वारा जमा कर लिया गया है।	0
66	C-10641	14.07.2016	हवलदार हरपाल सिंह से0नि0, मकान नम्बर-653 गली नम्बर-14, कृष्ण नगर फुडकी जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड/ कार्यालय, मुख्य शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार	तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0 हरिद्वार वर्तमान में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक जिला बागेश्वर पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	विद्यालयी शिक्षा	25000.00				0
67	C-10635	18.07.2016	पूर्व सैनिक श्री यतेन्द्र सिंह नेगी, प्रभात कालोनी, काशीपुर निकट विश्वनाथ मन्दिर जिला उधम सिंह नगर /खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड रिखणीखाल जिला पौड़ी गढ़वाल / श्री रामेश्वर चौहान,परियोजना इकाई, स्वजल डेबिट भवन अपर चौपड़ा, पौड़ी गढ़वाल पर	श्री रामेश्वर चौहान,परियोजना इकाई, स्वजल डेबिट भवन अपर चौपड़ा, पौड़ी गढ़वाल पर 6500 रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	पेयजल	6500.00				0

68	A-19840	20.07.2016	श्री नरेश कुमार पुत्र श्री ज्योत प्रसाद निवासी ए 45/1, आई.आर.आई. कालोनी वाया नगर किनारा रुडकी पोस्ट व तहसील रुडकी जिला हरिद्वार / सहायक अभियन्ता, मुख्यालय ग्रा0नि0 वि0 प्रखण्ड हरिद्वार उत्तराखण्ड/ अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग रोशनाबाद जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड	श्री नरेश कुमार पुत्र श्री ज्योत प्रसाद निवासी ए 45/1, आई.आर.आई. कालोनी वाया नगर किनारा रुडकी पोस्ट व तहसील रुडकी जिला हरिद्वार / सहायक अभियन्ता, मुख्यालय ग्रा0नि0 वि0 प्रखण्ड हरिद्वार उत्तराखण्ड/ अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग रोशनाबाद जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड	ग्रामीण अभियन्त्रण	12250.00				0
69	A-19973	14.07.2016	श्री जम्बर सिंह मार्फत श्री हरदीप शर्मा, पत्रकार नि0 रुद्राक्ष गार्डन के पास गढ़वाल सभा रोड ग्राम जसपुर खुर्द काशीपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड/ प्रधान / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बरखेड़ा, काशीपुर जिला उधम सिंह नगर पर 18750 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	श्री जम्बर सिंह मार्फत श्री हरदीप शर्मा, पत्रकार नि0 रुद्राक्ष गार्डन के पास गढ़वाल सभा रोड ग्राम जसपुर खुर्द काशीपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड/ प्रधान / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बरखेड़ा, काशीपुर जिला उधम सिंह नगर	ग्राम्य विकास	18750.00				0
70	A-19725	21.07.2016	श्री प्रमोद कुमार डोभाल, प्रवक्ता आर.टी.आई. क्लब उत्तराखण्ड श्याम निकुंज, देवक्रषि एन्कलेव, देहरादून, देहरादून/खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड डोईवाला जिला देहरादून/जिला शिक्षा अधिकारी, मा0 शि0 मयूर विहार सहरत्रधारा रोड देहरादून	श्री प्रमोद कुमार डोभाल, प्रवक्ता आर.टी.आई. क्लब उत्तराखण्ड श्याम निकुंज, देवक्रषि एन्कलेव, देहरादून, देहरादून/खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड डोईवाला जिला देहरादून/जिला शिक्षा अधिकारी, मा0 शि0 मयूर विहार सहरत्रधारा रोड देहरादून	विद्यालयी शिक्षा	4250.00				0

71	C-10964	20.07.2016	श्री नितिन कुमार गर्ग एडवाकेट चैम्बर नम्बर-233 जिला एवं सत्र न्यायालय राशनाबाद जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड/परियोजना प्रबंधक, जिला परियोजना प्रबंधन ईकाई, ग्रामीण पेयजल एवं पर्यावरणीय स्वच्छता / सचिव, पेयजल उत्तराखण्ड शासन देहरादून	परियोजना प्रबंधक, जिला परियोजना प्रबंधन ईकाई, ग्रामीण पेयजल एवं पर्यावरणीय स्वच्छता परियोजना हरिद्वार पर रुपये 25000 हजार की शास्ति आरोपित किया जाता है।	पेयजल	25000.00	WVP No. 2455/2016 Pending	0		
72	C-11113	01.08.2016	श्री सूरजपाल सिंह चौहान, ग्राम व पोस्ट बहादुराबाद जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड/प्रधान / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बहादुराबाद जिला हरिद्वार	तत्कालीन प्रधान श्री नीरज ग्राम पंचायत बहादुराबाद जिला हरिद्वार पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	ग्राम्य विकास	25000.00		0		
73	A-20122	01.08.2016	श्री शकील हसन पुत्र श्री अहमद हसन, निवासी मुन्डाखेड़ा, खुर्द ब्लाक व तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार / प्रधान / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मुन्डाखेड़ा जिला हरिद्वार / खण्ड विकास अधिकारी लक्सर जिला हरिद्वार	तत्कालीन प्रधान सुश्री सुनीता रानी पत्नी श्री मोहर सिंह ग्राम पंचायत मुन्डाखेड़ा खुर्द विकास खण्ड लक्सर जिला हरिद्वार पर 25000 हजार की शास्ति आरोपित किया जाता है।	ग्राम्य विकास	25000.00		0		
74	A-11111	01.08.2016	श्री पूरन राम पुत्र स्व० श्री हरि राम, निवासी विकासपुरी नम्बर-2 बिनूखत्ता, तहसील लालकुआंव जिला नैनीताल उत्तराखण्ड-262402/खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड हल्द्वानी जिला नैनीताल	श्रीमती कमलेश बेदी, बी०आर०सी० समन्वयक, बी०आर०सी० कार्यालय धौलाखेड़ा, हल्द्वानी जिला नैनीताल पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	विद्यालयी शिक्षा	25000.00		0	भारतीय स्टेट बैंक के चालान संख्या 12/5684 दिनांक 21.09.2016 के द्वारा जमा कर लिया गया है।	
										25000

75	A-19843	09.08.2016	श्री जैनब जुहा, एडलोकट वारसी गली नम्बर -5, ज्यारत शाह बुलाकी चकर की मिलक सिलिल लाईन्स मुरादाबाद/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0 हरिद्वार / मुख्य शिक्षा अधिकारी, जिला हरिद्वार	श्री सन्दीप शर्मा, प्रवर सहायक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0 हरिद्वार पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	विद्यालयी शिक्षा	25000.00				0
76	A-19986	15.07.2016	श्री जयकृष्ण बहुगुणा, ग्राम गढ़ पोस्ट न्यू बरसाली जिला उत्तरकाशी / खण्ड शिक्षा अधिकारी, डण्डा, जिला उत्तरकाशी / जिला शिक्षा अधिकारी उत्तरकाशी / श्रीमती सावित्री रावत, सेवा निवृत्त खण्ड विकास अधिकारी, निवासी बाडाहाट, रावत भवन उत्तरकाशी	श्रीमती सावित्री रावत, सेवा निवृत्त खण्ड विकास अधिकारी, निवासी बाडाहाट, रावत भवन उत्तरकाशी पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	विद्यालयी शिक्षा	25000.00				0
77	A-19986	20.07.2016	श्री आनन्द मणि जोशी, पुत्र स्व0 श्री रामकृष्ण जोशी, ग्राम सिरसैण, मठोली, पोस्ट सिमली विकास खण्ड कर्णप्रयाग जिला चमोली / श्री देवीदत्त उनियाल खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड कर्णप्रयाग जिला चमोली / मुख्य विकास अधिकारी चमोली	श्री देवीदत्त उनियाल खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड कर्णप्रयाग जिला चमोली पर 11000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	ग्राम्य विकास	11000.00				0

78	A-19869	20.07.2016	श्री कैलाश चन्द्र करगोती, फ्लेट नम्बर-ई-703 कलाउड-9 रिसर्च पैराडाईज उत्तर प्रदेश / डा डी0एस0 मिश्रा, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी, वरिष्ठ वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद शोध संस्थान केन्द्र गोदरा गुजरात / निदेशक, प्रशासन एवं अनुश्रवण कार्यालय गो0ब0पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर जिला उधम सिंह नगर / कुल सचिव, गो0ब0पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर जिला उधम सिंह नगर	तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी, वरिष्ठ वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद शोध संस्थान केन्द्र गोदरा गुजरात पर 11250 की शक्ति आरोपित किया जाता है।	उच्च शिक्षा	11250.00	0	0
79	A-20013	19.07.2016	श्री आर0 के0 धरनी, 21 जानकपुरी इन्जीनियर्स एन्कलेव, जी0एम0एस0 मार्ग देहरादून / उप श्रमायुक्त गढ़वाल क्षेत्र, 298 हिमगिरी विहार अजबपुर जिला देहरादून / अपर श्रमायुक्त, 298 हिमगिरी विहार अजबपुर जिला देहरादून उत्तराखण्ड	उप श्रमायुक्त गढ़वाल क्षेत्र, 298 हिमगिरी विहार अजबपुर जिला देहरादून पर 18500 हजार रुपये की शक्ति आरोपित किया गया है।	श्रम एवं सेवायोजन	18500.00	0	0
80	A-19784	19.07.2016	श्री रघुनाथ सिंह रावत, प्रभारी प्रधानाचार्य, ग्राम श्यामपुर भण्डारी गेट, पोस्ट अम्बीवाला प्रेमनगर जिला देहरादून उत्तराखण्ड / श्री अनुराज कान्त प्रधानाचार्य, जनता इण्टर कालेज देवराजखाल, पौड़ी गढ़वाल / प्रबंधक, जनता इण्टर कालेज देवराजखाल पौड़ी गढ़वाल	श्री अनुराज कान्त प्रधानाचार्य, जनता इण्टर कालेज देवराजखाल, पौड़ी गढ़वाल पर 25000 हजार रुपये की शक्ति आरोपित किया गया है।	विद्यालयी शिक्षा	25000.00	0	25000

81	A-19859	26.07.2016	श्री मोहन सिंह राना, ग्राम स्यालगाढ़, पोस्ट पोखाल, पाड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड/प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत खोलकाण्डी, विकास खण्ड दुगड़डा पौड़ी गढ़वाल पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत खोलकाण्डी, विकास खण्ड दुगड़डा पौड़ी गढ़वाल पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	ग्राम्य विकास	25000.00			चालान संख्या 36 दिनांक 01/08/2017 के द्वारा जमा कर लिया गया है।	0
82	A-20064	25.07.2016	श्री विनोद कुमार जैन, सदस्य आरटी0आई0 क्लब उत्तराखण्ड, एल 79 ऋषिकेश कालोनी ऋषिकेश जिला देहरादून-249201/उप वन संरक्षक, राजाजी टाईगर रिजर्व, 5/1, अन्सारी मार्ग, देहरादून/निदेशक राजाजी टाईगर रिजर्व, 5/1, अन्सारी मार्ग, देहरादून	उप वन संरक्षक, राजाजी टाईगर रिजर्व, 5/1, अन्सारी मार्ग, देहरादून पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	वन	25000.00		WP No-681/2018 Stayed		0
83	A-19025	29.07.2016	श्री अशोक अरोड़ा, श्री सिद्धबली धाम कोटद्वार-246149/जिला समाज कल्याण अधिकारी, नरेन्द्रनगर गढ़वाल/मुख्य विकास अधिकारी, नरेन्द्र नगर टिहरी गढ़वाल	जिला समाज कल्याण अधिकारी, नरेन्द्रनगर जिला टिहरी गढ़वाल पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	समाज कल्याण	25000.00			पत्रांक 2309-10 दिनांक 05/02/2018 के द्वारा जमा कर लिया गया है।	0
84	A-20006	29.07.2016	श्री रियासत अली पुत्र श्री लियाकत अली, मौहल्ला मलकपुरा कस्बा मंगलौ तहसील व जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड/पूर्ति निरीक्षक, नगर क्षेत्र रुड़की, जिला हरिद्वार/जिला पूर्ति अधिकारी, जिला हरिद्वार	पूर्ति निरीक्षक, नगर क्षेत्र रुड़की, जिला हरिद्वार पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	25000.00				0

85	A-18984	09.06.2016	श्री यशवन्त सिंह भण्डारी, सदस्य उत्तराखण्ड आर0टी0आई0 क्लग गढ़ीरोड श्यामपुर पोस्ट सत्यनारायण ऋषिकेश जिला देहरादून/अधिकासी अभियन्ता, अस्थायी खण्ड लाक निर्माण विभाग ऋषिकेश जिला देहरादून	कार्यालय, अधिकासी अभियन्ता, अस्थायी खण्ड लोक निर्माण विभाग ऋषिकेश जिला देहरादून पर 11000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	लोक निर्माण	11000.00			पत्रांक 2047 04 / 07 / 2017 द्वारा माह सितम्बर, 2016 के वेतन से काट लिया गया है।	0
86	A-20684	16.08.2016	श्री विजेन्द्र कुमार पुत्र श्री समय सिंह, ग्राम व पोस्ट निजामपुर हरचन्दपुर जिला हरिद्वार / मानव संसाधन, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 कारपोरेशन लि0 विकटोरिया कसस विजेता गबर सिंह भवन, कांवली रोड बल्ली वाला चौक देहरादून/मुख्य अभियन्ता, परियोजना एवं वाणिज्य उपाकालि, विकटोरिया कसस विजेता गबर सिंह भवन, कांवली रोड बल्ली वाला चौक देहरादून	उप महाप्रबंधक, औद्योगिक संबंध एवं कार्मिक प्रबंधन, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 विकटोरिया कसस विजेता गबर सिंह भवन, कांवली रोड बल्ली वाला चौक देहरादून पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	ऊर्जा	25000.00				0
87	A-19840	20.07.2016	श्री नरेश कुमा पुत्र श्री ज्योति प्रसाद निवासी ए-45/1, आई0आर0आई0 कालोनी वाया नगर किनारा, रुड़की तहसील रुड़की जिला हरिद्वार/ सहायक अभियन्ता, मुख्यालय, ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखण्ड हरिद्वार उत्तराखण्ड / अधिकासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग रोशनाबाद जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड	सहायक अभियन्ता, मुख्यालय ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखण्ड हरिद्वार पर 12250 की शास्ति आरोपित किया गया है।	ग्राम्य विकास	12250.00				0

88	A-20211	26.09.2016	श्रीमती नीरू पत्नी श्री भारतवीर, मलिक, गली नम्बर-2, साउथ सिविल लाईन, पोस्ट मिलापनगर रुड़की जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड / खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड बहादुराबाद जिला हरिद्वार / प्रधानाचार्य रा0इ0का0 भेल रानीपुर जिला हरिद्वार / तत्कालीन प्रधानाचार्य, रा0इ0का0, भेल रानीपुर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड	तत्कालीन प्रधानाचार्य, रा0इ0का0, भेल रानीपुर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	माध्यमिक	25000.00			चालान संख्या 32 दिनांक 4 नवम्बर 2016 के द्वारा जमा कर लिया गया है।	25000
89	A-20597	28.09.2016	श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री सुरेन्द्र, निवासी बहालुपरी, विकास खण्ड लक्सर जिला हरिद्वार / प्रधान / ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत दरगाहपुर विकास खण्ड लक्सर जिला हरिद्वार / खण्ड विकास अधिकारी लक्सर जिला हरिद्वार	प्रधान / ग्राम पंचायत दरगाहपुर विकास खण्ड लक्सर जिला हरिद्वार पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	माध्यमिक शिक्षा	25000.00				0
90	A-20318	26.09.2016	श्री अमित कुमार चौहान, एन-155 शिवालिक नगर बी0एच0 ई0एल0 रानीपुर जिला हरिद्वार -249403 / प्रधान / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, औरंगाबाद, विकास खण्ड बहादुराबाद जिला हरिद्वार / खण्ड विकास अधिकारी, बहादुराबाद जिला हरिद्वार	प्रधान औरंगाबाद, विकास खण्ड बहादुराबाद जिला हरिद्वार पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	ग्राम्य विकास	25000.00				0

91	A-19565	29.09.2016	श्रीमती मुनेश पत्नी श्री आमपाल सिंह ग्राम बुडपुरजट्ट, पोस्ट गुरुकुल नारसन जिला हरिद्वार/प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ग्राम बूडपलजट्ट, पोस्ट गुरुकुल नारसन विकास खण्ड नारसन जिला	प्रधानग्राम बूडपलजट्ट, पोस्ट गुरुकुल नारसन विकास खण्ड नारसन जिला हरिद्वार पर 25000 हजार रुपये की शक्ति आरोपित किया गया है।	ग्राम्य विकास	25000.00			0
92	A-20288	03.10.2016	श्री दीवान सिंह पोखरिया, निकट रोडवेज कार्यशाला, पोस्ट ऐंचोली जिला पिथौरागढ़ उत्तराखण्ड-262530 / खण्ड शिक्षा अधिकारी, कनालीछीना जिला पिथौरागढ़/जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, पिथौरागढ़	खण्ड शिक्षा अधिकारी, कनालीछीना जिला पिथौरागढ़ पर 7500 की शक्ति आरोपित किया गया है।	विद्यालयी शिक्षा	7500.00			0
93	A-20450	04.10.2016	श्री राजवीर सिंह पुत्र श्री यशपाल सिंह, निवासी ग्राम मौ0 पुर बुजुर्ग, ब्लाक व तहसील लक्सर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड/ प्रधान / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मौ0 पुर बुजुर्ग, विकास खण्ड लक्सर जिला	तत्कालीन प्रधान श्रीमती सुदेश ग्राम पंचायत मौ0 पुर बुजुर्ग, विकास खण्ड लक्सर जिला हरिद्वार पर 25000 हजार रुपये की शक्ति आरोपित किया गया है।	ग्राम्य विकास	25000.00			0

94	A-20140	04.10.2016	श्री हेमन्त चौहान, मार्फत उप डाकघर बस स्टेशन पौड़ी गढ़वाल / कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग दुगड़डा जिला पौड़ी गढ़वाल / उप मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम देहरादून	उप मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम देहरादून पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	नगर निगम	25000.00			0
95	A-20662	04.10.2016	श्री नरेश चन्द्र, 27, करनपुर जिला देहरादून / उप शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड चकराता जिला देहरादून / मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून उत्तराखण्ड	उप शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड चकराता जिला देहरादून पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	विद्यालयी शिक्षा	25000.00	WP No. 620/2017 Pending		0
96	A-20521	05.10.2016	श्री मुस्तफा पुत्र श्री अब्दुल मजीद, ग्राम भगवानपुर चन्दनपुर डाकखाना लढौरा विकास खण्ड नारसन जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड / प्रधान / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम सभा भगवानपुर चन्दनपुर विकास खण्ड नारसन जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड / प्रधान / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम सभा भगवानपुर चन्दनपुर विकास खण्ड नारसन जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड /	प्रधान / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम सभा भगवानपुर चन्दनपुर विकास खण्ड नारसन जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	ग्राम्य विकास	25000.00	WP No. 3261/2016 Pending		0

97	A-20486	18.10.2016	श्री गुलाम शाबिर पुत्र जाबिर, ग्राम मुस्ताफाबाद, पदार्था, पोस्ट धनपुरा जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड/ प्रधान/ ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, मुस्ताफाबाद पदार्था, विकास खण्ड बहादुराबाद, जिला हरिद्वार/ खण्ड विकास अधिकारी बहादुराबाद जिला हरिद्वार	श्री प्रधान मुस्ताफाबाद पदार्था, विकास खण्ड बहादुराबाद, जिला हरिद्वार पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	ग्राम्य विकास	25000.00				0
98	A-20634	18.10.2016	श्री स्वीन्द्र सिंह नेगी पुत्र स्व0 श्री राम सिंह नेगी, ग्राम बण द्वारा पोस्ट वैरागणा, तहसील व जिला चमोली उत्तराखण्ड/ प्रधान / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सलूङ, विकास खण्ड जोशीमठ जिला चमोली/ खण्ड विकास अधिकारी जोशीमठ जिला चमोली	ग्राम पंचायत सलूङ, विकास खण्ड जोशीमठ जिला चमोली पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	ग्राम्य विकास	25000.00		WP No. 3338/2016 Pending		0
99	A-18760	17.10.2016	श्री ताराचन्द पुत्र श्री शम्भू निवासी ग्राम माजरी पोस्ट पिरान कलियर तहसील व जिला रुड़की जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड / प्रधान ग्राम पंचायत माजरी गुम्मावाला पोस्ट पिरान कलियर तहसील रुड़की जिला हरिद्वार/ खण्ड विकास अधिकारी रुड़की जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड	प्रधान ग्राम पंचायत माजरी गुम्मावाला पोस्ट पिरान कलियर तहसील रुड़की जिला हरिद्वार पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	ग्राम्य विकास	25000.00		WP No. 3124/2016 Pending		0

100	A-20572	24.10.2016	श्रीमती सलोचना सेनी, जोध सचियार गली शिवनगर भूपतवाला जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड / प्रधान / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत धनौरी, विकास खण्ड रुड़की, जिला हरिद्वार / खण्ड विकास अधिकारी, रुड़की जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड	प्रधान ग्राम पंचायत धनौरी, विकास खण्ड रुड़की, जिला हरिद्वार पर 13750 रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	ग्राम्य विकास	13750.00			0
101	A-20612	21.10.2016	श्रीमती सुमन सागर, एडवोकेट, चैम्बर नम्बर-107 बी, तहसील कम्पाउण्ड रुड़की जिला हरिद्वार / कुल सचिव, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय राजकीय महिला पॉलीटेक्निक परिसर सुम्नोवाला, देहरादून	वित्त नियंत्रक सिंचाई विकास उत्तराखण्ड शासन देहरादून पर 7000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	तकनीकी शिक्षा	7000.00	WP No. 357/2017 Pending		0
102	A-20591	14.10.2016	श्री मोहम्मद आसिक पुत्र श्री मोहम्मद सलीम, ग्राम बुंगधार, पोस्ट दुगडा, जिला पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड-246127 / प्रधान / ग्राम विकास अधिकारी, जुवा पोस्ट जुवा, विकास खण्ड दुगडा, पौड़ी गढ़वाल / खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड दुगडा, जिला पौड़ी गढ़वाल	ग्राम विकास अधिकारी, जुवा पोस्ट दुगडा, पौड़ी गढ़वाल पर 12500 रुपये की शास्ति आरोपित किया गयी है।	ग्राम्य विकास	25000.00			0

103	A-20513	04.10.2016	श्री मोहम्मद आसिक पुत्र श्री मोहम्मद सलीम, ग्राम बुंगधार, पोस्ट दुगड्डा, जिला पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड-246127 / प्रधान / ग्राम विकास अधिकारी, जुवा पोस्ट जुवा, विकास खण्ड दुगड्डा, पौड़ी गढ़वाल / खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड दुगड्डा, जिला पौड़ी गढ़वाल	ग्राम विकास अधिकारी, जुवा पोस्ट जुवा, विकास खण्ड दुगड्डा, पौड़ी गढ़वाल पर 12500 रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	ग्राम्य विकास	12500.00	चालान संख्या 17 दिनांक 22.12.2016 के द्वारा जमा कर दिया गया है।	12500	0
104	A-20012	18.10.2016	सुश्री रमा बिष्ट,ई-45, सेक्टर-39, नोएडा, 201303, उत्तर प्रदेश / कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण लोक निर्माण विभाग रानीखेत जिला अल्मोड़ा / अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग रानीखेत जिला अल्मोड़ा / अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग रानीखेत जिला अल्मोड़ा	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग रानीखेत जिला अल्मोड़ा पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	लोक निर्माण	25000.00			0
105	C-11162	26.09.2016	श्री गजेन्द्र नयाल ग्राम भट्टनगर, पोस्ट गौचर जिला चमोली उत्तराखण्ड / अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान कर्णप्रयाग जिला चमोली	अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान कर्णप्रयाग जिला चमोली पर 20000 की शास्ति आरोपित किया गया है।	जल संस्थान	20000.00			0

106	C-11220	18.10.2016	श्री राजकुमार उर्फ टीटू पुत्र श्री भूल्लन सिंह,आर0टी0आई0 कार्यकर्ता, ग्राम शेरपुर, पोस्ट डण्डेडी, खाजगीर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड/जिला शिक्षा अधिकारी जिला, बेसिक जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड	सहायक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला, बेसिक जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड पर 25000 हजार रुपये की शक्ति आरोपित किया गयाह )	विद्यालयी शिक्षा	25000.00				0
107	C-10790	15.06.2016	श्री राकेश अग्रवाल, कमरा नम्बर-16, नन्दा बिडिंग शताब्दी द्वार रुडकी जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड / लोक सूचना अणिकारी / प्रधानाचार्य, केवल कन्या इण्टर कालेज मंगलौर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड / विभागीय अपीलीय अधिकारी / प्रबंधक केवल कन्या इण्टर कालेज मंगलौर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड	प्रधानाचार्य, केवल कन्या इण्टर कालेज मंगलौर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड पर 25000 हजार रुपये की शक्ति आरोपित किया गया है	विद्यालयी शिक्षा	25000.00	WP No. 1846/2016			0
108	C-10994	27.05.2016	श्री महेश सिंह गडिया पुत्र श्री डी0एस0गडिया,ग्राम लीली कपकोट जिला बागेश्वर / कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग कपकोट जिला बागेश्वर	तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी, श्री मनोज कुमार भट्ट सहायक अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग कपकोट जिला बागेश्वर पर 1500 रुपये की शक्ति आरोपित किया गया है	लोक निर्माण	1500.00				0

109	A-20603	28.10.2016	श्री योगेन्द्र सैनी, जोध सचियार गली शिवनगर भूपतवाला जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड, प्रधान / ग्राम विकास अधिकारी ग्राम कोटा मुरादनगर पोस्ट खास जिला हरिद्वार / खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बहादुराबाद जिला हरिद्वार	पूर्व प्रधान ग्राम कोटा मुरादनगर पोस्ट खास जिला हरिद्वार पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया ।	ग्राम्य विकास	25000.00				0
110	A-20003	24.10.2016	श्री विनोद कुमार जैन, आरटीआई0 वलब, उत्तराखण्ड रजि0 एल-79 ऋषिलोक कालोनी, ऋषिकेश जिला देहरादून -249201 / उप वन संरक्षक, राजाजी टाईगर रिजर्व, देहरादून / निदेशक, राजाजी टाईगर रिजर्व, 5 / 1 अंसारी मार्ग देहरादून	उप वन संरक्षक, राजाजी टाईगर रिजर्व, देहरादून पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है ।	वन एवं पर्यावरण	25000.00				0
111	A-18513	25.10.2016	श्री विनोद कुमार जैन, एल-79, ऋषिकेश कालोनी, ऋषिकेश जिला देहरादून / उप वन संरक्षक, राजाजी टाईगर रिजर्व, 5 / 1 अंसारी मार्ग देहरादून / निदेशक, टाईगर रिजर्व, 5 / 1 अंसारी मार्ग, देहरादून	उप वन संरक्षक, राजाजी टाईगर रिजर्व, 5 / 1 अंसारी मार्ग देहरादून पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है ।	वन एवं पर्यावरण	25000.00		WP No-681/2018 Pending		0
112	A-20552	26.10.2016	श्री सूरजपाल सिंह चौहान, ग्राम व पोस्ट बहादुराबाद जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड / तत्कालीन ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बहादुराबाद जिला हरिद्वार / खण्ड विकास अधिकारी बहादुराबाद जिला हरिद्वार	तत्कालीन ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बहादुराबाद जिला हरिद्वार पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है ।	ग्राम्य विकास	25000.00				0

113	A-19696	27.10.2016	श्री मनोज राजपूत पुत्र श्री शेर सिंह नई धर्मशाला, स्वर्गाश्रम, पोस्ट स्वर्गाश्रम, जिला पौड़ी गढ़वाल / प्रधानाचार्य, गढ़वाल / प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज लक्ष्मणझूला, जिला पौड़ी गढ़वाल / प्रधानाचार्य, उत्तराखण्ड / खण्ड शिक्षा अधिकारी यमकेश्वर जिला पौड़ी गढ़वाल	प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज लक्ष्मणझूला, जिला पौड़ी गढ़वाल पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	विद्यालयी शिक्षा	25000.00			माह दिसम्बर 2016 के वेतन से काट लिया गया है।	0
114	A-19567	25.10.2016	श्री सुरेन्द्र दत्त जोशी, ग्राम व पोस्ट कालसी बाजार तहसील कालसी जिला देहरादून, लोक सूचना अधिकारी / प्रधानाचार्य आशा राम वैदिक इण्टर कालेज विकासनगर जिला देहरादून / प्रबंधक, आशा राम वैदिक इण्टर कालेज विकासनगर जिला देहरादून	प्रधानाचार्य आशा राम वैदिक इण्टर कालेज विकासनगर जिला देहरादून पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	माध्यमिक शिक्षा	25000.00	WP No. 67/2017 Pending			0
115	A-18500	18.10.2016	श्री आर0डी0 शर्मा पुत्र श्री आत्मा राम शर्मा, निवासी खडन्जा कुतुबपुर, पोस्ट लक्सर जिला हरिद्वार / खण्ड विकास अधिकारी, नारसन जिला हरिद्वार / जिला विकास अधिकारी, जिला हरिद्वार	खण्ड विकास अधिकारी, नारसन जिला हरिद्वार 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	ग्राम्य विकास	25000.00				0
116	A-18565	24.10.2016	श्री राकेश भण्डारी, एफ/2 प्रथम तल, कास रोड 6, देहरादून जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0 देहरादून / मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून / उप खण्ड शिक्षा अधिकारी रायपुर जिला देहरादून	तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी, श्री पदमेन्द्र सकलानी जिला शिक्षा अधिकारी, देहरादून पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	माध्यमिक शिक्षा	25000.00				0

117	A-20078	12.11.2016	श्री विनोद गुम्बर वीनू राष्ट्रीय सदस्य, भा0ज0यु0मो0, एफ-55 किडजी स्कूल सनातन गर्ल्स डिग्री कालेज के पास रुद्रपुर जिला उधम सिंह नगर / यू0पी0 हिल इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 785 इन्दिरा नगर देहरादून/यू0पी0 हिल इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 785 इन्दिरा नगर देहरादून	यू0पी0 हिल इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 785 इन्दिरा नगर देहरादून पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	यू0पी0हिल	25000.00	WP No.107/2017 Pending	0	
118	A-18913	16.11.2016	श्री नारायण दत्त भट्ट, पत्रकार उत्तर उजाला बनबसा जिला चम्पावत, उत्तराखण्ड/ अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत बनबसा, जिला चम्पावत/जिला अधिकारी, चम्पावत/प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी,बनबसा, चम्पावत/उप खण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण खण्ड टनकपुर जिला चम्पावत, जिला कार्यकम अधिकारी चम्पावत	उप खण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण खण्ड टनकपुर जिला चम्पावत पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	ऊर्जा	25000.00		पत्रांक संख्या 1730 दिनांक 30.12.2016 के द्वारा जमा कर दिया गया है।	25000
119	A-20340	29.11.2016	श्री कुर्बान अली, एडवोकेट,वैम्बर लम्बर-80 जिला एवं सत्र न्यायालय रोशनाबाद जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड/प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम भगतनपुर आबिदपुर ब्लाक बहादुराबाद जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड	प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम भगतनपुर आबिदपुर ब्लाक बहादुराबाद जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है	ग्राम विकास	25000.00			0

120	A-20302	11.11.2016	श्री अमरीश अग्रवाल, एडवोकेट सिंघान स्ट्रीट, रतन सिनेमा रोड, काशीपुर जिला उधम सिंह नगर / प्रबंधक, गैस सर्विस, काशीपुर जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड / महाप्रबंधक, प्रशासन, कु0म0वि0नि0लि0 नैनीताल उत्तराखण्ड	प्रबंधक, गैस सर्विस, काशीपुर जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड पर 12500 की शास्ति आरोपित किया गया है।	कुमाऊ मण्डल विकास निगम	12500.00			चालान संख्या 37 दिनांक 07 फरवरी 2017 के द्वारा जमा कर लिया गया है।	12500
121	A-20030	09.11.2016	श्री शिवेन्द्र कुमार शर्मा, मानव विहार कालोनी मानपुर रोड काशीपुर जिला उधम सिंह नगर / अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन विद्युत वितरण खण्ड काशीपुर जिला उधम सिंह नगर / अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल उ0पा0का0 लि0 33 के0वी0 विद्युत उप संस्थान	अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन विद्युत वितरण खण्ड काशीपुर जिला उधम सिंह नगर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	ऊर्जा	25000.00				
122	A-20096	08.11.2016	श्री गौतम प्रसाद शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत गल्जवाडी, पोस्ट घघोड़ा, देहरादून उत्तराखण्ड / खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सहसपुर, जिला देहरादून	खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सहसपुर, जिला देहरादून पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	ग्राम विकास	25000.00			डाफ्ट संख्या 610626 दिनांक 31.05.017 के द्वारा जमा कर लिया गया है।	0
123	A-19466	04.11.2016	श्री मिराज (एड) कार्यालय वाड नम्बर-8, गदरपुर उधम सिंह नगर / नायब तहसीलदार तहसील गदरपुर / तहसीलदार तहसील गदरपुर / तहसीलदार तहसील किच्छा जिला उधम सिंह नगर	नायब तहसीलदार तहसील गदरपुर पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	राजस्व	25000.00		W.P. No. 797/2017	पत्रांक संख्या 102 / 2017 दिनांक 17 अप्रैल 2017 के द्वारा जमा कर लिया गया है।	25000

124	A-20488	01.02.2017	श्री प्रदीप त्यागी पुत्र श्री महेंद्र त्यागी, ग्राम बुडियाला, पोस्ट बुडियाला, जिला हरिद्वार -247661 / प्रधानाचार्य, सी0एम0 डी इण्टर कालेज बुडियाला, जिला हरिद्वार पर 25000 हजार रुपये की शक्ति आरोपित किया गया है।	प्रधानाचार्य, सी0एम0 डी इण्टर कालेज बुडियाला, पोस्ट बुडियाला, जिला हरिद्वार पर 25000 हजार रुपये की शक्ति आरोपित किया गया है।	विद्यालयी शिक्षा	25000.00	WP No-1380/2017	0	
125	A-19672	08.11.2016	श्री विभा नामदेव, कबीर आश्रम, ऋषिकेश जिला देहरादून/कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राज मार्ग खण्ड रुड़की जिला हरिद्वार/अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राज मार्ग खण्ड रुड़की जिला हरिद्वार	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राज मार्ग खण्ड रुड़की जिला हरिद्वार पर 14250 की शक्ति आरोपित किया गया है।	लोक निर्माण	14250.00		रसीद संख्या 358053 एवं 358084 दिनांक 17/07/2017 के द्वारा जमा कर लिया गया है	0
126	A-20048	11.11.2016	श्री अनिल कुमार वर्मा पुत्र स्व0 श्री धर्मवीर वर्मा, निवासी लाल मन्दिर कालोनी ज्वालापुर जिला हरिद्वार / सहायक अभियन्ता, मुख्यालय ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड हरिद्वार / अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड हरिद्वार जिला हरिद्वार	सहायक अभियन्ता, मुख्यालय ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड हरिद्वार पर 25000 हजार रुपये की शक्ति आरोपित किया गया है	ग्रामीण अभियन्त्रण	25000.00	W.P.121/2017	0	

127	A-20078	12.11.2016	श्री विनोद गुम्बर वीनू राष्ट्रीय सदस्य, मा10ज0यु0म0, एफ-55 किडजी स्कूल सनातन गर्ल्स डिग्री कालेज के पास रुद्रपुर जिला उधम सिंह नगर / यू0पी0 हिल इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 785 इन्दिरा नगर देहरादून / यू0पी0 हिल इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 785 इन्दिरा नगर देहरादून	यू0पी0 हिल इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 785 इन्दिरा नगर देहरादून पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	यू0पी0हिल	25000.00			0
128	A-20547	15.11.2016	श्री रमेश चन्द्र शर्मा पुत्र स्व0 श्री शंकर लाल शर्मा,शंकर चौक, नया बाजार हल्द्वानी जिला नैनीताल उत्तराखण्ड / प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिम वन प्रभाग रामनगर जिला नैनीताल / वन संरक्षण पश्चिमी वृत्त उत्तराखण्ड हल्द्वानी जिला नैनीताल	डा0 सी.के. कविदयशल, निदेशक उप संरक्षक, नन्दा देवी बायोस्फियर रिजर्व गोपेश्वर पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है	वन एवं पर्यावरण	25000.00	WP No. 3405/2016	0	
129	A-20039	04.11.2016	श्री काशिफ अली पुत्र श्री साजिद अली,मोहल्ला खालसा निकट मैथोडिस्ट चर्च काशीपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड / प्रबंधक, काशीपुर गैस सर्विस कार्यालय काशीपुर जिला उधम सिंह नगर / महाप्रबंधक प्रशासन, कुमाऊ मण्डल विकास निगम लि0 नैनीताल उत्तराखण्ड	प्रबंधक, काशीपुर गैस सर्विस कार्यालय काशीपुर जिला उधम सिंह नगर पर 21250 रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	कुमाऊ मण्डल विकास निगम	21250.00	WP No. 3329/2016 The Writ Petition shall remain stayd. Stay Application CLMA No 12766/2016 stands disposed of.	0	

130	A-20363	02.11.2016	श्री अख्तर जहीर पुत्र श्री जहीर उल हक, निवासी एकता एनक्लेव, चन्द्रबनी रोड देहरादून/जिला आबकारी अधिकारी उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड	जिला आबकारी अधिकारी उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है	आबकारी	25000.00	25000	चालान संख्या 69 दिनांक 14.12.2016 के द्वारा जमा कर लिया गया है।	0
131	A-19690	12.11.2016	श्री बबलू सैनी पुत्र श्री हुकम सिंह, ग्राम व पोस्ट धनपुरा जिला हरिद्वार/प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी धनपुरा जिला हरिद्वार/खण्ड विकास अधिकारी बहादुराबाद जिला हरिद्वार	प्रधान/ग्राम पंचायत धनपुरा जिला हरिद्वार पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है	ग्राम्य विकास	25000.00	25000		0
132	A-20474	03.11.2016	श्री सुधीर कुमार राणा, एडवोकेट,सिविल कोर्ट, परिसर काशीपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड/प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर जिला नैनीताल/वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त उत्तराखण्ड हल्द्वानी जिला नैनीताल	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर जिला नैनीताल पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है	वन एवं पर्यावरण	25000.00		चालान संख्या 001 दिनांक 10/03/2018 के माध्यम से जमा कर लिया गया है।	0
133	A-20127	03.11.2016	श्री हेमन्त चौहान पुत्र श्री यशपाल सिंह चौहान,प्रधान/ग्राम व पोस्ट रोहालकी किशनपुर, विकास खण्ड बहादुराबाद जिला हरिद्वार -249402/प्रधान/ग्राम पंचायत रोहालकी किशनपुर विकास खण्ड बहादुराबाद जिला हरिद्वार/खण्ड विकास अधिकारी बहादुराबाद जिला हरिद्वार	प्रधान/ग्राम पंचायत रोहालकी किशनपुर विकास खण्ड बहादुराबाद जिला हरिद्वार 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	ग्राम्य विकास	25000.00			0

134	A-20094	02.11.2016	श्री हयात सिंह अधिकारी, ग्राम पाटन पाटनी पोस्ट लोहाघाट, जिला चम्पावत उत्तराखण्ड / कार्यालय अधिकासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग लोक निर्माण विभाग खण्ड लोहाघाट, जिला चम्पावत / अधिकासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग लोक निर्माण विभाग खण्ड लोहाघाट, जिला चम्पावत	कार्यालय अधिकासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग लोक निर्माण विभाग खण्ड लोहाघाट, जिला चम्पावत श्री परीवन गुरुरानी पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	लोक निर्माण	25000.00			चालान संख्या 18 दिनांक 07 / 07 / 2017 के द्वारा जमा कर लिया गया।	0
135	A-20071	03.11.2016	श्री मोहम्मद राशिद पुत्र श्री आशिक हुसैन, मोहल्ला पट्टी चौहान जसपुर जिला उधम सिंह नगर / अधिकासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड जसपुर जिला उधम सिंह नगर / अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल काशीपुर उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड	श्री गौरव बिष्ट, कार्यालय सहायक, अधिकासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड जसपुर जिला उधम सिंह नगर	ऊर्जा	25000.00				0
136	A-19419	03.11.2016	श्री नितिन दूबे, मानव विहार कालोनी, मानपुर रोड काशीपुर जिला उधम सिंह नगर / अधिकासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड रुद्रपुर / अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल रुद्रपुर	अधिकासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड रुद्रपुर पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	ऊर्जा	25000.00				0

137	A-19634	04.11.2016	श्री इनाम अली, 131 बल्लूपुर रोड देहरादून/खण्ड शिक्षा अधिकारी, सहसपुरजिला देहरादून/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0 देहरादून/श्री पदमेन्द्र सकलानी प्रबंधक, राज्य साक्षरता मिशन मयूरविहार देहरादून	श्री पदमेन्द्र सकलानी प्रबंधक, राज्य साक्षरता मिशन मयूरविहार देहरादून पर 10750 रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	विद्यालयी शिक्षा	10750.00	चालान संख्या 93 दिनांक 30/01/2017 के द्वारा जमा कर लिया गया है।	0
138	A-20552	04.11.2016	श्री दयाधर जोशी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, सिंचाई खण्ड काशीपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड/अधिसासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड काशीपुर जिला उधम सिंह नगर /अधीक्षण अभियन्ता,सिंचाई कार्यमण्डल उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड	श्री आर0एस0 आर्य अधिसासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड काशीपुर जिला उधम सिंह नगर पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	सिंचाई	25000.00	चालान संख्या 30/01/2017 के द्वारा जमा कर लिया गया है।	0
139	A-20098	08.11.2016	श्री प्रभात कुमार अग्रवाल,प्रभात एण्ड एसोसिएट्स, 164 भण्डारी कालोनी शफीपुर सुभाष नगर रुड़की जिला हरिद्वार/प्रधानाचार्य, सी0एम0 डी इण्टर कालेज बुड़ियाला भगवानपुर, जिला हरिद्वार	श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, प्रधानाचार्य, सी0एम0 डी इण्टर कालेज बुड़ियाला भगवानपुर, जिला हरिद्वार पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	विद्यालयी शिक्षा	25000.00	चालान दिनांक 08/11/2016 के द्वारा जमा कर लिया गया है।	0
140	C-11224	08.11.2016	श्रीमती वन्दना राठी, निवासी गुरुकुल नारसन जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड/प्रधानाचार्य, राजा महेन्द्र प्रताप प्रेम विद्यालय, इण्टर कालेज गुरुकुल नारसन, हरिद्वार, जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड	प्रधानाचार्य, राजा महेन्द्र प्रताप प्रेम विद्यालय इण्टर कालेज गुरुकुल नारसन, हरिद्वार, जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	विद्यालयी शिक्षा	25000.00	चालान संख्या 126 दिनांक 17/12/2016 के द्वारा जमा कर लिया गया है।	0

141	C-1509	08.11.2016	श्री भोजपाल सिंह पुत्र श्री रतन लाल, सर्राफा बाजार मंगलौर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड / प्रधानाध्यपिका सी0एस0ए0जू0हा0स्कूल , सी0एस0ए0जू0हा0स्कूल मंगलौर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड	प्रधानाध्यपिका, सी0एस0ए0जू0हा0स्कूल मंगलौर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड पर 25000 हजार रुपये की शांति आरोपित किया गया है।	विद्यालयी शिक्षा	25000.00			0
142	A-20039	04.11.2016	श्री काशिफ अली पुत्र श्री साजिद अली, मोहल्ला खालसा निकट मैथोडिस्ट चर्च काशीपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड / प्रबंधक, काशीपुर गैस सर्विस कार्यालय काशीपुर जिला उधम सिंह नगर / महाप्रबंधक प्रशासन, कुमाऊ मण्डल विकास निगम लि0 नैनीताल उत्तराखण्ड	प्रबंधक, काशीपुर गैस सर्विस कार्यालय काशीपुर जिला उधम सिंह नगर पर 21250 रुपये की शांति आरोपित किया गया है।	कुमाऊ मण्डल विकास निगम	21250.00	WP No. 3329/2016 Stay Application stands disposed		0
143	A-21187	23.09.2016	श्री कययूम बख्श सिददीकी, निवासी विवेकानन्द स्कूल के पीछे, जीतनगर बागेश्वर पो0 ओ0 बागेश्वर जिला बागेश्वर / जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा बागेश्वर उत्तराखण्ड	शिक्षा अधिकारी, बागेश्वर सुश्री पुनम चौहान, पर 25000 रुपये की शांति आरोपित किया गया है।	विद्यालयी शिक्षा	25000.00			0
144	A-20287	06.09.2016	श्री स्वरूप सिंह पुत्र श्री जगत सिंह, ग्राम सिसैया, डाकपत्थर खालीमहुवट, विकास खण्ड एवं तहसील खटीमा जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड- 262308 / प्रधान / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सिसैया, विकास खण्ड खटीमा जिला उधम सिंह नगर	प्रधान श्रीमती गुल्जारी देवी ग्राम पंचायत सिसैया, विकास खण्ड खटीमा जिला उधम सिंह नगर पर 6000 रुपये की शांति आरोपित किया गया है।	ग्राम्य विकास	6000.00		चालान सख्या 9 दिनांक 17.12.2016 के द्वारा जमा कर लिया गया है।	6000

145	A-20132	16.11.2016	श्री मोहन चन्द्र आगरकोटी, बरिष्ठ वैयक्तिक सहायक, नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल / प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल / वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल	प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल ड0 तेजस्वनी अरविंद पाटील पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	वन एवं पर्यावरण	25000.00	WP No. 497/2017		0
146	A-20078	12.11.2016	श्री विनोद गुम्बर वीनूराष्ट्रीय सदस्य, मो10ज0यु0मो0, एफ-55 किडजी स्कूल सनातन गर्ल्स डिग्री कालेज के पास रुद्रपुर जिला उधम सिंह नगर / यू0पी0 हिल इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 785 इन्दिरा नगर देहरादून / यू0पी0 हिल इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 785 इन्दिरा नगर देहरादून	यू0पी0 हिल इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 785 इन्दिरा नगर देहरादून पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	यू0पी0हिल	25000.00			0
147	A-21174	22.12.2016	श्री त्रिभुवन सिंह चुफाल पुत्र श्री लाल सिंह चुफाल, ग्राम चुपड़ाखेत, पोस्ट आदिचौरा, तहसील डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़ / 1. प्रधान ग्राम पंचायत चुपड़ाखेत, पोस्ट आदिचौरा तहसील डीडीहाट जिला पिथौरागढ़, 2. ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ग्राम पंचायत चुपड़ाखेत द्वारा खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड डीडीहाट जिला पिथौरागढ़ / खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड डीडीहाट जिला पिथौरागढ़	1. प्रधान श्रीमती दीप देवी, ग्राम पंचायत चुपड़ाखेत, पोस्ट आदिचौरा तहसील डीडीहाट जिला पिथौरागढ़ पर 8250 की शास्ति आरोपित किया गया है	ग्राम्य विकास	8250.00			0

148	A-21610	22.12.2016	श्रीमती सीमा देवी, ग्राम लालपानी, पोस्ट कुम्भीचौड़ कोटद्वार जिला पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड/कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, दुगडडा जिला पौड़ी गढ़वाल/	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, दुगडडा जिला पौड़ी गढ़वाल पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	लोक निर्माण	25000.00			पत्रांक 1719 दिनांक 06/07/2017 के द्वारा जमा कर लिया गया है।	0
149	A-21692	26.12.2016	श्री भोजपाल पुत्र श्री रतन लाल, सराफा बाजार मंगलौर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड/जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा जिला हरिद्वार/मुख्य शिक्षा अधिकारी, रोशनाबाद जिला हरिद्वार	श्री नरेश शर्मा, वरिष्ठ शाहायक कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी शिक्षा जिला हरिद्वार पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	विद्यालयी शिक्षा	25000.00			चालान संख्या 34 दिनांक 25/01/2017 के द्वारा जमा कर लिया गया है।	0
150	A-21373	21.12.2016	श्री राजेन्द्र खर्कवाल, मोहनपुर टनकपुर जिला चम्पावत उत्तराखण्ड-262309/परि योजना प्रबंधक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निगम लोहाघाट जिला चम्पावत उत्तराखण्ड/	श्री कपिल सिंह परियोजना प्रबंधक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निगम लोहाघाट जिला चम्पावत उत्तराखण्ड	पेयजल	25000.00				0
151	A-20683	27.12.2016	श्री नरेश कुमार सैनी पुत्र श्री विशम्बर सिंह, जनता वस्त्र भण्डार सुल्तानपुर पोस्ट सुल्तानपुर कुन्हारी जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड/खण्ड विकास अधिकारी, बहादुराबाद जिला हरिद्वार/	जिला विकास अधिकारी, जिला हरिद्वार श्री एस.एस. शर्मा पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	ग्राम्य विकास	25000.00		WP No. 368/2017 Stayed		0

152	A-20212	28.12.2016	श्रीमती प्रतिमा सिंह, एडवोकेट,पत्नी श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा बुद्धि सिंह नेगी, बन्नीश कालोनी, लेन नम्बर-11, डांडा धर्मपुर पोस्ट नेहरू ग्राम देहरादून-248005 / वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, तहसील सदर जिला देहरादून	श्रीमती साधना सिंह वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, तहसील सदर जिला देहरादून पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	राजस्व	25000.00				0
153	A-21038	03.01.2017	श्री धर्मवीर सैनी,हजारीबाग, कनखल जिला हरिद्वार /उप वन संरक्षक, राजाजी टाईगर रिजर्व, 5 / 1, अंसारी मार्ग देहरादून /निदेशक, राजाजी टाईगर रिजर्व, 5 / 1 अंसारी मार्ग देहरादून	उप वन संरक्षक, राजाजी टाईगर रिजर्व, 5 / 1, अंसारी मार्ग देहरादून पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	वन एवं पर्यावरण	25000.00				0
154	A-21143	22.12.2016	श्री सुभाष चन्द्र,ग्राम दैसण, पोस्ट बांघाट, जिला पौड़ी गढ़वाल-246172 / 1.प्रधान, ग्राम बिलखेत, पोस्ट बांघाट विकास खण्ड कल्जीखाल, जिला पौड़ी गढ़वाल, 2. ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम बिलखेत, द्वारा खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड कल्जीखाल, जिला पौड़ी गढ़वाल / खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड कल्जीखाल, जिला पौड़ी गढ़वाल	1.प्रधान, ग्राम बिलखेत, पोस्ट बांघाट, विकास खण्ड कल्जीखाल, जिला पौड़ी गढ़वाल पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	ग्राम्य विकास	25000.00				25000

155	A-21051	06.12.2016	श्री रमेश चन्द्र शर्मा, प्रबंधक, ड्रस्टी धर्मशाला माई गिंदा कुंवर बरेली ट्रस्ट सुभाषघाट, हरिद्वार उत्तराखण्ड / मुख्यालय उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 विक्टोरिया कास विजेता गबर सिंह कास विजेता गबर सिंह भवन, देहरादून / मुख्य अभियन्ता, स्तर-1 (वाणिज्य) उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, विक्टोरिया कास विजेता गबर सिंह भवन कांवली रोड देहरादून	अधीक्षण अभियन्ता, श्री जी0एस0 कुंवर, मुख्यालय उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 विक्टोरिया कास विजेता गबर सिंह भवन, देहरादून पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	ऊर्जा	25000.00	चालान संख्या 00176 दिनांक 2 फरवरी 2017 के द्वारा जमा कर लिया गया है।	25000
156	A-21401	13.01.2017	श्री शहजाद पुत्र स्व. श्री असगर, ग्राम रहमतपुर पोस्ट पिरान कलियर तहसील व ब्लाक रुड़की जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड / प्रधान ग्राम पंचायत रहमतपुर विकास खण्ड रुड़की जिला हरिद्वार / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत रहमतपुर द्वारा खण्ड विकास अधिकारी रुड़की जिला हरिद्वार / खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड रुड़की जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड	श्रीमती रजनी प्रधान ग्राम पंचायत रहमतपुर विकास खण्ड रुड़की जिला हरिद्वार पर 10500 की शास्ति आरोपित किया गया है	ग्राम्य विकास	10500.00		0

157	A-20370	10.01.2017	श्री सुभाष चन्द्र बड्ड्याल, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय आयुक्त ग्राम्य विकास पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड / उपायुक्त प्रशासन ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड पौड़ी गढ़वाल /	उपायुक्त प्रशासन ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड पौड़ी गढ़वाल पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	ग्राम्य विकास	25000.00			वाउचर संख्या- 25150032 दिनांक 18/03/2017 के द्वारा जमा कर लिया गया है।	0
158	A-21735	02.01.2017	श्री राजेन्द्र सिंह राठौर द्वारा अमित बिष्ट, हिमालयन, निकट एडम्स, पम्प हाउस जल संस्थान अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड / राजकीय होटल मैनेजमेंट एवं कैटरिंग संस्थान अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड / प्राचार्य, राजकीय होटल मैनेजमेंट एवं कैटरिंग संस्थान अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड	श्री नरेन्द्र सिंह मेहरा, वरिष्ठ सहायक, राजकीय होटल मैनेजमेंट एवं कैटरिंग संस्थान अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है	होटल मैनेजमेंट	25000.00				0
159	A-21264	06.01.2017	श्री राजीव मेहरोत्रा पुत्र श्री रामचन्द्र मेहरोत्रा, वार्ड नम्बर-4, तिलकनगर, प्रेम टाकीज के पीछे, खटीमा जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड- 262308 / उप शिक्षा अधिकारी, खटीमा जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड	उप शिक्षा अधिकारी, खटीमा जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड पर 5500 रुपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	विद्यालयी शिक्षा	5500.00				0

160	A-21233	06.01.2017	श्री राजेश कुमार पुत्र स्व0 श्री रामचन्द्र, ग्राम चायबाग अम्बिवाला ठाकुरपुर, ईस्ट हाप टाउन देहरादून उत्तराखण्ड / 1. प्रधान, ग्राम पंचायत ठाकुरपुर, विकास खण्ड सहसपुर, जिला देहरादून, 2. ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत ठाकुरपुर, द्वारा खण्ड विकास अधिकारी सहसपुर, जिला देहरादून / खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सहसपुर जिला देहरादून	1. प्रधान, ग्राम पंचायत ठाकुरपुर, विकास खण्ड सहसपुर, जिला देहरादून, पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	ग्राम्य विकास	25000.00			चालान संख्या 21 दिनांक 22/02/2018 के द्वारा जमा कर लिया गया है।	0
161	A-21832	05.01.2017	श्री सचिन चौधरी, 59 खन्ना नगर गली नम्बर-3 ज्वालापुर जिला उधम सिंह नगर / उप शिक्षा अधिकारी, (फ़ा0शि0) बहादुराबाद, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	श्रीमती सुमन अग्रवाल, उप शिक्षा अधिकारी, (फ़ा0शि0) बहादुराबाद, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	बिद्यालयी शिक्षा	25000.00		WP No. 510/2017		0
162	A-21204	10.01.2017	श्री संदीप गौयल, सम्पादक एस0के0एम0 न्यूज सर्विस, 80-बी, तिलक रोड देहरादून / कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड कचहरी रोड देहरादून / अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड कचहरी रोड देहरादून	श्री जीत सिंह रावत अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड कचहरी रोड देहरादून पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है	लोक निर्माण	25000.00		WP No 511/2017 operation of the reponent no. 1, shall remain Stayed. Stay Application (CLMA no. 2075/2017 stands disposed		0

163	A-21055	10.01.2017	श्री सतीश कुमार पुत्र श्री अनन्त राम, निवासी ग्राम डकरानी, पोस्ट ओ0 डकरानी कालोनी जिला देहरादून/उप शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड सहसपुर, जिला देहरादून /जिला शिक्षा अधिकारी प्रा0 शि0 शिक्षा देहरादून	श्रीमती आकांक्षा राठौर, उप शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड सहसपुर, जिला देहरादून पर 25000 हजार रुपये की शक्ति आरोपित किया गया है।	विद्यालयी शिक्षा	25000.00	चालान संख्या 21/08/2017 के द्वारा जमा कर लिया गया है।	0
164	A-21057	10.01.2017	श्री सावन सिंह पुत्र श्री बंजार सिंह, निवासी ग्राम नजीमाबाद धौराडाम, तहसील किच्छा जिला उधम सिंह नगर /पूर्ति निरीक्षक, जसपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड/वरिष्ठ विपणन अधिकारी, जसपुर जिला उधम सिंह नगर	श्री गगनाश, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, गदरपुर जिला उधम सिंह नगर पर 25000 हजार रुपये की शक्ति आरोपित किया गया है।	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	25000.00	चालान संख्या ए-240 दिनांक 03/01/2017 के द्वारा जमा कर लिया गया है।	0
165	A-21883	11.01.2017	श्री प्रेम लाल जुयाल पुत्र श्री शालोक राम जुयाल, ग्राम मंजरुवाल पट्टी गुसाई, विकास खण्ड धौलधार, पो0 ओ0 मण्डखाल, जिला टिहरी गढ़वाल/ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत मंजरुवाल, विकास खण्ड धौलधार, (छाम) कण्डी सौड, जिला टिहरी गढ़वाल/ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत मंजरुवाल, विकास खण्ड धौलधार, (छाम) कण्डी सौड, जिला टिहरी गढ़वाल/खण्ड विकास अधिकारी धौलधार, (छाम) कण्डी सौड, जिला टिहरी गढ़वाल	ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत मंजरुवाल, विकास खण्ड धौलधार, (छाम) कण्डी सौड, जिला टिहरी गढ़वाल पर 25000 हजार रुपये की शक्ति आरोपित किया गया है।	ग्राम्य विकास	25000.00		0

166	A-21301	13.01.2017	श्री योगेश कुमार पुत्र श्री देवेन्द्र कुमार, ग्राम व पोस्ट भोगपुर, विकास खण्ड लक्सर जिला हरिद्वार/प्रधान, ग्राम पंचायत भोगपुर, विकास खण्ड लक्सर, जिला हरिद्वार/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत भोगपुर द्वारा खण्ड विकास अधिकारी लक्सर, जिला हरिद्वार / खण्ड विकास अधिकारी, लक्सर जिला हरिद्वार	प्रधान, ग्राम पंचायत भोगपुर, विकास खण्ड लक्सर, जिला हरिद्वार पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	ग्राम्य विकास	25000.00		WP No. 234/2017	0
167	A-19445	20.01.2017	श्री ओ०पी० सिंह, एडवोकेट, निवासी चौहान भवन, मुरादाबाद रोड, काशीपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड/ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर / तहसीलदार तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर / रजिस्ट्रार काननगो, तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर	श्री युशुफ अली, रजिस्ट्रार काननगो, तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है	राजस्व	25000.00			0
168	A-19790	18.01.2017	श्री नन्दन सिंह, 03 / 1192, सुभाषनगर, हल्द्वानी जिला नैनीताल / उप शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि० ताड़ीखेत, जिला अल्मोड़ा / जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि० अल्मोड़ा	श्री राय साहब यादव, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि० अल्मोड़ा पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	विद्यालयी शिक्षा	25000.00			0

169	A-20185	18.01.2017	श्री डी0 सी0 भट्ट, प्लॉट नम्बर पी-4, सेक्टर 7 डी, बौराडी नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रॉ0शि0, टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	श्री अशोक कुमार गुसाई, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रॉ0शि0, टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	विद्यालयी शिक्षा	25000.00			0
170	A-21073	06.01.2017	श्री अमोलक प्रसाद से0 नि0 लेखाकार, द्वारा मनीष ट्रेड्स छोटी मार्केट पन्तनगर जिला उधम सिंह नगर -263145/उप वित्त नियंत्रक, कार्यालय गो0ब0पंत कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय पन्तनगर जिला उधम सिंह नगर /वित्त नियंत्रक, कार्यालय गो0ब0पंत कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय पन्तनगर जिला उधम सिंह नगर	उप वित्त नियंत्रक, कार्यालय गो0ब0पंत कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय पन्तनगर जिला उधम सिंह नगर पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	उच्च शिक्षा	25000.00		रसीद संख्या 10387 दिनांक 05/05/2017 के द्वारा जमा कर लिया गया है।	0
171	C-11467	17.01.2017	श्री सी0पी0 सोनी, एफ/2, नेहरू कालोनी, हरिद्वार रोड देहरादून उत्तराखण्ड-248001/कुल सचिव ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय, देहरादून/कुलपति, ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय देहरादून	कुल सचिव ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय, देहरादून पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	उच्च शिक्षा	25000.00			0

172	A-21336	06.01.2017	श्री नवीन तिवारी, एडवोकेट, हाईकोर्ट आफ उत्तराखण्ड, चैम्बर-34 नैनीताल उत्तराखण्ड/सहायक निदेशक, प्रशासन एवं अनुश्रवण गो0ब0 पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड/कुल सचिव, गो0ब0पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर जिला उधम सिंह नगर	सहायक निदेशक, प्रशासन एवं अनुश्रवण गो0ब0 पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	उच्च शिक्षा	25000.00				0
173	A-21102	10.01.2017	श्री जुलिकार पुत्र श्री जमीन, ग्राम झिडियान ग्रान्ट, ब्लाक भगवानपुर जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड/प्रधान, ग्राम पंचायत झिडियान ग्रान्ट विकास खण्ड भगवानपुर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड/खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड भगवानपुर जिला हरिद्वार	प्रधान, ग्राम पंचायत झिडियान ग्रान्ट विकास खण्ड भगवानपुर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है	ग्राम्य विकास	25000.00	WP No. 891/2016			0
174	A-19889	18.01.2017	श्री उदय राज सिंह, पुत्र श्री जसवंत सिंह निवासी ग्राम खड़कपुर, देवीपुरा, तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड/प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, खड़कपुर, देवीपुरा विकासखण्ड काशीपुर जिला उधम सिंह नगर /खण्ड विकास अधिकारी काशीपुर जिला उधम सिंह नगर	ग्राम विकास अधिकारी, श्री मनोज कुमार ग्राम खड़कपुर, देवीपुरा विकासखण्ड काशीपुर जिला उधम सिंह नगर पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है	ग्राम्य विकास	25000.00				0

175	A-20173	19.01.2017	श्री शीशपाल सिंह, गांधीनगर पोस्ट मालधन चौड़, वाया काशीपुर जिला नैनीताल-244713 / अधिशा सी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड काशीपुर, जसपुर जिला उधम सिंह नगर / अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल काशीपुर जिला उधमसिंह नगर	अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड काशीपुर, जसपुर जिला उधम सिंह नगर पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है	रुर्जा	25000.00			0
176	A-20207	19.01.2017	श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री लक्ष्मी चन्द्र,मकान नम्बर-331, मौ0 चाकलान, ज्वालापुर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड / उप खण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड शौलविहार ऋषिकेश जिला देहरादून / अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड शौलविहार ऋषिकेश जिला देहरादून	उप खण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड शौलविहार ऋषिकेश जिला देहरादून पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है	रुर्जा	25000.00	WP No. 360/017 Stay application stands disposed of.		0
177	A-19822	23.01.2017	श्री योगेन्द्र सैनी, जोध सवियार गली शिवनगर भूपतवाला जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड, प्रधान / ग्राम विकास अधिकारी ग्राम दादूगोविन्दपुर, विकास खण्ड बहादुराबाद, जिला हरिद्वार / खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बहादुराबाद जिला हरिद्वार	तत्कालीन प्रधान, ग्राम दादूगोविन्दपुर, विकास खण्ड बहादुराबाद, जिला हरिद्वार पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	ग्राम्य विकास	25000.00			0

178	A-21476	24.01.2017	श्री प्रवीण शर्मा पीन्नी, पुत्र श्री योगेश शर्मा, जिला मीडिया प्रभारी, जन संघर्ष मार्चा, जीवनगढ़ पोस्ट अम्बाड़ी विकास नगर जिला देहरादून/अधिकासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड कालसी मुख्यालय अम्बाड़ी जिला देहरादून/अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्यमण्डल, जी0एम0एस0 रोड महारानी बाग देहरादून	अधिकासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड कालसी मुख्यालय अम्बाड़ी जिला देहरादून पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	सिंचाई	25000.00	0
179	A-21427	24.01.2017	श्री कमलेश कुमार पुत्र श्री ब्रह्मानन्द शर्मा, ग्राम बहादरपुर खादर ब्लॉक लक्सर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड/ प्रधान ग्राम पंचायत बहादरपुर खादर, विकास खण्ड लक्सर जिला हरिद्वार / ग्राम पंचायत विकास / खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड लक्सर जिला हरिद्वार	तत्कालीन प्रधान ग्राम पंचायत बहादरपुर खादर, विकास खण्ड लक्सर जिला हरिद्वार पर 2500 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	ग्राम्य विकास	25000.00	0
180	A-20460	24.01.2017	श्री धर्मेन्द्र कुमार पुत्र श्री जय श्री, निवासी पाण्डे कालोनी गोपीपुरा, पोस्ट आर0टी0ओ0 हेमपुर काशीपुर उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड/ प्रधान/ ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम गोपीपुरा विकास खण्ड काशीपुर जिला उधम सिंहनगर	प्रधान, ग्राम गोपीपुरा विकास खण्ड काशीपुर जिला उधम सिंहनगर पर 25000 की शास्ति आरोपित किया गया है।	ग्राम्य विकास	25000.00	0

181	A-20291	24.01.2017	प0 सुनील शर्मा, मॉ चमुण्डा देवी उत्थान समिति रजि0 कार्यालय मॉ चमुण्डा देवी प्रवेश द्वार शिव शक्ति मण्डल बिल्केश्वर महादेव मन्दिर गौरी कुण्ड के मध्य, हरिद्वार उत्तराखण्ड/उप वन संरक्षक, राजाजी टाईगर रिजर्व, 5/1 अंसारी मार्ग देहरादून/वन संरक्षक, राजाजी टाईगर रिजर्व, 5/1 अंसारी मार्ग देहरादून/वन संरक्षक, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, 5/1 अंसारी मार्ग देहरादून	उप वन संरक्षक, राजाजी टाईगर रिजर्व, 5/1 अंसारी मार्ग देहरादून पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	वन एवं पर्यावरण	25000.00	W/P No-584/2018		0
182	A-20180	25.01.2017	चौ0 सचिन कुमार पुत्र श्री सुरेन्द्र पाल सिंह, ग्राम व पोस्ट नारसन कलां जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड-247670/जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक जिला हरिद्वार	डा0 पुष्पा रानी जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक जिला हरिद्वार पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	विद्यालयी शिक्षा	25000.00	W/P No-1385/2017 interim order shall stand vacated automatically.		0
183	A-20316	24.01.2017	श्री विमल चन्द्र शुक्ला, पुत्र स्व0 श्री पन्नालाल, ग्राम पोस्ट नाग जगई वाया भीरी, जिला रुद्रप्रयाग उत्तराखण्ड/उप शिक्षा अधिकारी अगस्त्यमुनि, जिला रुद्रप्रयाग/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0 रुद्रप्रयाग, जिला रुद्रप्रयाग, उत्तराखण्ड	उप शिक्षा अधिकारी अगस्त्यमुनि, जिला रुद्रप्रयाग पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	विद्यालयी शिक्षा	25000.00	W/P No. 399/2017 The operation and effect of the order dated 24.01.2017 shall remain stayed.		0
184	A-21064	11.01.2017	श्री राजीव मेहरोत्रा पुत्र श्री रामचन्द्र मेहरोत्रा, वार्ड नम्बर-4, तिलकनगर, प्रेम टाकीज के पीछे, खटीमा जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड- 262308/उप शिक्षा अधिकारी, खटीमा जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड/	उप शिक्षा अधिकारी, खटीमा जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड पर 5500 रुपये की शास्ति आरोपित किया जाता है।	विद्यालयी शिक्षा	5500.00		पत्रांक संख्या-192 दिनांक 20.02.2017 के द्वारा 5500 रुपये की शास्ति जमा कर दी गयी है।	5500

185	A-20182	06.01.2017	श्री शिव सिंह नेगी, पुत्र स्व0 श्री विशन सिंह नेगी, मकान नम्बर-328, हंस भवन, मोहब्बेवाला कमल प्रिन्टिंग प्रेस वाली गली देहरादून/प्रभागीय लौंगिंग प्रबंधक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम टौन्स पुरोला जिला उत्तरकाशी/क्षेत्रीय प्रबंधक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम (टिहरी क्षेत्र), 73 नेहरू रोड देहरादून	प्रभागीय लौंगिंग प्रबंधक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम टौन्स पुरोला जिला उत्तरकाशी पर 9500 की शास्ति आरोपित किया जाता है	वन एवं पर्यावरण	9500.00	0
186	A-21336	06.01.2017	श्री नवीन तिवारी, एडवोकेट, हाईकोर्ट आफ उत्तराखण्ड, चैम्बर-34 नैनीताल उत्तराखण्ड/सहायक निदेशक, प्रशासन एवं अनुश्रवण गो0ब0 पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड/कुल सचिव, गो0ब0 पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर जिला उधम सिंह नगर	सहायक निदेशक, प्रशासन एवं अनुश्रवण गो0ब0 पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	उच्च शिक्षा	25000.00	0
187	A-21102	10.01.2017	श्री जुल्फिकार पुत्र श्री जमीन, ग्राम झिडियान ग्रान्ट, ब्लाक भगवानपुर जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड/प्रधान, ग्राम पंचायत झिडियान ग्रान्ट विकास खण्ड भगवानपुर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड	प्रधान, ग्राम पंचायत झिडियान ग्रान्ट विकास खण्ड भगवानपुर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है	ग्राम्य विकास	25000.00	0

188	A-21956	13.01.2017	श्री विनोद कुमार पुत्र श्री रामस्वरूप, मकान नम्बर-सी-60/4, एन0ए0पी0एस0 टाउनशिप नरौरा, जिला बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश/उप जिला अधिकारी कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल/जिला अधिकारी, जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड	उप जिला अधिकारी कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	राजस्व	25000.00				0
189	A-21277	20.01.2017	श्री रोहित कुमार पुत्र श्री भागमल सिंह, निवासी ग्राम व पोस्ट बहादुराबाद जिला हरिद्वार / प्रधान, ग्राम पंचायत बहादुराबाद, विकास खण्ड बहादुराबाद, जिला हरिद्वार / ग्राम पंचायत अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बहादुराबाद द्वारा खण्ड विकास अधिकारी बहादुराबाद, जिला हरिद्वार / खण्ड विकास अधिकारी, बहादुराबाद जिला हरिद्वार	तत्कालीन प्रधान, श्री नीरज चौहान ग्राम पंचायत बहादुराबाद, विकास खण्ड बहादुराबाद, जिला हरिद्वार पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	ग्राम्य विकास	25000.00				0
190	A-19949	25.01.2017	श्री कुलमीत सिंह, वार्ड नम्बर-05, ग्राम पंचायत खड़कपुर, देवीपुरा, तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर / प्रधान, ग्राम पंचायत खड़कपुर विकास खण्ड काशीपुर जिला उधम सिंह नगर / खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड काशीपुर जिला उधम सिंह नगर	प्रधान, ग्राम पंचायत खड़कपुर विकास खण्ड काशीपुर जिला उधम सिंह नगर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	ग्राम्य विकास	25000.00				0

191	A-21353	25.01.2017	श्री संजय कुमार रावत, निवासी अपर चमोली जिला चमोली उत्तराखण्ड-246424 / प्रधानाचार्य, फसवाण फाट जनता इण्टर कालेज हरमनी-दशोली, जिला चमोली / विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी दशोली चमोली उत्तराखण्ड	प्रधानाचार्य, फसवाण फाट जनता इण्टर कालेज हरमनी-दशोली, जिला चमोली पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	विद्यालयी शिक्षा	25000.00			चालान संख्या 01 दिनांक 28/11/2017 के द्वारा जमा कर लिया गया है।	0
192	A-21639	27.01.2017	श्री जुम्मा पुत्र श्री चन्दा, निवासी ग्राम गुलडिया तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड / प्रधान, ग्राम पंचायत गुलडिया, विकास खण्ड काशीपुर जिला उधम सिंह नगर / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत गुलडिया, द्वारा खण्ड विकास अधिकारी काशीपुर जिला उधम सिंह नगर	प्रधान, ग्राम पंचायत गुलडिया, विकास खण्ड काशीपुर जिला उधम सिंह नगर पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	ग्राम्य विकास	25000.00				0
193	A-20508	27.01.2017	श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री बुद्धि सिंह, ग्राम कपोला पोस्ट कुथनौर, पट्टी वजरी, तहसील बड़कोट जिला उत्तरकाशी / प्रधान / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम कुथनौर, तहसील बड़कोट जिला उत्तरकाशी / खण्ड विकास अधिकारी, नौगांव, जिला उत्तरकाशी	खण्ड विकास अधिकारी, नौगांव, जिला उत्तरकाशी पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	ग्राम्य विकास	25000.00				0

194	A-20589	30.01.2017	श्रीमती सतेश्वरी देवी पत्नी श्री जगत सिंह, ग्राम बमड़ी पोस्ट अन्दरोली, वाया धुमाकोट पौड़ी गढ़वाल / प्रधान / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अपोला, विकास खण्ड नैनीडाण्डा जिला पौड़ी गढ़वाल / खण्ड विकास अधिकारी, नैनीडाण्डा, जिला पौड़ी गढ़वाल	प्रधान श्रीमती शशि देवी, ग्राम पंचायत अपोला, विकास खण्ड नैनीडाण्डा जिला पौड़ी गढ़वाल पर 25000 हजार रुपये की शक्ति आरोपित किया गया है।	ग्राम्य विकास	25000.00	25000	चालान संख्या 005 दिनांक 28 मार्च 2017 के द्वारा 25000 हजार रुपये की शक्ति जमा कर दी गयी है।	0
195	A-20150	30.01.2017	श्री नरेन्द्र कुमार, द्वारा उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड, निर्माण खण्ड निरंजनपुर जिला देहरादून / अधिशासी अभियन्ता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, ट्रान्सपोर्ट नगर सहासनपुर रोड देहरादून पर 25000 हजार रुपये की शक्ति आरोपित किया गया है।	अधिशासी अभियन्ता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, ट्रान्सपोर्ट नगर सहासनपुर रोड देहरादून पर 25000 हजार रुपये की शक्ति आरोपित किया गया है।	एम.डी.डी.ए.	25000.00	25000	चालान संख्या 0101 दिनांक 15.04.2017 के द्वारा 25000 हजार रुपये की शक्ति आरोपित किया गया है।	0
196	A-20515	27.01.2017	श्री धनपाल सिंह राणा पुत्र स्व0 श्री मोर सिंह राणा, ग्राम सेम घण्डयालकी, पोस्ट छेरपधार, जिला टिहरी गढ़वाल- 249131 / धान / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सेम, विकास खण्ड प्रतापनगर जिला टिहरी गढ़वाल / खण्ड विकास अधिकारी, प्रताप नगर जिला टिहरी गढ़वाल	श्री कीर्ति सिंह पंवार, खण्ड विकास अधिकारी, प्रतापनगर, विकास खण्ड प्रतापनगर जिला टिहरी गढ़वाल पर 25000 हजार रुपये की शक्ति आरोपित किया गया है।	ग्राम विकास	25000.00	0	चालान संख्या 6 दिनांक 17/01/2018 के द्वारा जमा कर लिया गया है।	0

197	A-20588	27.01.2017	श्री शान्ति प्रसाद भट्ट, 124 मित्रलोक कालोनी, बल्लपुर रोड देहरादून/प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कालेज लक्ष्मणझूला, जिला गढ़वाल/खण्ड शिक्षा अधिकारी यमकेश्वर जिला पौड़ी गढ़वाल	प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कालेज लक्ष्मणझूला, जिला पौड़ी गढ़वाल पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	ग्राम विकास	25000.00			चालान संख्या 164 दिनांक 01/05/2017 के द्वारा जमा कर लिया गया है।	0
198	A-20942	27.01.2017	श्री कुंवर सिंह, ग्राम चौण्डा विकास खण्ड थराली जिला चमोली/1.प्रधान, ग्राम पंचायत चौण्डा, पौ० थराली विकास खण्ड थराली जिला चमोली, 2. ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत चौण्डा द्वारा खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड थराली जिला चमोली/खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड थराली जिला चमोली उत्तराखण्ड	1.प्रधान, ग्राम पंचायत चौण्डा, पौ० थराली विकास खण्ड थराली जिला चमोली पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	ग्राम विकास	25000.00			चालान संख्या 2 दिनांक 06.04.2017 के द्वारा जमा कर लिया गया है।	25000
199	A-19982	30.01.2017	श्री मनोज राजपूत पुत्र श्री शेर सिंह नई धमशाला, स्वर्गाश्रम, पोस्ट स्वर्गाश्रम, जिला पौड़ी गढ़वाल/प्रधानाचार्य, राजकीय इंटर कालेज लक्ष्मणझूला, जिला पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड/खण्ड शिक्षा अधिकारी यमकेश्वर जिला पौड़ी गढ़वाल	प्रधानाचार्य, राजकीय इंटर कालेज लक्ष्मणझूला, जिला पौड़ी गढ़वाल पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	विद्यालयी शिक्षा	25000.00			पत्रांक संख्या 79 दिनांक 02/07/2017 के द्वारा जमा कर लिया गया है।	0

200	A-20941	27.01.2017	श्री शम्भू प्रसाद मार्फत श्री प्रेम दास जी, महाराज, वृंदावन आश्रम ट्रस्ट, वीरभद्र मार्ग कोयल घाटी ऋषिकेश जिला देहरादून- 249201 / प्रधान / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत गुमड, विकास खण्ड थराली, जिला चमोली / खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड थराली जिला चमोली उत्तराखण्ड	प्रधान ग्राम पंचायत गुमड, विकास खण्ड थराली, जिला चमोली पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	ग्राम्य विकास	25000.00			पत्रांक संख्या 300 दिनांक 27/07/2017 के द्वारा जमा कर लिया गया है।	0
201	A-21860	01.02.2017	श्री ज्योति प्रसाद पुत्र श्री बीरुसिंह, ग्राम अलावलपुर पोस्ट छुटमलपुर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड / प्रधानाध्यापक, रा0 प्रा0 अलावलपुर-आई, विकास खण्ड हरिद्वार उत्तराखण्ड	प्रधानाध्यापक, रा0 प्रा0 अलावलपुर-आई, विकास खण्ड भगवानपुर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	विद्यालयी शिक्षा	25000.00				0
202	A-20815	01.02.2017	श्री फरमूद अली, एडवोकेट, चैम्बर नम्बर-215 प्रथम तल जिला एवं सत्र न्यायालय रोशनाबाद जिला हरिद्वार / प्रधान / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत गुमड, विकास खण्ड बहादुराबाद जिला हरिद्वार / खण्ड विकास अधिकारी, बहादुराबाद जिला हरिद्वार	प्रधान ग्राम पंचायत गुमड विकास खण्ड बहादुराबाद जिला हरिद्वार पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	ग्राम्य विकास	25000.00				0

203	A-21843/20843	02.02.2017	श्री लीलानन्द बहुखण्डी, ग्राम बडियाणा, पोस्ट सैन्धार पट्टी सैन्धार पौड़ी गढ़वाल / प्रधान / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बडियाणा, विकास खण्ड बीरोखाल, जिला पौड़ी गढ़वाल / खण्ड विकास अधिकारी बीरोखाल जिला पौड़ी गढ़वाल	प्रधान ग्राम पंचायत बडियाणा, विकास खण्ड बीरोखाल, जिला पौड़ी गढ़वाल पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	ग्राम्य विकास	25000.00	चालान संख्या 46 दिनांक 10/09/2018 के द्वारा जमा कर लिया गया है।	0
204	A-20595	07.02.2017	श्री घसीटू, सिंह पुत्र श्री मोपाल सिंह, ग्राम औसपुर, पोस्ट रायसी जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड / प्रधान / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास खण्ड लक्सर जिला हरिद्वार / 1. खण्ड विकास अधिकारी लक्सर जिला हरिद्वार, 2. जिला विकास अधिकारी, जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड	प्रधान / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत ईस्मालिपुर, विकास खण्ड लक्सर जिला हरिद्वार पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	ग्राम्य विकास	25000.00		0
205	A-20202	09.02.2017	श्री सिद्धार्थ कुमार, ग्राम शिबूनगर निकट जल निगम स्टोर, देवी रोड कोटद्वार जिला पौड़ी गढ़वाल-246149 / प्रधान विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत पलोटा कोट जिला पौड़ी गढ़वाल / खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड कोट, जिला पौड़ी गढ़वाल	वरिष्ठ सहायक रीउमो विद्यालय, पलोटा कोट जिला पौड़ी गढ़वाल पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	विद्यालयी शिक्षा	25000.00	पत्रांक संख्या 11-14 / 2017-18 दिनांक 10 अप्रैल 2017 के द्वारा जमा कर लिया गया है।	25000



209	A-21869	16.02.2017	डा० सम्राट शर्मा, 94-पूर्वावली गणेशपुर, रुड़की जिला हरिद्वार-247667 / प्राचार्य, बी०एस०एम० (पी०जी०) कालेज रुड़की जिला हरिद्वार / अध्यक्ष, प्रबंध समिति, बी०एस०एम० (पी०जी०) कालेज रुड़की जिला हरिद्वार	प्राचार्य, बी०एस०एम० (पी०जी०) कालेज रुड़की जिला हरिद्वार पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	उच्च शिक्षा	25000.00	WP No. 654/2017 Pending	0	
210	A-21069	20.02.2017	श्री एम०एल० शर्मा, सी-598 नया आवास विकास काशीपुर जिला उधम सिंह नगर / अधिशासी अभियन्ता, उपाकालि० विद्युत वितरण खण्ड काशीपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड / अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल काशीपुर जिला उधमसिंह नगर	अधिशासी अभियन्ता, उपाकालि० विद्युत वितरण खण्ड काशीपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	ऊर्जा	25000.00	WP No. 1115/2017	0	
211	A-21654	14.02.2017	श्री दर्शन सिंह रावत, ग्राम तिलियाणी, पोस्ट डेवराना, विकास खण्ड यमकेश्वर जिला पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड / खण्ड विकास अधिकारी, यमकेश्वर जिला पौड़ी गढ़वाल / जिला विकास अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल	खण्ड विकास अधिकारी, यमकेश्वर जिला पौड़ी गढ़वाल पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है	ग्राम्य विकास	25000.00		पत्रांक 424 / 1- स्था दिनांक 28 / 07 / 2018 के द्वारा माह मार्च, 2018 के वेतन से कटौती कर दी गयी है।	0

212	A-21470	27.02.2017	श्री सी0पी0 सोनी, एफ./2, नेहरू कालोनी, हरिद्वार रोड देहरादून उत्तराखण्ड-248001/उत्तरांचल विश्वविद्यालय देहरादून उत्तराखण्ड/	उत्तरांचल विश्वविद्यालय देहरादून उत्तराखण्ड पर 25000 हजार रुपये की शास्ति अरापित किया गया है।	उच्च शिक्षा	25000.00				0
213	A-21741	21.02.2017	श्रीमती विभा नामदेव, कबीर आश्रम ऋषिकेश जिला देहरादून उत्तराखण्ड - 249203/जिला प्रोबेशन अधिकारी, कचहरी देहरादून/जिला समाज कल्याण अधिकारी सर्वे चौक देहरादून	जिला प्रोबेशन अधिकारी, कचहरी देहरादून पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	समाज कल्याण	25000.00	WP No. 889/2016 Pending			0
214	A-21646	20.02.2017	श्री ललित पन्त पुत्र श्री तारा दत्त पंत,ग्राम भीम नगर खरमासा तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड/ प्रधान, ग्राम पंचायत खरमासा विकास खण्ड काशीपुर जिला उधम सिंह नगर / जिला उधम सिंह नगर / ग्राम पंचायत विकास खण्ड काशीपुर जिला उधम सिंह नगर / ग्राम पंचायत विकास खरमासा द्वारा खण्ड विकास अधिकारी काशीपुर जिला उधम सिंह नगर	प्रधान, ग्राम पंचायत खरमासा विकास खण्ड काशीपुर जिला उधम सिंह नगर पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	ग्राम्य विकास	25000.00				0
215	A-21461	27.02.2017	श्री जे0 एन0 जोशी,एस0बी0सी0 114, यमुना कालोनी देहरादून, अधीक्षण अभियन्ता (कार्मिक) कार्यालय मुख्य अभियन्ता, एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून/मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष(कार्मिक), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून	अधीक्षण अभियन्ता (कार्मिक) कार्यालय मुख्य अभियन्ता, एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	सिंचाई	25000.00			चालान संख्या 10 दिनांक 24/07/2017 के द्वारा जमा कर लिया गया है।	0

216	A-22129	02.03.2017	श्री पूरन चन्द्र जोशी, रि0 वैज्ञानिक, पार्सन काटेज, धिलियानौला, तहसील रानीखेत, जिला अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड/प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड/वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड	प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड पर 5000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है।	वन एवं पर्यावरण	5000.00	5000.00	पत्रांक संख्या 7031/29-1, दिंक 20.04.2017 के द्वारा 5000 हजार रुपये की शास्ति जमा कर लिया गया है।	5000	0
217	A-20334	01.02.2017	श्री ताहिर हसन एडवोकेट, ग्राम व पोस्ट सुल्तानपुर आदमपुर जिला हरिद्वार / जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक जिला हरिद्वार / मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार उत्तराखण्ड	जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक जिला हरिद्वार पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है	जिला शिक्षा अधिकारी हरिद्वार	25000.00	25000.00	WP No-1380/2017 This interim order shall stand vacated automatically	5000	0

**आयोग को प्राप्त बजट**



## वर्ष 2016-17 में विभिन्न मदों में आयोग को निम्नवत् बजट प्राप्त हुआ :



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20162017

Secretary, GAD (S017)

आवंटन पत्र संख्या - 928/xxxi(15)G/2016

अलोटमेंट आई डी - S1608060016

अनुदान संख्या - 006

आवंटन पत्र दिनांक -01-Aug-2016

HOD Name - Secretary State Information Commission (4661)

1: लेखा शीर्षक	2070 - अन्य प्रशासनिक सेवायें	00 -
	800 - अन्य व्यय	
	13 - सूचना आयोग की स्थापना	
	00 - सूचना आयोग की स्थापना	

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	2667000	5333000	8000000
02 - मजदूरी	200000	400000	600000
03 - महंगाई भत्ता	3467000	6933000	10400000
04 - यात्रा व्यय	67000	133000	200000
05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय	17000	33000	50000
06 - अन्य भत्ते	600000	1200000	1800000
07 - मानदेय	27000	53000	80000
08 - कार्यालय व्यय	533000	1067000	1600000
09 - विद्युत देय	267000	533000	800000
10 - जलकर / जल प्रभार	17000	33000	50000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छ	167000	333000	500000
12 - कार्यालय फर्निचर एवं उपकरण	267000	533000	800000
13 - टेलीफोन पर व्यय	267000	533000	800000
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेद	567000	1433000	2000000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवा	3333000	6667000	10000000
18 - प्रकाशन	133000	267000	400000
19 - विज्ञापन, विक्री और विख्यापन	33000	67000	100000
22 - आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आ	67000	133000	200000
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण औ	83000	167000	250000
27 - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	100000	200000	300000
42 - अन्य व्यय	233000	467000	700000
44 - प्रशिक्षण व्यय	1000	0	1000
45 - अवकाश यात्रा व्यय	50000	100000	150000
46 - कंप्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	133000	267000	400000
47 - कंप्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी	100000	200000	300000
	<b>13396000</b>	<b>27085000</b>	<b>40481000</b>

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

**27085000**

## वर्ष 2017-18 में विभिन्न मदों में आयोग को निम्नवत् बजट प्राप्त हुआ :

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Secretary, GAD (S017)

आवंटन पत्र संख्या - 980/xxxi(15)G/2017

अनोटमेंट आई डी - S171106001

अनुदान संख्या - 006

आवंटन पत्र दिनांक - 03-Nov-2017

HOD Name - Secretary State Information Commission (4661)

1: लेखा शीर्षक	2070 - अन्य प्रशासनिक सेवार्थे	00 -
	800 - अन्य व्यय	
	13 - सूचना आयोग की स्थापना	
	00 - सूचना आयोग की स्थापना	

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	9784000	0	9784000
02 - मजदूरी	600000	0	600000
03 - महंगाई भत्ता	587000	0	587000
04 - यात्रा व्यय	100000	0	100000
05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय	17000	53000	70000
06 - अन्य भत्ते	1500000	0	1500000
07 - गानदेय	57000	23000	80000
08 - कार्यालय खर्च	1099000	501000	1600000
09 - विद्युत देय	700000	0	700000
10 - जनकर / जन प्रचार	50000	0	50000
11 - सेसन सामग्री और फार्मों की छ	300000	200000	500000
12 - कार्यालय फर्निचर एवं उपकरण	500000	0	500000
13 - टेलीफोन पर व्यय	800000	0	800000
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पैद	1600000	0	1600000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवा	10000000	0	10000000
18 - प्रकाशन	350000	0	350000
19 - विज्ञापन, निकी और निष्काशन	100000	0	100000
22 - खातिर व्यय विषयक भत्ता आ	130000	70000	200000
26 - मशीनें और सज्जा / उपकरण औ	147000	0	147000
27 - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	300000	0	300000
42 - अन्य व्यय	207000	413000	620000
44 - प्रशिक्षण व्यय	50000	0	50000
45 - लवकाश यात्रा व्यय	150000	0	150000
46 - कंप्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	117000	83000	200000
47 - कंप्यूटर अनुरक्षण/सामग्री	200000	100000	300000
	<b>29445000</b>	<b>1443000</b>	<b>30888000</b>

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

1443000

# 8.

## वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों की सुनवायी

सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उत्तराखण्ड सूचना आयोग को प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों की सुनवायी हेतु प्रदेश के दूरस्थ एवं पर्वतीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों से अपीलकर्ताओं तथा लोक सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों को आयोग के कार्यालय में उपस्थित होना पड़ता है। कतिपय अवसरों पर देहरादून आवागमन में होने वाली शारीरिक एवं आर्थिक कठिनाइयों के कारण अपीलकर्ता आयोग में सुनवायी हेतु उपस्थित होने में असमर्थ रहते हैं।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा अपीलों एवं शिकायतों की सुनवायी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराये जाने पर विगत समय से विचार किया जा रहा था।

इस दिशा में पहल करते हुये योजना के प्रारम्भिक चरण में जनपद पिथौरागढ़ के जिला मुख्यालय स्थित एन.आई.सी. केन्द्र तथा आयोग कार्यालय के मध्य वीडियो कान्फ्रेंसिंग से सुनवायी की सुविधा स्थापित की गयी है।

वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवायी प्रारम्भ होने से जहां एक ओर अपीलकर्ताओं को अपने जनपद मुख्यालय से ही सुनवायी में प्रतिभाग करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा, वहीं दूसरी ओर विभागीय अधिकारियों को भी अपने कार्य स्थल के निकटस्थ एन.आई.सी. केन्द्र से ही आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखने की सुविधा प्राप्त हो सकेगी।

वीडियो कान्फ्रेंसिंग की इस सुविधा हेतु धनराशि की व्यवस्था सूचना आयोगों के महासंघ National Federation of Information Commissions of India (NFICI) से प्राप्त धनराशि तथा राज्य सरकार से प्राप्त बजट से की गयी है।

भविष्य में इस सुविधा को प्रदेश के अन्य दूरस्थ/पर्वतीय जनपदों में भी विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

## उत्तराखण्ड सूचना आयोग के आयुक्तों, अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची वर्ष 2016-17 एवं 2017-18

क्र.सं.	नाम	एवं पदनाम
1	श्री शत्रुघ्न सिंह	मुख्य सूचना आयुक्त (19/11/2016 से)
2	श्री राजेन्द्र कोटियाल	राज्य सूचना आयुक्त
3	श्री सुरेन्द्र सिंह रावत	राज्य सूचना आयुक्त
4	सुश्री झरना कमठान	सचिव (07/10/2016 – 17/01/2018)
5	सुश्री शालिनी नेगी	उपसचिव
6	श्री राजेश नैथानी	निजी सचिव, मुख्य सूचना आयुक्त
7	श्री टी.एस. बिष्ट	विधि सलाहकार
8	श्री मनमोहन नैथानी	सहायक लेखाधिकारी
9	श्रीमती हीरा रावत	समीक्षा अधिकारी <sup>9</sup>
10	श्री भूपेन्द्र चन्द्र पपनै	समीक्षा अधिकारी
11	श्री उमेश चन्द्र सिंह	सहायक समीक्षा अधिकारी
12	श्री सौरभ कुमार	सहायक समीक्षा अधिकारी
13	श्री जितेन्द्र पाण्डे,	निजी सचिव
14	श्री नरेश चन्द्र बिजल्लाण	निजी सचिव
15	कु. रेशमा फर्स्वाण	आशुलिपिक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर
16	श्री सुमन सिंह रावत	आशुलिपिक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर
17	कु. ममता रावत	आशुलिपिक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर
18	श्री पंकज कुमार	आशुलिपिक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर
19	श्रीमती चन्द्रा गुसाईं	आशुलिपिक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर
20	श्रीमती सुब्रोतिका जोशी	आशुलिपिक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर
21	श्रीमती अनुराधा	आशुलिपिक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर
22	श्रीमती रजनी भण्डारी	व्यैक्तिक सहायक
23	श्री शैलेन्द्र हटवाल	व्यैक्तिक सहायक
24	श्री नरेन्द्र सिंह गनघरिया	कम्प्यूटर आपरेटर
25	श्रीमती अमृता गुरुंग	कम्प्यूटर ऑपरेटर
26	श्री मनोज सिंह	कम्प्यूटर ऑपरेटर
27	श्री पंकज कुमार	रिकॉर्ड कीपर/कम्प्यूटर ऑपरेटर

28	श्री फकीर सिंह	अनुसेवक
29	श्री मनोज कुमार	अनुसेवक
30	श्री रवीन्द्र सिंह	अनुसेवक
31	श्री हरपाल सिंह	अनुसेवक
32	श्री सौरभ बडोनी	अनुसेवक
33	श्री सुरेन्द्र पाल	अनुसेवक
34	श्री चंचल राम	अनुसेवक
35	श्री अमर दीप	अनुसेवक
36	श्री प्रकाश सिंह	अनुसेवक
37	श्री त्रिलोक सिंह	अनुसेवक
38	श्री नन्दन सिंह खोलिया	अनुसेवक
39	श्री प्रदीप खत्री	अनुसेवक
40	श्री सुरेश कुमार	अनुसेवक
41	श्री नन्दू कुमार	वाहन चालक
42	श्री नागेन्द्र भट्ट	वाहन चालक
43	श्री रमेश वर्मा	वाहन चालक
44	श्री अमित कोहली	वाहन चालक
45	श्री धारा सिंह	वाहन चालक
46	श्री बृजमोहन	वाहन चालक
47	श्री अमर ठाकुर	वाहन चालक
48	श्री सुरेन्द्र सिंह रावत	सुरक्षा गार्ड
49	श्री हरि सिंह पटवाल	सुरक्षा गार्ड
50	श्री वासुदेव पंथी	सुरक्षा गार्ड
51	श्री मोहन सिंह नेगी	सुरक्षा गार्ड



## उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून

दूरभाष : 0135 - 2675780, 2675779

ईमेल : [secy-uic@gov.in](mailto:secy-uic@gov.in) वेबसाइट : <http://uic.gov.in>